Monday, 25 March, 1968

चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29—सोमवार, 25 मार्च, 1968/5 चैत्र, 1890 (शक)

No. 29—Monday, 25th March, 1968/Chaitra 5, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
808	नर्मदा नदी जल विवाद — Narmada River Water Dispute	1203—1208
809	गन्धक के मूल्य — Prices of Sulphur	1208—1211
811	नये उर्वरक कारखानों को रियायतें — Concessions in New Fertilizer Factories	1211—16
812	सिंचाई की सुविधायें — Irrigation Facilities	1216—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर

QUESTIONS FOR WRITTEN ANSWERS

ता० प्र० संख्या STARRED Q. Nos.			
810	बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bank Employees	1219
813	भारत में विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Capital Investiment in India	121920
814	पश्चिमी बंगाल की वित्तीय स्थिति	Financial Position of West Bengal	1220
815	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	1220
816	उर्वरक कारखाना, कोर्बा	Fertilizer Factiory, Korba	1220–21
817	भारतीय दलित वर्ग संगठन	Bhartiya Depreseed Classes League	1221
818	तेल का मूल्य निर्धारित किया जाना	Pricing of Oil	1221–22
819	निजी चिकित्सा व्यवसाइयों द्वारा गर्भपात	Abortions by Private Medical Practitioners	1222

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
820	राज्यों को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation for Kerosene Oil to States .	1222
821	पश्चिम बंगाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Flood-Affected Areas of West Bengal	1222-23
822	दुर्भिक्ष तथा सूखे के लिए सहायता के अन्तर्गत बिहार सरकार को सहायता	Assistance to Bihar Government for famine and drought Relief	1223
823	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	National Health Service Scheme . . .	1223
824	राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना	Raising of Resources by States . . .	1224
825	श्रमजीवी महिला होस्टल में रहने वाली महिलाओं द्वारा सत्याग्रह	Satyagrah by Residents of working Girls Hostel	1224
826	स्वचालित मशीनें लगाने के विरोध में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल	General Strike by L. I. C. Employees against Automation	1224-25
827	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	1225-26
828	दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति	Committee Investigating working of Delhi Hospitals	1226
829	भारतीय तेल समवाय के अफसरों के विदेशों में खाते	Foreign Accounts of Officers in I.O.C. .	1226
830	राजनयिक सेवा के अधिकारियों द्वारा विदेशी कारों की बिक्री	Sale of Foreign Cars by Diplomatic Service Personnel	1227
831	सड़क कूटने के इंजन	Road Rollers	1227
832	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधाएं	Housing Facilities in Rural Areas . .	1227-28
833	बी० ओ० ए० सी० विमान से सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold from B.O.A.C. Aircraft	1228-29

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
834	पैट्रोलियम उत्पादकों के लिए मांग तथा पूर्ति के बीच असन्तुलन	Imbalance between Supply and Demand for Petroleum Products	1229
835	पी० एल० 480 निधि	PL 480 Funds.	1229
836	हैदराबाद का निजाम	Nizam of Hyderabad. . . .	1231
837	भारत को अमरीका से ऋण	U. S. Loan in India .	1231
अतारांकित प्रश्न		UNSTARRED QUESTIONS	
4964	सरकारी क्वाटरों का बारी से पहले आवंटन	Out-of-turn Allotment of Government Quarters.	1232
4965	दिल्ली में सरकारी होटल	Government-owned Hotels in Delhi. .	1232—34
4966	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. . . .	1234
4967	आंध्र प्रदेश में सिंगगूर जलाशय	Singur Reservoir in Andhra Pradesh . .	1234-35
4968	आंध्र प्रदेश में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Andhra Pradesh . .	1235
4969	बर्मा शैल कालटैक्स तथा एसो तेल शोधक कारखानों की क्षमता	Capacity of Burmah Shell, Caltex and Esso Refineries.	1236
4970	नागार्जुन सागर में पम्पड स्टोरेज स्कीम	Pumped Storage Scheme at Nagarjunasagar	1236-37
4971	'आइसोलेशन अस्पताल किंग्जवे कैम्प' दिल्ली को हटाकर अन्यत्र ले जाना	Shifting of Isolation Hospital, Kingsway Camp (Delhi).	1237
4972	फाइलेरिसिस रोग की रोक-थाम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Fillarisis . .	1237
4973	हैदराबाद में औषध अनुसन्धान योजना	Drug Research Scheme in Huderabad	1237-38
4974	चोरी छिपे लाया गया सोना	Smuggled Gold	1238
4975	बाल्मीकी समुदाय	Balmikis	1238
4976	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board . . .	1238-39

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4977	बेकार घासपात को समाप्त करने की रसायन	Chemicals for destruction of weeds . .	1239
4978	रसायन उद्योग की आवश्यकता के तेजाबों के मूल्यों में अन्तर	Variation in Rates Acids required by Chemical Industry	1239-40
4979	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States .	1240
4980	गन्धक का प्रयोग	Use of Sulphur	1240
4981	उर्वरक कारखाने	Fertilizers Plants	1241
4983	दिल्ली में मिट्टी के तेल की आवश्यकता	Requirement of Kerosene Oil in Delhi .	1241
4985	चिकित्सा संस्थाओं के पाठयक्रम में परिवर्तन	Changes in Syllabus of Medical Institutes .	1241-42
4986	मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene Oil . . .	1242
4987	तेल में आत्म-निर्भरता	Self- Sufficiency in Oil . . .	1242
4988	सोने की तस्करी	Gold Smuggling . .	1242-43
4989	तेल का पता लगाने के लिए छिद्रण-कार्य	Drilling to Explore Oil	1243
4990	एलकोहली पेयो पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Alcoholic Drinks	1243
4991	चौथी योजना में मुख्य परियोजनाएं	Major Projects in Fourth Plan . .	1244
4992	भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation. . .	1244
4993	वाई० डब्लू० सी० ए० होस्टल में रहने वाली श्रमजीवी लड़कियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum from working Girls of Y.W. C.A. Hostel	1244-45
4994	दिल्ली की वृहद योजना	Master Plan Delhi..	1245
4995	दिल्ली की वृहद योजना	Master Plan of Delhi. . .	1245-46
4996	दन्तचिकित्सक और दन्त चिकित्सालय	Dentists and Dental Clinics . . .	1246
4997	दिल्ली में औद्योगिक कार्यों के लिए बिजली की कमी	Shortage of Power for Industrial purposes in Delhi.	1246-47

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4999	भारत में असैनिक अस्पताल और औषधालय	Civil Hospitals and Dispensaries in India. .	1247
5000	मुशायरा और कवि सम्मेलन	Mushaira and Kavi Sammelan . . .	1247-48
5001	हृदय प्रतिरोपण आपरेशन	Heart Transplantation Operation . .	1248
5002	बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हानि	Loss due to strike by Bank Employees . .	1248
5003	भारतीय तेल निगम के लिए ढोल	Barrels for Indian Oil Corporation . .	1249
5004	दोहरा कराधान रोकने के करार	Double Taxation Avoidance Agreements .	1249-50
5005	वस्तु-निष्कासन सीमा शुल्क	Clearance Custom Duties . . .	1250
5006	गांव में बिजली लगाना	Electrification of Villages	1250-51
5007	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	1251
5008	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिए शराब	Liquor for U.N.C.T.A.D. . . .	1251-52
5009	भारत में शुल्क-मुक्त शराब की बिक्री	Sale of Duty Free Liquor in India . . .	1252-53
5010	वैक्यूम ऐस्पिरेटर	Vacuum Aspirator	1253
5011	भाखड़ा तथा गांधी सागर बांधो से तैयार की गई बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Supply of Power Generated at Bhakra and Gandhi Sagar Dams .	1253
5012	जीवन बीमा निगम द्वारा गैर सरकारी निगमित क्षेत्र में पूंजी विनियोजन	Investment in Private Corporate Sector by L.I.C.	1253-54
5013	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता	House Rent to Class IV Employees . .	1254
5014	कुछ कम्पनियों के नाम आय-कर बकाया राशि	Arrears of Income Tax outstanding against certain Companies.	1254

ता० प्र० संख्या S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5015	सिल्वर जुबली टी० बी० अस्पताल, दिल्ली	Silver Jublee T. B. Hospital, Delhi. . .	1254-55
5016	मंदसौर स्थित अफीम के कारखाने में चोरी	Thefts in Opium Factory, Mandsaur . .	1255
5017	मध्य प्रदेश में समाज कल्याण संस्थायें	Social Welfare Institutions in Madhya Pradesh	1255
5018	आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Assam . .	1256
5019	अस्पतालों सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Study Group on Hospitals.	1256
5020	नई दिल्ली स्थित अंधों की संख्या	Institution for the Blind, New Delhi . .	1256-57
5021	पी० एल० 480 निधि	P. L. 480 Funds.	1257-58
5022	महाराष्ट्र में पैट्रो-कैमिकल उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex in Maharashtra .	1258
5023	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में सरकारी चिकित्सालय का खोला जाना	Opening of Government Hospital in Hasanpur Tehsil of District Moradabad (U. P.) .	1258
5024	बाढ़ से उत्तर प्रदेश के गांव की रक्षा	Protection of U. P. Village Against Floods .	1259
5025	उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली की व्यवस्था	Electricity to U. P. Villages . . .	1259
5027	उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects of Orissa . . .	1259-60
5028	सालन्दी और आनन्दपुर बांध परियोजना, उड़ीसा	Salandi and Anandpur Barrage Schemes in Orissa.	1260
5029	दिल्ली में सहकारी आवास समितियों को उनसे ली गई भूमि का मुआवजा	Compensation for Land acquired by Co-operative Housing Societies in Delhi .	1260-61
5030	दिल्ली के लिए सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities for Delhi . . .	1261

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5031	वित्त मन्त्रालय में स्वचालित मशीनें	Automatic Machines in Finance Ministry .	1261
5032	पश्चिमी बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में बाढ़ प्रभावित बांधों की मरम्मत	Repairs of Flood-Affected Bounds in Central Sub-Division of West Bengal . .	1261-62
5033	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के धर्म परिवर्तकों के बीच भेदभाव	Discrimination between Converts of S.C. & S.T.	1262
5034	छूआछूत	Untouchability	1262
5035	समाज कल्याण कार्य पर खर्च	Expenditure on Social Welfare . .	1262-63
5036	गांधी जी की स्मृति में अखण्ड ज्योति	Akhand Joti in Memory of Gandhiji .	1263
5037	कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी संसद-सदस्यों को मकानों का दिया जाना	Allotment of Accommodation to Congress and Non-Congress M. Ps. . . .	1263
5038	तीनमूर्ति भवन का मूल्य	Value of Teen Murti Bhawan . . .	1264
5039	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money	1264
5040	दिल्ली में गैर-सरकारी अस्पताल	Private Hospitals in Delhi . .	1264-65
5041	इटली से सहायता	Aid From Italy	1265
5042	विदेशी तेल समवायों द्वारा लाभ अर्जन	Profits by Foreign Oil Companies . . .	1265
5043	परिवार नियोजन के तरीके	Family Planning Devices	1265-66
5044	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन	Incentives under Family Planning Programme	
5045	आयकर विभाग में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in Income-Tax Department .	1266
5046	आय-कर निर्धारण के मामले	Income-Tax Assessment Cases . .	1267
5047	आस्थगित वार्षिकी पालिसियां	Deferred Annuity Policies	1267-68

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5048	आयकर अधिकारियों को आयकर का ठीक निर्धारण करने के बारे में अनुदेश	Instructions to Income Tax Officers for correct assessment of Income-tax . .	1268
5049	बी० ओ० ए० सी० के विमान से जब्त किया गया सोना	Gold Confiscated from B.O.A.C. Plane .	1268
5050	जवाहर बांध परियोजना	Jawahar Dam Project	1269
5051	दन्त क्लिनिक	Dental Clinics.	1269
5052	पश्चिमी बंगाल में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की अधिकतम सीमा	Ceiling on Prices of Essential Commodities in West Bengal	1269–70
5053	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में भर्ती नियम	Recruitment Rules in All India Institute of Medical Sciences	1270
5054	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., .	1270–71
5055	कालोल और नवगांव तेल-क्षेत्रों से तेल	Oil from Kalol and Navagam Oil Areas .	1271
5056	गुजरात में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Gujarat . . .	1271
5057	फारस की खाड़ी से तेल	Oil from Persian Gulf	1272
5058	अखिल भारतीय गुज्जर आदिम जाति कल्याण समिति	All India Gujjar Tribal Welfare Committee .	1272
5059	प्रतिरक्षा संस्थानों के डाक्टर	Doctors attached to Defence Establishments	1272–73
5060	सुनारों को प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना	Issue of Certificates to Goldsmiths . .	1273
5061	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Orissa . .	1274
5062	उड़ीसा में सूखे की स्थिति	Drought in Orissa	1274–75
5063	नागपुर में कोबाल्ट बीम थैरापी यूनिट की स्थापना	Installation of Cobalt Beam Therapy Unit at Nagpur	1275

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5064	महाराष्ट्र में पेंच परियोजना	Pench Project in Maharashtra . .	1275-76
5065	सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी	Clearance to Irrigation Projects . . .	1276
5066	ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत योजनाएं	Small Savings Schemes in Rural Areas .	1276-77
5067	भारत में उर्वरक परियोजना	Fertilizer Project in India	1277
5068	अमरीकी लूप	American Loop	1277-78
5069	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	1278
5070	भारतीय तेल निगम द्वारा स्नेहक तेल का आयात	Import of Lubricating Oil by Indian Oil Corporation	1278-79
5071	इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा खरीद	Purchases by Indian Oil Corporation . .	1279
5072	राजाजीनगर स्थित मैसूर इलैक्ट्रो-कैमिकल्स वर्क्स	Mysore Electro-Chemical Works, Rajajinagar, Bangalore.	1280
5073	कुछ कम्पनियों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Certain Companies	1280
5074	कास्टिक सोडे का उत्पादन	Caustic Soda Production . . .	1280-81
5075	भुगतान सन्तुलन	Balance of Payments	1281-82
5076	कच्छ के ग्रामवासी से पकड़ी गई चांदी	Silver Seized from a Kutch Villager . .	1282
5077	भारतीय उर्वरक निगम, नंगल	Fertilizer Corporation of India, Nangal .	1283
5078	उर्वरक निगम, नंगल	Fertilizer Corporation at Nangal . .	1283
5079	कलकत्ता में ट्रामवे	Tramways in Calcutta	1283
5080	भारतीय तेल निगम के विभिन्न स्कन्धों में वेतनमानों में अन्तर	Variation of Pay Scales in Different Wings of I.O.C.	1284
5081	भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation . . .	1284
5082	वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Chairmen of Commercial Banks	1285

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5083	केरल हथकरघा उद्योग के लिए भारत के रिजर्व बैंक से ऋण	Loans from Reserve Bank of India For Kerala Handloom Industry. . . .	1285
5084	हथकरघा वस्तुओं पर बिक्रीकर हटाना	Cancellation of Sales Tax on Handloom Goods	1286
5085	मध्य प्रदेश के आयकर आयुक्त के समक्ष दायर की गई निपटारा याचिकाएं	Settlement Petitions Filed with Commissioners of Indcome-Tax, M. P. . .	1286
5086	मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Madhya Pradesh Villages .	1286–87
5087	मध्य प्रदेश से आयकर की वसूली	Income-Tax Collection from Madhya Pradesh	1287
5088	अनुसूचित बैंको में जमा राशियां	Deposits with Scheduled Banks . . .	1287–88
5089	विदेशी बैंक	Foreign Banks	1288
5090	बैंकों द्वारा ऋणों का दिया जाना	Advances Made by Banks	1289
5091	उत्तर प्रदेश के नलकूपों के लिए बिजली सेवा	Power Supply for Tube-Wells in Uttar Pradesh	1289
5092	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए नियत राशि	Funds Allotted to U. P. for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	1289-90
5093	बुलन्दशहर के तव बिजली विभाग में बिजली के कनेक्शन	Power Connections in Hydel Department of Bullandshahr	1290
5094	हतनूर बाँध	Hatnur Dam	1290
5095	कोयला परियोजना	Koyal Project	1290-91
5096	नर्मदा के पानी से कच्छ का विकास	Development of Kutch with Narmada Water	1291
5097	अशोधित तेल के सम्बन्ध में ईरानी आदेश	Iranian Order on Crude Oil . . .	1291
5097	नर्मदा नदी के पानी से सिंचाई	Irrigation by Narmada Waters . . .	1291–92

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5099	जल-दूषण को रोकने के लिए विधान	Legislation for Prevention of Water Pollution.	1292
5100	कोयना भूकम्प सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Koyna Earthquake	1292–93
5101	जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाने वाला सामान्य कारोबार	General Business handled by L. I. C.	1293
5102	पैट्रोलियम रसायन उद्योगों के लिए लाइसेंस	Licences for Petro-Chemical Industries	1293–94
5103	कृष्णा-गोदावरी जल विवाद	Krishna-Godavari Dispute	1294
5104	शुष्क हेमवती परियोजना	Hemavati Project	1295
5105	कोचीन सीमा-शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस)	Cochin Custome House	1295
5106	कलकत्ता में आय-कर निर्धारण के मामले	Income Tex Assessment Cases in Calcuttta	1296
5107	उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Fertilizer Production	1296–97
5108	कुन्ड्रा सिंचाई परियोजना	Kundra Irrigation Project	1297
5109	फरीदाबाद में क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters at Faridabad	1297
5110	भारतीय सरकार का अवैतनिक दन्त-चिकित्सा सलाहकार	Honorary Dental Adviser to the Government of India	1298
5111	ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं	Rural Water Supply Schemes	1298–99
5112	समयोपरि भत्ते पर आय-कर	Income-Tax on late Duty Allowance	1299–1300
5113	येमीगानुर की एक फर्म द्वारा आयकर अपवंचन	Income-Tax Evasion by a firm of Yemmiganur	1300
5114	कावेरी नदी से बंगलौर को पानी की सप्लाई	Water Supply from Cauvery to Bangalore	1300
5115	हरिजन कल्याण विभाग, बुलन्दशहर	Harijan Welfare Department, Bullandshahr	1300

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5116	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistancee to States . . .	1300–1301
5117	औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र	Applications for Allotment of Industrial Plots	1301
5118	नई दिल्ली नगर पालिका के बाजार	N.D.M.C. Markets	1301–1302
5119	आसनसोल में टी० बी० अस्पताल	T.B. Hospitals at Asansol . . .	1302–1303
5121	गोवर्धन नहर योजना	Goverdhan Canal Scheme . . .	1303
5122	फ्रांस से ऋण	Credit from France	1304
5123	फारस की खाड़ी में तटूदर तेल का पाया जाना	Oil find in off shore of Persian Gulf . .	1304
5124	दिल्ली में सड़क निर्माण.	Construction of Roads in Delhi . . .	1305
5125	साबुन बनाना	Manufacture of Soap . . .	1305
5126	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission . . .	1305–1306
5127	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill at Hoshangabad . .	1306
5129	छोटा कागज उद्योग	Small Paper Industry	1307
5130	कैन्सर का उपचार	Cancer Cure	1307–1308
5131	समाज कल्याण विभाग, मनीपुर	Social Welfare Department, Manipur .	1308
5132	मनीपुर के चिकित्सा छात्र	Medical students of Manipur . . .	1308–1309
5133	हैदराबाद स्थित मिश्रित औषध कारखाना	Synthetic Drugs Factory at Hyderabad . .	1309
5134	देश में मिलावटी औषधियाँ	Adulterated Drugs	1310
5135	मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के लिए लाइसेंस का दिया जाना	Grant of Licence for Coal-based Fertilizer Plant in Madhya Pradesh . . .	1310
5136	मध्य प्रदेश में गाँवों में जल की सप्लाई की अपर्याप्त व्यवस्था	Lack of water Supply Arrangements in Madhya Pradesh Villages . . .	1310–11

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5137	मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोगों को ऋण सुविधायें	Credit Facilities to Tribal Population in Madhya Pradesh	1311
5139	बस्तर के आदिम जातीय क्षेत्र का विकास	Development Tribal Region of Bastar .	1311–12
5140	कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears from Companies . .	1312–13
5141	आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax	1313
5142	कानपुर स्थित लूप का कारखाना	[Kanpur Loop Factory	1313–14
5144	कृषि कार्यों के लिए बिजली की दर	Agricultural Power Tariff	1314
5145	दमे का उपचार	Cure for Asthma	1315
5146	नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के भवनों से ब्रिटिश क्राउन का हटाना	Removal of British Growns from Central Government Buildings in New Delhi. .	1315–16
5147	नसबन्दी आपरेशन के लिए प्रोत्साहन	Incentives for Vasectomy operations . .	1316
5148	बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में वेणुगोपालन समिति	Venugopalam Committee's Report on Inter-State Sale of Power	1317–18
5149	विभिन्न फर्मों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना	Under-invoicing of exports by various Firms.	1318–19
5150	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आय-कर दाता	Income-tax payers in Andaman and Nicobar Islands.	1319
5151	मैसूर पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स, मुनीराबाद	Mysore Pulp and Board Mills Munirabad (Mysore)	1319–20
5152	अपर तुंगभद्रा परियोजना	Upper Tungabhadra Project . . .	1320
5153	विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank's Report	1320
5154	अस्वाभाविक खाते (अन-क्लेम्ड एकाउण्ट्स)	Unclaimed Accounts	1321–22
5155	डी० डी० ए० के प्लाटों पर पट्टा-कर	Lease Tax on D.D.A. Plots . . .	1322

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5156	औषधियों में मिलावट	Adulteration of Drugs	1322
5158	नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में दुकानों का आवंटन	Allotment of shops in N.D.M.C. areas .	1323
5159	नई दिल्ली नगर पालिका की दुकानों में व्यवसाय में परिवर्तन	Change of Trade of N.D.M.C. shops . .	1323–24
5159	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बनाये गये स्टालों का दिया जाना	Allotment of N.D.M.C. Stalls . . .	1324
5160	आपात्कालीन और दीर्घ-कालीन आधार पर मकान दिये जाने के लिए श्रम-जीवी महिलाओं की ओर से ज्ञापन-पत्र	Memorandum from Working Girls for accommodation on shortterm and Longterm Basis in Delhi.	1325
5162	कन्नोज के मैसर्स बलदेव प्रसाद सीताराम के विरुद्ध करापवंचन का मामला	Case of Tax evasion against M/s Baldeo Prasad Sitaram of Kunauj . . .	1325
5163	'ब्लैक चाय' पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Black Tea	1325–26
5164	राज्यों द्वारा ऋणों की अदायगी	Repayment of Loans by States . . .	1326
5165	मैसूर राज्य में सिनेमा मालिकों से आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears against Cinema owners in Mysore State	1326
5166	मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for higher Education students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Mysore. . . .	1326
5167	मैसूर में अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Scheduled Tribe Areas in Mysore	1327
5168	मैसूर में विद्युतजन	Power Generation in Mysore . . .	1327
5169	बरौनी तेलशोधक कारखाने का बन्द होना	Closure of Barauni Refinery . . .	1328

तारां० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5170	पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री द्वारा ईरान की यात्रा	Visit by the Minister of Petroleum and Chemicals to Iran	1328
5171	भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में होम्योपैथी का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Homeopathy in Indian system of Medicines	1328-29
5172	ग्रामीण सहायता स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी-औषधालय	Homeopathic Dispensaries under Rural Aid Health Scheme.	1329
5173	होम्योपैथी के सलाहकार	Homeopathic Advisers	1329
5174	परिवार नियोजन सम्बन्धी आपरेशन	Family Planning Operations . . .	1329-30
5175	घोषित वस्तुओं की सूची में अशोधित तेल	Crude Oils in List of Declared Goods .	1330
5176	सीमा शुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Employees of Cochin Customs	1330-31
5177	सामान्य बीमा	General Insurance . . .	1331
5178	परिवार नियोजन अभियान पर व्यय	Expenditure on Family Planning Campaign	1331
5179	दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी बस्तियां	Government and Private Colonies in Delhi .	1332
5180	सिंचाई योजनाओं पर खर्च	Expenditure on Irrigation Schemes .	1332
5181	अपर सोन नहर	Upper Sone Canal	1332
5182	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes .	1333
5183	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में छंटनी	Retrenchment in Oil and Natural Gas Commission.	1333
5184	घुड़दौड़ से प्राप्त राजस्व	Revenue from Horse Races . .	1333-34
5185	सतपुड़ा तापीय बिजलीघर	Satpura Thermal Station .	1334
5186	विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors Abroad.	1334-35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1335-40
कीनिया के एशियाई लोगों को वहां से निकाले जाने के बारे में की गई बातचीत	Discussion re. deportation of Kenya Asians .	1335
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	1340-42
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	1342-44
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of the House	1344-45
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . . .	1345
तेतीसवां तथा चौंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-third and Thirty-fourth Reports .	1345
सांविधिक आदेशों के विरुद्ध कुछ संसद् सदस्यों द्वारा कारों की कथित बिक्री के बारे में वक्तव्य	Statement re. Alleged sale of cars by certain M. Ps. contrary to Statutory orders .	1345
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	1348
सभा का कार्य	Business of the House	1348
पश्चिमी बंगाल राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	West Bengal State Legislature(Delegation of Powers) Bill.	1348-50
खण्ड 3 तथा 1	Clauses 3 and 1	1349
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass.	1350
उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प स्वीकृत तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Resolution re. Proclamation in Relation to the State of Urrar Pradesh Adopted and Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill	1351
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . .	1351
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . .	1351
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1352
श्री जुल्फिकार अली खां	Shri Zulfiquar Ali Khan	1352-53

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	1353-54
श्री क० कृ० नायर	Shri K. K. Nayar	1354-56
डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	1356
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	1356-57
श्री अवधेश चन्द्र सिंह	Shri Awdhesh Chandra Singh	1357
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghubir Singh Shastri	1357
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri Kashi Nath Pande	1357-58
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	1358
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	1358-59
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjit Singh	1359
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	1359
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	1359-60
श्री मु० अ० खां	Shri M.A. Khan	1360
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3, and 1	1360
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	1361-63
दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Delhi Milk Scheme	1363
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	1363
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	

लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

25 मार्च , 1968 ।

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
10	अन्तिम पंक्ति में `5097 ` के स्थान पर `5098 ` पढ़िये ।
14	दूसरी पंक्ति में `5158 ` के स्थान पर `5157 `पढ़िये । तीसरी पंक्ति में संख्या `5158 ` के स्थान पर `5159 `पढ़िये ।
16	पंक्ति 18 , 'Urrar ' के स्थान पर ` Uttar ' पढ़िये ।
1203	नीचे से सातवीं पंक्ति में `सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ( डा.कु.ला.राव ) के स्थान पर `सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) `पढ़िये ।
1203	नीचे से सातवीं पंक्ति में `वापसी ` के स्थान पर `आपसी `पढ़िये ।
1208	ऊपर से सोलहवीं पंक्ति में `श्री अशोक मेहता ` के स्थान पर `श्री रघुरामैया `पढ़िये ।
1219	नीचे से बारहवीं पंक्ति में 'Shri Kanwar Lal Gupta ' को हटा दीजिये ।
1233	ऊपर से आठवीं पंक्ति में `30-10-56 ` के स्थान पर `30-10-66 `पढ़िये
1243	ऊपर से उन्नीसवीं पंक्ति में ` Shri Asoka Mehta ' के स्थान पर 'Shri Raghuramaiah ' पढ़िये ।
1278	ऊपर से दूसरी पंक्ति में `शखर ` के स्थान पर `शेखर `पढ़िये ।
1288	ऊपर से सातवीं पंक्ति में `1,480.79 ` के स्थान पर 1,840.79 `पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1305	नीचे से सत्रहवीं में Lt 593/66 ' के स्थान पर 'LT-593/68 पढ़िये ।
	नीचे से 16 पंक्ति 16 , Lt.593/66 ' के स्थान पर LT-593/68 पढ़िये ।
	नीचे से पंक्ति 8 , LT-593/66 ' के स्थान पर 'LT-593/68 ' पढ़िये ।
1308	नीचे से दसवीं पंक्ति में `71320 रुपये ` के स्थान पर 1,320 रुपये पढ़िये ।
1321	नीचे से पंक्ति 12 , `52.3 ` के स्थान पर `52.33 `पढ़िये ।
1327	नीचे से पंक्ति 11 , `2255.6 ` के स्थान पर `225.56 `पढ़िये ।
	नीचे से पंक्ति 10 , `4957 .1 `के स्थान पर `495.71 `पढ़िये ।
	नीचे से नौवी पंक्ति में `1771.9 ` के स्थान पर `177.19 `पढ़िये ।

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 25 मार्च, 1968/5 चैत्र, 1890 (शक)

Monday, March 25, 1968/Chaitra 5, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नर्मदा नदी जल विवाद

+

*808. **श्री द० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के बीच नर्मदा नदी जल विवाद को हल करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 27 जुलाई, 1965 के संकल्प के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इस विवाद को वापसी बातचीत द्वारा हल करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री द० रा० परमार : क्या यह सही है कि अखिल भारत कांग्रेस समिति ने 27 जुलाई 1965 को एक संकल्प पास किया गया था कि ऐसे विवाद मध्यस्थ को सौंप कर हल किये जाने चाहिए और यदि हां, तो नर्मदा जल सम्बन्धी विवाद को मध्यस्थता के लिए न सौंपने के क्या कारण हैं ?

Shri Rabi Roy : On a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अखिल भारत कांग्रेस समिति का संकल्प यह था कि ऐसे विवाद आपसी बातचीत द्वारा हल किये जाने चाहिएं और इच्छा यह होनी चाहिए कि उनका हल समानता के आधार पर हो और यदि ऐसे प्रयास विफल हो जाते हैं उसी सूरत में ऐसा कहा गया है कि उन्हें मध्यस्थता के लिए सौंपा जाय।

श्री द० रा० परमार : जब गुजरात से आने वाले संसद् सदस्यों की इस विषय पर 22 जून, 1967 की माननीय प्रधान मंत्री के साथ बात हुई थी तो हमने अनुरोध किया था कि कोई समय सीमा निर्धारित की जाय जिसक अन्दर इस प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जाना है। उस समय उन्होंने हमें सूचित किया था कि गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री 24 जून 1967 को मिलने वाले हैं उसके पश्चात् दो या तीन बैठकें हुई परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला। क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने की स्थिति में हैं यदि नहीं तो किन कारणों से?

डा० कु० ल० राव : दिसम्बर 1967 में मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा था कि संकर किस्मों के बीजों का प्रयोग करने और कृषि के नये तरीकों के आरम्भ होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को कुछ पानी की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इंजीनियरों और कृषि विशेषज्ञों का एक दल केन्द्र द्वारा उनके अधिकारियों से बातचीत करने के लिए भेजा जाना चाहिए। तदनुसार जनवरी में अधिकारियों को एक हल भेजा गया था और उनके साथ बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने कहा कि एक महीने का और समय उन्हें दिया जाये। तदनुसार एक महीना पश्चात् एक और बैठक हुई अधिकारीगण लगभग चार दिन पहले भोपाल में फिर मिले थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्ययन संबंधी एक नोट केन्द्रीय अधिकारियों को दिया गया।

इसका अध्ययन करने के पश्चात्, मेरा विचार इस विवाद का अन्तिम रूप से कोई न कोई फैसला करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है।

श्री रामचन्द्र ज० अमीन : खोसला समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

डा० कु० ल० राव : खोसला समिति नर्मदा नदी के जल का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के उपायों का सुझाव देने और जल के वितरण के लिए सिफारिशें करने के लिए 1964 में नियुक्त की हुई थी। उन्होंने एक वर्ष का समय लिया और बहुत उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु दुर्भाग्यवश खोसला समिति नियुक्त करते समय यह बताया गया था कि वह केवल एक सलाहकार समिति है और उसके निर्णयों और सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। इस कारण हम इन सिफारिशें की सीधे कार्यान्वित नहीं कर सकते यही कारण है कि राज्यों के बीच अग्रेतर बातचीत होनी है।

श्री मनुभाई पटेल : चूंकि कच्छ पंचाट दिया जा चुका है और कच्छ की सीमा निर्धारित हो चुकी है और सरकार ने नर्मदा के जल के साथ कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए अपनी नीति

की घोषणा कर दी है, मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में और कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए वृहत् योजना लागू करने के लिए क्या प्रगति हुई है ? यदि कुछ प्रगति हुई है, तो नर्मदा जल के कच्छ तक पहुंचाने के लिए कितनी ऊंचाई की जरूरत है ? यदि इस बारे में भी निर्णय हो चुका है तो क्या मंत्रालय गुजरात सरकार से कहेगा कि वह मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों के बीच जो ऊंचाई के बारे में अब समझौता हुआ है उसी के अनुसार बांध की नींवों का निर्माण कार्य आरम्भ करें ?

डा० कु० ल० राव : यह सही है कि बड़े और छोटे इन रन कच्छ में काफी क्षेत्र का विकास किया जाना है इस बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है कि इस प्रयोजनार्थ किन नदियों के जल का प्रयोग किया जाये हो सकता है कि माही के जल का या नर्मदा के जल का या किसी अन्य नदी के जल का प्रयोग किया जाय। माननीय सदस्य के विभिन्न प्रश्नों का अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मनुभाई पटेल : इसका उत्तर नहीं दिया गया कि क्या मंत्रालय गुजरात सरकार से कहेगा कि वह जिस ऊंचाई के बारे में सहमत हुए है उसीके अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करे ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य शायद उस परियोजना की चर्चा कर रहे हैं जो मंजूर हो चुकी है। वह निर्माण कार्य आरम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है यदि माननीय सदस्य विस्तारपूर्वक उत्तर चाहते हैं तो मैं इस समय नहीं दे सकूंगा।

Shri Rabi Roy: Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that disputes have arisen between different States on the issues of river waters? The Government of Mysore has referred the Krishna River water issue to the Advocate General. Likewise water dispute is there between the Governments of Gujarat and Madhya Pradesh. I want to know the machinery which the hon. Minister propose to evolve to resolve all these disputes. What is his proposal regarding Narmada Waters? Whether the Government of Madhya Pradesh would have to go to the Court to get this matter settled?

डा० कु० ल० राव : हमारे देश में जल विवाद के केवल दो मामले हैं; एक कृष्णा गोदावरी जल विवाद और दूसरा नर्मदा जल विवाद। हम पूरी कोशिश करते रहे हैं कि यदि सम्भव हो तो इन दोनों मामलों का हल बातचीत द्वारा हो सके। यदि ये बातचीत असफल रहती है तो कानून स्पष्ट है और इन्हें अन्तर्राज्य नदी विवाद अधिनियम के अनुसार निबटाना पड़ेगा। यह इस स्थिति में होगा यदि आगामी कुछ मासों में हम देखते हैं कि बातचीत का परिणाम नहीं निकला।

Shri Bal Raj Madhok: In so far as the Narmada water dispute is concerned, the Government of Madhya Pradesh says that most of the catchment area falls in that State and that the Government of Rajasthan has got resources to construct a dam. Being one country, it is desirable that what is in the interest of the nation and what can be done expeditiously should be done. But the Governments of the States are causing hindrance in the achievement of this object. In view of this, in view of the unity of the Country as also in view of the uniform development of the Country, do the Government propose to take to whatever steps they think proper immediately, by appointing their own experts for the purpose, and by ignoring the two States? In case it is not so done, does that mean that States would go on vetoing even these things which are in the interest of whole of the Country?

डा० कु० ल० राव : जहां तक इन नदियो का सम्बन्ध है कैचमैंट एरिया और अन्य पहलू तो हैं ही और यदि एक नदी एक से अधिक राज्यो में से गुजरती है अर्थात अन्तर्राज्यीय नदियों के मामले में, ऐसी नदी का राष्ट्रीय हित में और सम्बद्ध राज्यों के हित में विकास करना होता है।

जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों पर अपना फैसला लादने का सम्बन्ध है ऐसा नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कि जहां तक सम्भव हो उन की सहमत से काम किया जायें। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अन्तर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम है जिसमें मध्यस्थ द्वारा निबटारा करने के लिए स्पष्ट उपबन्ध है।

नर्मदा के मामले में यह दुर्भाग्य की बात है कि हालांकि 1963 में हम सहमत हो गये थे मध्य प्रदेश और गुजरात के मंत्रियो और मेरे द्वारा परियोजना के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे बाद में मध्य प्रदेश सरकार उस पर सहमत नहीं हुई। तब से हम कोशिश कर रही हैं कि सम्बद्ध सरकारें किसी फैसले पर पहुंच जायें और मैं समझता हूं कि अब बातचीत समाप्त होने वाली है। एक और बैठक होगी और फिर इस विषय में किसी निश्चय पर पहुंच जायेंगे।

श्री एम० बी० राणा : क्या सरकार को ज्ञात है कि खोसला समिति जिस ने इस प्रश्न पर प्रतिवेदन दिया भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी ? अतः क्या यह उचित नहीं होगा कि बातचीत बन्द करके सरकार इस प्रतिवेदन को कार्यान्वित करे ?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले ही बताया है कि खोसला समिति केवल एक सलाहकार समिति थी। चाहे वह कितनी उपयोगी हो, इस मामले में राज्यो की सम्मति लेना आवश्यक है। इस मामले पर बातचीत करना और कोई समझौता करने के लिए उन्हें तैयार करना जरूरी है।

Shri Jharkhande Rai: In view of the fact that India has a federal set up and different states enjoy considerable antonomy. Whether Government would appoint a commission which may finally decide issues between States, be that regarding water, power, boundaries or any other kind of dispute keeping in view the national interest, and its decisions may be binding on all the States?

डा० कु० ल० राव : जल संबंधी विवादों के मामले में हम अन्तर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं। उसके लिए अलग आयोग नियुक्त करना जरूरी नहीं है। अधिनियम के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक जज को मनोनीत करेंगे और इसके अलावा एसेसर्स होंगे। उनका निर्णय पक्षो को मानना ही होगा। अभी तक हम ने ऐसा नहीं किया है; हमारा अभी तक यही ख्याल है कि इस मामले को बातचीत द्वारा निबटाया जा सकता है।

श्री पी० एम० मेहता : इस मामले को अन्तिम रूप से हल करने में सरकार कितना समय लेगी ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया नर्मदा विवाद के बारे में सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक होने वाली है। मुझे आशा है कि वह बैठक उस सम्बन्ध में अन्तिम होगी।

मैं यह नहीं कह सकता कि बैठक कब होगी। बैठक मुख्य मंत्रियों की सुविधानुसार होनी है। आशा है कि आगामी दो महीनो के अन्दर बैठक होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने अभी खोसला समिति की सिफारिशों का जिक्र किया। उसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों में 8,50,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई करनी होगी जिससे 100 करोड़ रुपये के अनाज का उत्पादन होगा । इस सिफारिश पर विशेष रूप से क्या विचार किया गया है। क्या इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और क्या अन्य राज्य भी इस पर सहमत हो गये हैं ।

डा० कु० ल० राव० जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह सही है । राजस्थान में आठ लाख एकड़ की सिंचाई एक वांछनीय परियोजना है । बात सिर्फ यह है कि इसकी सिंचाई के लिए जल माही से लिया जाना है जो गुजरात में से गुजरती है और जो जल माही से लिया जाना है उसे पूरा करने के लिए नर्मदा के जल पर निर्भर करना होगा । अन्यथा, केवल नर्मदा के जल से लगभग एक लाख एकड़ भूमि ही की राजस्थान में सिंचाई होगी । माही से जल ले कर हम सात लाख एकड़ और भूमि की सिंचाई कर सकेंगे ।

राजस्थान के मामले में जहां जल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं यह बहुत जरूरी है कि हम जहां तक सम्भव हो पड़ोसी राज्यों के साधनों को प्राप्त कर के उस क्षेत्र का विकास करने में सहायता करें जैसा कि हम ने राजस्थान नहर के मामले में किया है ।

श्री रंगा : उन्होंने केवल सिद्धान्त बताया है । क्या गुजरात सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ?

डा० कु० ल० राव : गुजरात सरकार सहमत हो गई है ।

श्री अमृत नाहाटा : क्या मध्य प्रदेश सरकार सहमत हो गई है ?

डा० कु० ल० राव : यह तभी प्रभावी होगा यदि हम माही से प्रयोग किये जाने वाले जल की पूर्ति नर्मदा के जल से करें । कितना जल उपलब्ध होगा यह बातचीत पर निर्भर करता है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar: Is it not a fact that an agreement was reached between the two States, in the presence of Central Governments representatives, as to what should be the hight of the dam and that the Madhya Pradash Government had agreed to it? Is it also not a fact that the Government of Gujarat said that its hight should be more and that would have resulted in submerging the hydel project which the Madhya Pradesh Government was going to construct and that is why the Madhya Pradesh Government have objected to that?

डा० कु० ल० राव : यह सही नहीं है । समझौते पर मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे परन्तु मुख्य मंत्रियों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। जब वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास उनकी सहमति के लिए गया तो उन्होंने अन्य कई बातें उठाईं और उस कारण वह कार्यान्वित नहीं हुआ ।

श्री आर० के० अमीन : इस तथ्य की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश की सरकार हरणपाल में समुद्र के स्तर से 465 फुट की ऊंचाई पर एक बांध बनाने के लिए एक बार तैयार हो गई थी, क्या मैं जान सकता हूं नवागाम में उतनी ही ऊंचाई पर बांध बनाने के लिए भारत सरकार क्यों सहमत नहीं हुई ?

डा० कु० ल० राव : सापेक्ष ऊंचाई और अन्य पहलुओं के बारे में तर्क दिये जा सकते हैं । परन्तु यदि सम्भव हो तो सम्बद्ध राज्य की स्वीकृति लेनी होती है । जहां तक हरणपाल में

बांध बनाने का सवाल है मध्य प्रदेश ने प्रस्ताव किया था कि उस की ऊंचाई 465 फुट हो। परन्तु नवागाम में बांध 465 फुट की ऊंचाई पर बनाने के लिए वे सहमत नहीं हैं।

Shri Sheo Narayan: I want to know the purport of the A.I.C.C. Resolution regarding the water disputes and the steps taken by the two States for its implementation? In case they have not taken any steps what action has been taken by you or by the President of the A.I.C.C. against them?

डा० कु० ल० राव : मैंने उस संकल्प का अध्ययन किया है और उस अवसर पर जो भाषण हुए थे उनको भी अध्ययन किया है । उनमें एक मुख्य बात यही थी कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाये और किसी राज्य विशेष के हितों के मुकाबले में उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

गन्धक के मूल्य

*809. **श्री हिम्मतसिंह का :** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में गन्धक के मूल्य 1956 के 16.00 डालर प्रति टन के वह अब बढ़कर 38.50 डालर प्रति टन हो गये हैं; परन्तु भारत में ये 150 रुपये से बढ़कर 800 रुपये प्रति टन हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत में गन्धक के मूल्य इतने अधिक अनुपात में बढ़ने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दशी (डिकेड) के शुरू में अमरीका में जहाज पर्यन्त निशुल्क गन्धक का मूल्य 20 डालर प्रति लांगटन (Longton) था; जो अमरीका के पारम्परिक प्रदायकों द्वारा की गई सप्लाई के लिए जहाज पर्यन्त निशुल्क सहित लगभग 48 डालर प्रति लांग टन तक बढ़ गया है । इसी अवधि में, भारत में सप्लाई के स्रोत पर निर्भर गन्धक का मूल्य बीमा-भाड़ा सहित 150 रुपये से 525 रुपये से 600 रुपये प्रति लांग टन के बीच तक बढ़ा ।

(ख) वृद्धि के निम्नकारण हैं :—

(1) विश्वभर में इस पदार्थ की कमी के परिणामस्वरूप विश्व बाजार में इस के मूल्यों में भारी वृद्धि;

(2) भारतीय रुपये का 57.5 प्रतिशत तक अवमूल्यन;

(3) स्वेज नहर के बन्द होने से भाड़ा लागत में वृद्धि ;

(4) पारम्परिक स्रोतों से सामान्य सप्लाई की कमी; और

(5) कमी को पूरा करने के लिए पारम्परिक स्रोतों से अधिक मूल्यों पर गन्धक का आयात ।

श्री हिम्मतसिंहका : प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख टन गन्धक का आयात किया जाता है तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसे आयात करने पर औसतन मूल्य 75 अमरीकी डालर होता है । धर्मसी मोरारजी उर्वरक प्रायोजना के कुवैत रसायन-उर्वरक कम्पनी के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत यह मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये मूल्य से 10–15 अमरीकी डालर

कम है। इस संदर्भ में क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वह गन्धक का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम की बजाय वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे ही करने की अनुमति देगी ? इस बारे में क्या नीति है ?

श्री रघुरामैया : वर्तमान नीति केवल राज्य व्यापार निगम ही को नहीं बल्कि वास्तविक उपभोक्ता तथा स्थायी आयात करने वालों को आयात करने की अनुमति देने की है यही ठीक रास्ता है ।

श्री हिम्मतसिंह का : इस तथ्य की दृष्टि से कि गन्धक का उपयोग दुनिया में बढ़ रहा है तथा इसका सम्भरण घट रहा है, तथा यहां तक कि गन्धक बनाने वाले देश भी गन्धक बचाने के उद्देश्य से अन्य साधन प्रयोग कर रहे हैं, तो गन्धक का उपयोग घटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; तथा बिहार में अमझोर के स्थान पर माक्षिक भण्डार का लाभ उठाने तथा तात्विक गन्धक का उत्पादन करने के लिये शीघ्र ही क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : माक्षिक भण्डार का विकास केवल बिहार में ही नहीं प्रत्युत राजस्थान में भी किया जा रहा है। इन दोनों विकास कार्यों में खूब प्रगति हो रही है ।

श्री रंगा : उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है–कि दूसरे साधन अपनाकर गन्धक के उपयोग को घटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री रघुरामैया : इस प्रश्न का उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5242 के उत्तर में दे दिया गया है, फिर भी मैं उसका संक्षेप में उत्तर देता हूं। गन्धक की तेजाब का कुछ उत्पादन भारतीय अलोह माक्षिक, द्रावक संयंत्रों से उत्पन्न सहफ्यूरस गैसों, तेल शोधक कारखानों की गैसों तथा कोयला-गैसों के आधार पर करने की योजना बनाई गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

अलोह धातु संयंत्रों की प्रद्रावक गैसों के आधार पर

1. कोमिन्को बिनानी ज़िन्क लिमिटेड, अलवायी—3,3000 टन
2. हिन्दुस्तान ज़िन्क लिमिटेड उदयपुर—28,450 टन
3. इन्डियन कोपर कारपोरेशन घाटासिला—40,000 टन
   कोयला गैसों पर आधारित—
4. दुर्गापुर प्राजेक्ट्स लिमिटेड दुर्गापुर—2,500 टन

   तेल शोधक कारखानों की गैसों पर आधारित ।
5. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया ट्राम्बे—4,200 टन

अमझोर माक्षिको के आधार पर जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

6. पाइरायट्स तथा कैमिकल्स डैवलपमैंट कम्पनी सिन्दरी—1,32,000 टन ।
7. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया सिन्दरी—2,64,000 टन

इसके अतिरिक्त हम सुपर फांसफेट का उत्पादन करने के लिये उत्पादन साधनों का विकास कर रहे हैं ताकि कम से कम गन्धक का खर्च हो तथा अधिक से अधिक यूरिया तथा क्लोरिक अम्ल उपयोग किया जाये ।

श्री दिनकर देसाई : विश्व मण्डी में दाम बहुत ऊंचे हो गये हैं। विश्व की मंडियों में औसतन दाम क्या हैं ?

श्री अशोक मेहता : ऐसे कोई दाम नहीं हैं। व्यापारिक स्रोतों से सम्भरण घटा दिया गया है परन्तु वहां के मूल्य वांछनीय हैं । यदि हम कहीं और से गन्धक खरीदेंगे तो हमें बेचने वाले को मुह मांगे दाम देने पड़ेंगे। परन्तु ऐसा कोई एक निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कोई नहीं है ।

श्री अमृत नाहाटा : क्या यह सत्य है कि राजस्थान में उदयपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर के स्थानो पर चट्टानी फास्फेट के विशाल भण्डार मिले हैं यदि हां, तो उनसे लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अपने कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या उनका उपयोग सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य जानते हैं कि जब उन्होंने इस बारे में मुझे लिखा था तो मैंने इसका उत्तर दिया था। इनकी अभी तक जांच की जा रही है तथा वे अभी ऐसे नहीं हैं कि इनके विकास का काम शुरू किया जा सके। यही मैंने आपको उत्तर दिया था ।

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know the effects the Government, are making to attain self sufficiency in sulphur ? Is the Government aware that there are sulphur deposits at Mudrchalam, Godavari belly, Guntur and Mangalgiri in Andhra Pradesh, if so, the action Government is taking to survey that area and exploit those deposits.?

Shri Ashoka Mehta : Self sufficiency cannot be attained in all the things that, as I have already stated we have taken up three items, we are trying to manufacture sulphurby developing pyrites; we are trying to manufacture such sort of fertilizers as may not require. Sulphur; we are trying to purchase sulphur at cheaper rates by contacting Middle-East Countries.

Shri Shiv Charan Lal : Is the hon. Minister aware that there are sulphur ores in Baluchistan if so, whether Government have had some talks with the Pakistan Government regarding the purchase of Sulphur ?

Shri Ashok Mehta : No. Sir.

श्री नम्बियार : इस विचार से कि वर्तमान दरें पिछले वर्षों की से पांच गुणा अधिक हैं, क्या सम्भव नहीं कि विदेशी-मुद्रा की कमी के कारण हम विदेशों से गन्धक क्रय करना ही त्याग दें ?

श्री रघुरामैया : आप गन्धक का क्रय पूर्णतया नहीं समाप्त कर सकते; आप इस पर आस्थित रहना कम कर सकते हैं ।

श्री रा० बरुआ :—गन्धक के प्रयोग को कम करने के साथ-साथ क्या कुवैत और ईरान से सस्ते दामों पर गन्धक खरीदने के भी उपाय किये गये हैं ?

श्री अशोक मेहता : कुवैत के साथ हमने कुछ प्रबन्ध किये हैं। अभी हाल ही में मैं ईरान में था तथा ईरान में भी ऐसी सम्भावनाओं की खोज कर रहे थे। इन मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री समर गुह : यद्यपि भारत में गन्धक के तत्वों के स्रोत नहीं हैं तथापि लोहे तथा घटिया कोयले की खानों के स्रोत तो हैं। लोहे तथा घटिया कोयले की खानों में गन्धक के तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं। आयरन-पायराइट्स से गन्धक निकालने के बारे में प्रश्न का उत्तर तो दे दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमोनिया खाद तथा कोयला-गैस के आसवन तरीके से घटिया श्रेणी के कोयले में से गन्धक भी एक गौण-उत्पादन के रूप में पैदा की जा सकती है। यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि भारत में काफ़ी मात्रा में मिलने वाली घटिया कोयला-गैस की धातुक से गन्धक को गौण-उत्पादन के रूप में निकाला जाये ?

श्री अशोक मेहता : हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में इसकी जांच की जा रही है। अब तक किसी बचत वाले उपाय की मुझे जानकारी नहीं मिली है।

श्री समर गुह : लाखों टन धातुक नष्ट हो जाता है ?

श्री अशोक मेहता : हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें इस बारे में खोज-बीन कर रही हैं परन्तु कोई बचाव वाला तरीका नहीं मिल पाया है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that the prices of sulphur are increasing owing to its heavy demand in the country. I want to know in which part of the country sulphur is in heavy demand and what action does the Government mainly propose to take in order to decrease this Consumption ?

Shri Ashoka Mehta : I have Stated that this is used in fertilizers, the methods of minimizing its use has also been told. But as there will be an increased demand of phosphatic fertilizer, the demand of sulphur will increase heavily even after reducing the relative proportion of sulphur in it.

श्री कमलनाथन : क्या यह सत्य है कि ट्रावन्कोर के खाद निगम ने गन्धक के आयात के लिये प्रार्थना की थी परन्तु केन्द्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रघुरामैया : एफ० ए० सी० टी० में गन्धक की कमी के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है।

श्री क० कृ० नायर : मैं जानना चाहूंगा कि फास्फेट तथा सुपर-फास्फेट को बनाने में प्रयुक्त होने वाला गन्धक क्या उसी में आत्मसात् हो जाता है अथवा उसकी पुनः प्राप्ति भी हो सकती है ?

श्री अशोक मेहता : खाद के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले गन्धक की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती।

नये उर्वरक कारखानों को रियायतें

911. श्री गाडलिंगन गौड : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 31 दिसम्बर, 1967 के बाद स्थापित किये गये उर्वरक कारखानों को मूल्य निर्धारित करने तथा वितरण करने की रियायतें देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको दी जाने वाली अन्य रियायतों सहित उन रियायतों का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जिस समय के लिए उन उर्वरक कारखानों को, जिनको 31-12-1967 से पहले लाइसेन्स दिये गये थे, अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने तथा वितरण करने की आजादी है, उस समय के लिए उन कारखानों को, जो इस तिथि के बाद स्थापित किये गये है, यह आजादी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में उर्वरक उत्पादनार्थ, रिजर्व बैंक द्वारा बम्बई के एक व्यवसाय संघ को किसी भी मूल्य पर तथा दुनिया के किसी भी भाग से गन्धक, अमोनिया और अन्य संबंधित रसायनों का कई करोड़ रुपये का आयात करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : यह तो बहुत ही साधारण प्रश्न है । यह इस समय संगत भी नहीं है । यदि वह मुझे लिख दें तो मैं हड़ताल करके उन्हें उत्तर दे दूंगा । मुझे खेद है कि ऐसे अत्यन्त साधारण प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या मैं जान सकता हूं कि दिसम्बर, 1967 के बाद स्थापित इस कारखाने को यह रियायत क्यों दी गई है तथा और ऐसे कौनसे कारखानों को यह रियायत दी गई है जो कि 31 दिसम्बर, 1967 के बाद स्थापित हुए हैं ।

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किन्ही कम्पनियों को कोई विशेषाधिकार देकर अन्य को हम वंचित नहीं कर सकते क्योंकि आप एक के मूल्यों को नियंत्रित करके दूसरे को स्वच्छन्दता से चाहे जिस मूल्य पर नहीं बेचने दे सकते । अब तक 10 कम्पनियां स्थापित हुई हैं ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष उर्वरक का देश में खर्च कितना है तथा दूसरे देशों से कितने उर्वरक का आयात किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये । मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, before I put my question, I would point out that he has not replied to this question when I put it to him earlier at two three occasions; and it is my request that he should answer it fully now. My question is whether these special concessions are brought in only to benefit the Birlas' who are installing a factory in Goa, and whether it is a fact that the Minister for Industrial Development declared in Rajya Sabha that the Birlas would not be given any industrial licence until the report of the inquiry giving against them was received ? So, under circumstances have they been granted a licence by the Ministry of Petroleum and Chemicals for installing a fertilizer factory, thereby planning to benefit them ?

Shri Asoka Mehta : So far as policy is concerned, as my colleague has stated, ten companies have been benefited and each company might have decided to install factories individually. As regards the grant of licence, the Cabinet, after going into the full details, decided that for the sake of production of fertilizer it was necessary to grant such a licence to the Hindustan Aluminium Co.

Shri Prem Chand Verma : But Mr. Speaker, the Minister of Industrial Development declared in this House itself that no licence would be granted and he must have been aware of the decision taken by the cabinet. So, either that Minister's statement is wrong or Mr. Asoka Mehta is in the wrong.

Shri Randhir Singh : I would ask the Minister that the concessions relating to fertilizers should be given to the farmers and not to the fertilizers manufacturers and that the farmers should get the fertilizers at cheap rates. Indian manufacture fertilizer is doubly costly than that is imported. I would like to ask him whether there is a scheme in regard to the prices or distributions, to benefit the farmers particularly the growers so that they may be given fertilizer at cheap rates and their demands are met with? Within what period will the farmers be provided with fertilizer at cheap rates so that agricultural production may increase in the country.

श्री अशोक मेहता : प्रथम तो मैं यह स्वीकार नहीं करता कि विदेशों के मुकाबले यहाँ दाम तिगुने हैं। दूसरे कई देशों में दाम अनुपूरित हैं। अभी पिछले दिनों तक हम भी उपदान दे रहे थे परन्तु अब हमने उसे बन्द कर दिया है। तीसरे पिछले सोमवार को ही यह बताया गया था कि जब नई तकनीकी पद्धति पर नये पौधे रोपे जाएंगे तो दामों में 40 प्रतिशत तक की कमी आ जायेगी यद्यपि मैं इस सीमा तक के लिये वचनबद्ध नहीं होना चाहूंगा। अपने अधिक उत्पादन वाले कार्यक्रम द्वारा हम देश भर की खाद सम्बन्धी मांगों को पूरा करने की स्थिति में होंगे तथा कृषक लोग उसका दाम भी दे सकेंगे क्योंकि वे दाम दुनिया भर में कहीं के भी अन-अनुपूरित दामों के मुकाबले के होंगे। उपदान लिया जाय अथवा न दिया जाये उससे मेरा मंत्रालय सम्बन्धित नहीं है।

श्री उमानाथ : सभा में सब ओर से विरोध पाने वाले मामलों में से एक खादों के दामों तथा वितरण से सम्बन्धित रियायत का मामला भी है। समय समय पर इसकी समयावधि बढ़ाने के बारे में भी अधिक विरोध रहा है। क्या समयावधि इसलिये बढ़ाई गई है योंकि विश्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार को दामों और वितरण के मामले में अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने को कहा है? क्या ये रियायतें विश्व बैंक की सलाह और दबाव के कारण ही पुनः दी गई हैं क्योंकि विश्व बैंक इसीलिये हमारी सरकार को अधिक ऋण देगा?

श्री अशोक मेहता : भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं रहा है। दूसरे 31 दिसम्बर, 1967 की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। उस अवधि में जो पौधे रोपे गये हैं उनको सात वर्ष की अवधि तक यह स्वतंत्रता मिलेगी। जो भी नया पौधा इसके बाद उभरेगा उसको आगे सात वर्ष की नहीं बल्कि सात वर्ष की कुल अवधि की शेष अवधि तक यह स्वतंत्रता मिलेगी। उदाहरणार्थ यदि वह 6 वर्ष बाद उभरता है तो उसे केवल शेष एक वर्ष तक यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा हम एक साथ दो भिन्न सिद्धान्त नहीं अपना सकते। अवधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhwai : The hon. Minister had just now said that ten new fertilizer factories are to be established, what is the position with regard to that ? The time by which the production will start and cover up our shortage? Will the hon. Minister be pleased to state whether he is going to accord some special assistance so that the agriculturists may be able to prepare cheap compost fertilizer out of the rubbish in their own villages and houses since the new fertilizers are quite costly to them ?

श्री अशोक मेहता : इसी समय मैं यह नहीं बता सकता कि ये कारखाने कब अपना उत्पादन आरम्भ कर देंगे लेकिन हमें आशा है कि इनमें से कई कारखाने 1970, 1971 और 1972 में, कुछ 1970 में, कुछ 1971 में तथा अन्य 1972 में उत्पादन आरम्भ कर देंगे, देश में उर्वरकों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और हमें आशा है कि 1972 तक सारी आवश्यकताएं स्वदेशी उत्पादन पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उत्पादन में पुनः अच्छी वृद्धि होगी। अब यह अनुमान किया जाता है कि 1975-76 तक देशी उर्वरकों की आवश्यकताएं 50 लाख टन होंगी। हमें अभी उन कारखानों

का पता नहीं लगा है जो इन उर्वरकों का उत्पादन कर सकें। हम हर सम्भव कार्य कर रहे हैं और मुझे यह विश्वास है कि हम इस उत्पादन को अपने देश में कर सकेंगे। कीमतों के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जहाँ तक कार्बनिक खाद का सम्बन्ध है यह रसायनिक खाद का पूरक है तथा कृषि मंत्रालय कार्बनिक खाद के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रही है।

Shri Hukam Chhand Kachhwai : The second part of my question has not been answered. What help the Government are going to give to the agriculturists in villages for preparing compost manure through garbage at their houses ?

श्री अशोक मेहता : मैंने कहा है कि कृषि मंत्रालय इसके लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। यदि माननीय सदस्य को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो वे उस मंत्रालय से पूछें। ।

श्री क० नारायण राव : उर्वरक के उत्पादन के लिए हमारे पास सरकारी और गैर-सरकारी एकक हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को नीति विषयक तथा कीमत निर्धारण की जो रियायत दी गई है वह सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की कीमत विषयक नीति तथा वितरण पर प्रभाव डालेगी अथवा क्या वे भी गैर-सरकारी नीतियों का तथा मूल्य-निर्धारण का पालन करेंगे ?

श्री अशोक मेहता : सरकारी क्षेत्र एककों की जब बिक्री की व्यवस्था स्वयं करनी है तो उसे भी उसी नीति का पालन करना है। मैं समझता हूं यह कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह कृषकों के लिए बहुत लाभकर है, जब उर्वरक उत्पादकों को माल के विपणन की व्यवस्था के लिए कहा जाता है तो उन्हें सारी विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करनी है और यह भी देखना है कि वे उसी उर्वरक समिश्रण का उत्पादन करते हैं जिसे कृषक चाहते हैं। उत्पादित उर्वरकों में तथा कृषकों की आवश्यकताओं में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उर्वरकों का उत्पादन कृषकों की आवश्यताओं के अनुसार होना है, उवरक उत्पादकों का उत्तरदायित्व है कि वे इस बात का ध्यान रखे कि वे उसी का उत्पादन करते हैं जिसकी कृषकों को आवश्यकता है। कृषकों के शोषण की कोई सम्भावना नहीं है। यदि इन नीतियों में कुछ परिवर्तन हुआ तो माननीय सदस्य दो वर्ष बाद स्वयं यह कहते हुए आगे आएंगे कि इनका कृषकों द्वारा विरोध होगा।

Shri Shinkre : A fertilizer factory is to be established in the private sector in Goa but the assurance for acquiring the land for the factory has not been materialised ; so the factory could not be established; therefore I would like to know when the assurance will be materialised and when the factory will be erected ?

श्री अशोक मेहता : यह गोवा सरकार और विशिष्ट उत्पादन के बीच की बात है।

Shri Shinkre : I have heard about it . . .

श्री अशोक मेहता : मैं माननीय सदस्य को उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। यह गोवा सरकार और प्रायोजना अधिकारियों के बीच का मामला है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, we import fertilizer worth Rs. 200 crores approximately every year and this involves foreign exchange. Besides, because our fertilizer requirements go on increasing and in its comparison the local production is low that is why there is fertilizer production both in the public and private sector. I want to know whether it is a fact that the delay in the organisation of the fertilizer industries which are being established or are to be established is because some of our Ministers want that the industry should be erected in another state instead of the proposed one and they have regional consideration that is why there is delay in their establishment and the local production which should go up, does not increase ?

Shri Asboka Mehta : No, Sir.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं सरकार का इस तथ्य की ओर ध्यान दिला सकता हूं कि इन प्रायोजनाओं को कच्चे माल की सप्लाई के सम्बन्ध में अब तक हमारी टेकनीक अथवा प्रयोजना का विनिधान कोयले पर आधारित था और बाद में यह नैफ्था पर आधारित हो गया और अब यह आयातित तरल अमोनिया पर आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार उर्वरक प्रयोजनाओं को चलाने के लिए आयातित कच्चे माल की बजाय देशी साधनों के पूर्ण उपयोग पर गम्भीरता से विचार कर रही है ? मैं जानना चाहता हूं क्या इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है ? इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोयागुडियम स्थित उर्वरक प्रायोजना को, जिसे पहले कोयले के आधार पर आरम्भ किया गया था, अब इस बात को सोचते हुए कि तकनीकी जानकारी तथा कच्चा माल देश में उपलब्ध है फिर उसी स्थिति पर लाया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : उर्वरक उत्पादन का हमारा कार्यक्रम मुख्य रूप से 75 प्रतिशत नाईट्रोजन 7 से 8 प्रतिशत तक अमोनिया तथा शेष कोयला, विद्युत विश्लेषण तथा अन्य वस्तुओं पर आधारित है. अधिकतर यह नैफ्था पर आधारित है जबकि अन्य उपलब्ध देशी कच्चे माल का भी पूर्ण उपयोग हो रहा है यह एक आर्थिक समस्या है कि किस सीमा तक हमें कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों का उपयोग करना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है कोयला आधारित उर्वरक कारखाने अधिक लाभकर सिद्ध हो सकते हैं। जहां तक कोरबा का सम्बन्ध है दो पृथक प्रायोजनाओं का कार्यक्रम बनाया गया है और हम मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करके उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। जो हमें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रतीत होगा उसी को अपनाते हुए हम आगे चलेंगे। कोयागुडियम के बारे में जबकि कुछ कहना कठिन है फिर भी हम दो प्रयोग करना चाहते हैं, एक नैफ्था आधारित तथा दूसरा कोयला आधारित और यदि हम देखेंगे आर्थिक आधार पर कोयला आधारित उर्वरक लाभदायक होगा तो हम इसे अपनाना चाहेंगे। उस क्षेत्र में एक उर्वरक करखाना अपेक्षित है, इसके लिए कच्चा माल क्या होना चाहिए इस सम्बन्ध में और गौर से विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक अमोनिया का प्रश्न है मेरे विचार से एक माननीय सदस्य ने, जो उनके पास ही बैठे हैं एक प्रश्न पूछा है कि सल्फर के आयात के लिए हम क्या कर रहे हैं ? यदि हम सल्फर खरीदना चाहते हैं तो कोई भी उसे तब तक देने के लिए तैयार नहीं है जब तक हम उस से कुछ और चीजें न खरीदें। इसके साथ अन्य कई और बातें भी है। दूसरे, यदि हम आमोनिया का आयात करे तो हम एक या डेढ़ वर्ष में शीघ्रता से उर्वरक दे कर सकते हैं और वह भी बड़े थोड़े निवेश के साथ, यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि तैयार उर्वरक आयात करना अच्छा है और हमें अमोनिया आयात करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है तो मैं उस दृष्टि-कोण को समझ सकता हूं। लेकिन भारत सरकार का विचार यह है कि इन सब वस्तुओं में एक समुचित सन्तुलन होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से, जो कि शासक दल के (रूलिंग पार्टी) एक बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता भी हैं, अपील करता हूं कि उन्हें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अथवा यहां तक कि प्रश्न पर टिप्पणी भी नहीं करनी है, क्योंकि इस से नीति की अवहेलना हो सकती है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमान् में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। में कोई निन्दात्मक बात नहीं कहना चाहता था। जो मैं ने कहा वह यह था कि पहले यह विचार था कि इस देश में नैफ्था का उपयोग किया जायेगा। क्योंकि हम कारखानों को स्थापित नहीं कर सके इसलिये नैफ्था का निर्यात हो रहा है। कोरबा का जहां तक सम्बन्ध है हम इसे कोयला-आधारित बनाना चाहते थे। हम ने 5

करोड़ रुपये खर्च कर के इसे छोड़ दिया। अब हम फिर उसी कच्चे माल का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं केवल यह पूछना चाहता था कि क्या सरकार उपलब्ध देशी कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करने पर विचार कर रही है ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker I raise a point of order on the Statement of Shri Ashok Mehta. He has made basic Changes in the Policy. I would tell the reason thereof. I may be given a chance.

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस सभा का नियम रहा है कि प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। में उसकी अवहेलना करना नहीं चाहूंगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सरकार ने इस बात को देखने के लिए क्या प्रबन्ध कर रखा है कि उर्वरकों का समुचित वितरण हो रहा है, और कृषकों को उर्वरक जो मूल्य किसान चुका सकते हैं उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण अधिकार गैरसरकारी क्षेत्र को दे दिये गये हैं सरकारी क्षेत्र भी उर्वरक पैदा करने वाला है। दोनों की कीमतों में क्या अन्तर होगा ? मैंने अभी मसूर के कुछ जिलों का दौरा किया। मैंने देखा कि लाइसेंस प्राप्त उर्वरक विक्रेताओं के पास बेचने के लिये कोई उर्वरक नहीं था जब कि सड़कों पर कई जगह उर्वरकों से भरे हुए बोरे पड़े थे और वे चोर बाजार की कीमतों पर मिल सकते थे। गैर-सरकारी क्षेत्र को वितरण के अधिकार देने के पश्चात् यदि सरकार इस बात का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती है कि किसानों को उर्वरक लाभकर मूल्य पर मिले तो उस का भविष्य क्या होगा ? यदि देश में अधिक उत्पादन भी होता है तो उस से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा ?

श्री अशोक मेहता : स्थिति ऐसी नहीं है, माननीय सदस्या जानती हैं कि स्थिति कैसी है क्योंकि मैंने उन्हें कई अवसरों पर स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है। पहली बात, सरकार को उत्पादन का 30 प्रतिशत ले लेने का अधिकार है, दूसरी बात, प्रायः कुल उत्पादन का 60 से 65 प्रतिशत तक सरकारी क्षेत्र में होगा। यह सब सरकार को उपलब्ध है, तीसरी बात, जो कुछ आयात किया जायेगा वह भी सरकार के पास रहेगा, इसलिए 30 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र के फर्मों से, सरकारी क्षेत्र का सारा उत्पादन, तथा जो कुछ आयात किया जाता है, यह सब का सब सरकार के हवाले हो कि वह जिस प्रकार चाहे इस का उपयोग करे। यदि किसी विशेष स्थान में इस का ठीक उपयोग न हुआ हो तो मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि मामला मुझ तक पहुंचाया जाय। मैं इस की जांच करवाऊंगा और माननीय सदस्या को यह संतोष दिलाऊंगा कि इस में सुधार कराया जाता है।

सिंचाई की सुविधायें

*812. **श्री स० च० सामन्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में (1) सामान्य कार्यक्रमों और (2) सूखे की स्थितियों का सामना करने के लिये आरम्भ किये गये कार्यक्रमों के फलस्वरूप सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1967–68 के दौरान बड़े तथा मध्यम योजनाओं से 21 लाख एकड़ भूमि को तथा उतने ही क्षेत्र को छोटी योजनाओं द्वारा अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें दी गयी ।

गत वर्षों में आरम्भ किये गये कार्यों को पूरा करने के अतिरिक्त 1967–68 में कोई विशेष सिंचाई कार्यक्रम सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए चालू नहीं किया गया ।

(ख) 1968–69 के लिए बड़ी तथा मझली योजनाओं से सिंचाई का लक्ष्य 20 लाख एकड़ है और इतना ही लक्ष्य छोटी स्कीमों का है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सारे देश की सिंचाई सुविधाओं का पता लगाया है ? क्या में पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं वे संगठन के आंकड़ों से मिलते हैं ? फिर, उस संस्था की दूसरी सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां कहीं सम्भव हो सिंचाई क्षमता का पूरा पूरा विकास किया जाय । बिहार और उत्तर प्रदेश सरीखे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम भी प्रारम्भ करते हैं । यह स्वीकृत नीति है । लेकिन यह आर्थिक प्रतिबन्धों पर निर्भर है । उदाहरणतया, 1967–68 में हम अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं । लेकिन 1968–69 में गंडक और सोन नहर जैसी प्रायोजनाओं का काम तेज करने के लिये दक्षिण बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त धनराशि व्यय की जा रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : जहां तक सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का प्रश्न है, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने उस काम के लिए कितनी रकम की आवश्यकता होगी, यह अनुमान लगा लिया है और वह राशि क्या है ?

डा० कु० ल० राव : इस वर्ष उप-प्रधान मंत्री महोदय ने उन सिंचाई प्रायोजनाओं के लिए जिन का काम पूर्ण होने वाला है और जिन से शीघ्र लाभ होगा, 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह रकम उन 5 या 6 परियोजनाओं में बांटी जायेगी जो कि निर्माण के अन्तिम दौर में हैं ।

Shri Gunanand Thakur : The Government have not learnt any lessons from the last droughts of Bihar. I want to know whether the Government have made proper arrangements for the adequate supply of water in Bihar specially to Western Kosi Canal, Gandak Project, Eastern Kosi Canal and Rajpur Canal. I also want to Know the action proposed to be taken on delay in the excavation of Kosi Canal.

डा० कु० ल० राव : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है प्रश्न दक्षिण बिहार का है । माननीय सदस्य ने उत्तर बिहार बिहार की परियोजनाएं के विषय में पूछा है । जहां तक गंडक परियोजना का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस वर्ष अतिरिक्त रूप में काफी जल की मात्रा दे रहे हैं ताकि काम की गति में तेजी लाई जा सके । पूर्वी कोसी परियोजना काफी आगे बढ़ चुकी है और आवश्यक जल उपलब्ध हो सकेगा । पूर्वी कोसी नहर की पहले 22 मील की लम्बाई नेपाल राज्य की सीमा में पड़ती है और हमें नहर का विस्तार करने के लिए उस जमीन का प्रयोग करने के लिए

महामहिम नेपाल नरेश सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी । इस सम्बन्ध में कुछ बातचीत हुई है और इसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा । में आशा करता हूं कि आगामी कुछ महीनों में इस प्रश्न का निपटारा हो जाएगा ।

Shri Gunanand Thakur: I want to know a particular question whether the Hon'ble Minister is in a position to implement Western Kosi Canal Project in 1968-69 ? For the last ten years we have been having of only research and research. I want to know the reasons for delay in supplying water to the Eastern Kosi Canal.

डा० कु० ल० राव : यदि मैं इस विशेष प्रश्न का उत्तर दे सकता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती । लेकिन बात ऐसी है कि पश्चिम कोसी नहर का कुछ हिस्सा नेपाल सरकार की सीमा में है । इसलिए हम इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते । जब तक नेपाल सरकार हमें वह जमीन देना स्वीकार नहीं करती तब तक हम वहां काम शुरू नहीं कर सकते । जैसा में पहले ही कह चुका हूं कि आगामी कुछ महीनों में इस बात का निर्णय हो जाएगा, जैसे ही यह काम हो जायगा काम शुरू करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा ।

श्री लोबो प्रभु : मैं छोटी सिंचाई की बात कहना चाहता हूं । इस साधन का दोहन करने की कोई सीमा नहीं हो सकती । क्या में मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि छोटी सिंचाई कार्यक्रम की कमियों, अर्थात् बिजली और ऋण प्रदान करना, को सरकार ने दूर क्यों नहीं किया है । लघु सिंचाई की क्षमता का पूर्ण दोहन करने के अनुरूप सरकारी नीति में पम्प सैट लगाने के लिये बिजली और ऋण दिया जाना चाहिए ।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि सारे देश में कुंओं को बिजली से चलाने की भारी मांग है और इस समय सारे देश में प्रतिवर्ष डेढ़ लाख पम्प सैटों को बिजली से चलाया जा रहा है । हम इस संख्या को दुगुना करने के लिए इस कार्यक्रम में तेजी लाना चाहते हैं । 1967–68 में देहातों में बिजली लगाने के लिये 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । 1968–69 में इस को बढ़ा कर 60 करोड़ रुपया कर दिया गया है और मुझे आशा है कि इस दिशा में अधिक काम किया जायेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को विदित है कि हमेशा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है और सरकार सिंचाई के लिए अधिक धन देने के लिए वचनबद्ध है ? यदि यह सच है तो क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा में लगातार तीन वर्षों से भारी सूखा पड़ रहा है, इस समय वहां पूरी अकाल की स्थिति है, लोग भूख से मर रहे हें, और पेय जल की बहुत कमी है ? सिंचाई के लिए विशेष रूप से नियत 25 करोड़ रुपये से में से उड़ीसा राज्य को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कितना धन किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : इस विशेष राशि में से कुछ राशि महानदी डेल्टा योजना को भी दी जायेगी, जिस का काम काफी आगे बढ़ चुका है और जिससे जनता को लाभ होगा । जहां तक छोटी सिंचाई, कुंओं के निर्माण और विद्युतीकरण का प्रश्न है, इन का महत्व सब मानते हैं । देहातों में बिजली लगाने और छोटी सिंचाई दोनों के लिये अधिक रकम की व्यवस्था की गई है । छोटी सिंचाई के लिए अगले वर्ष हम 96 करोड़ रुपये की रकम को बढ़ा कर 115 करोड़ रुपये कर रहे हैं । इसलिए, जहां तक सम्भव है, इस क्षेत्र में अधिक सहायता दी जा रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*810. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 1968 को बैंक कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई थी वह कर्मचारियों तथा नियोजकों के बीच हुए करार का उल्लंघन था ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा करारों का कितनी बार उल्लंघन किया गया; और

(ग) करार की शर्तों को दोनों पक्षों के लिये अनिवार्य बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : माननीय सदस्य के ध्यान में शायद बैंकों और उनके कर्मचारियों के बीच 19 अक्तूबर, 1966 को हुआ द्वपक्षीय समझौता है। बैंक कर्मचारियों द्वारा 28 फरवरी, 1968 को जो हड़ताल की गई थी वह 23 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा में पुरःस्थापित किये गये बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 के कुछ उपबन्धों के विरोध में की गई थी। यद्यपि इसका समझौते की किसी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये इससे समझौते का तकनीकी दृष्टिकोण से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तथापि यह महसूस किया जाता है कि यह हड़ताल इसकी भावना से संगत नहीं थी क्योंकि समझौते का एक मुख्य उद्देश्य सन्तुलित औद्योगिक सम्बन्धों, अनुशासन, कार्यकुशलता तथा उत्पादिकता को बढ़ावा देना था।

(ख) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) समझौते का उल्लंघन करने पर दण्ड देने की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में पहले ही है।

Foreign Capital Investment in India.

*813 **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some foreign capitalists have expressed their difficulties to Government in the way of their capital investment in India ;

(b) whether it is a fact that Government propose to provide some facilities with a view to attract more foreign capital investment in India; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No group of foreign businessmen nor any delegation representing any association of businessmen visiting this country in the recent past have expressed to this Ministry any difficulties in the way of their investment in India.

(b) and (c) : Government have always kept in view the importance and desirability of foreign investments in selected fields. With a view to improving the climate for investment in general, Government have, from time to time, taken various fiscal and monetary measures. It is hoped that these measures, which would be equally applicable to foreign investors would prove a sufficient inducement to them to invest in India. Government have also in mind the setting up of a Foreign Investment Board which is expected to streamline the procedures and minimise the delays in approving proposals for foreign investment.

Financial Position of West Bengal

*814 **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be plesased to state:

(a) whether it is a fact that the financial position of the West Bengal Government is very critical ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the action taken to imporve the position ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

*815. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 और 1963 में गौहाटी तेल शोधक कारखाने में योजनानुसार कार्य नहीं हो सका था जिससे उत्पादन में लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) मिट्टी का तेल साफ करने वाले यूनिट में प्रारम्भिक कठिनाइयों और परिणामस्वरूप अन्य यूनिट के परिचालन में कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ था ।

(ग) मुरम्मत और सुधार के पश्चात्, जुलाई, 1963 से मिट्टी का तेल साफ करने वाले यनिट को सन्तोषजनक रूप से चालू किया गया था ।

उर्वरक कारखाना कोर्बा

*816. **श्री बाबूराव पटेल** : **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्री रविराय : **श्री नाथूराम अहिरवार** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोर्बा में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह परियोजना कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड की एक उप-समिति इस समय मध्य-प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्र की रिपोर्ट की जांच कर रही है। निगम ने राज्य सरकार तथा दूसरे अधिकारियों को उपयुक्त प्रबन्धों तथा पानी, बिजली और कोयले आदि के बारे में आश्वासन देने के लिए भी कहा है। सरकार निदेशकों के बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

भारतीय दलित वर्ग संगठन

*817. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अस्पृश्यता निवारण के लिये भारतीय दलित वर्ग संगठन कुछ अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संगठन सरकार को कोई प्रगति प्रतिवेदन देता है और क्या इसके खातों की लेखापरीक्षा की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कार्य-कलापों और लेखों की जांच पड़ताल के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) प्रगति प्रतिवेदन तथा शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए खाते समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। 1965–66 तक के उनके खातों का निरीक्षण केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, नई दिल्ली, द्वारा भी किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल का मूल्य निर्धारित किया जाना

*818. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तैल (अशोधित तथा शोधित) का मूल्य अभी भी फारस की खाड़ी के समता सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रति मीट्रिक टन तैल (शोधित तथा अशोधित) के बन्दरगाह मूल्य क्या है ;

(ग) तैल का मूल्य निर्धारित करने के लिये बन्दरगाह की घोषणा करने का क्या आधार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार तैल की कीमत निर्धारित करने के लिये गोहाटी को बन्दरगाह घोषित करने का है क्योंकि इस समय भारत में आसाम में ही सबसे अधिक तैल मिलता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 583/68]**

निजी चिकित्सा व्यवसाइयों द्वारा गर्भपात

*819. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा व्यवसायी संस्था के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि निजी चिकित्सा व्यवसायी भी गर्भपात के आपरेशन कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आपरेशनों की कानूनी स्थिति क्या होगी; और

(ग) किन परिस्थितियों तथा शर्तों के अन्तर्गत डाक्टर ऐसे आपरेशन कर सकते हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते, परन्तु सरकार शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशों के आधार पर गर्भपात के कानून को उदार बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

राज्यों को मिट्टी के तेल का नियतन

*820. **श्री रवि राय** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों का मिट्टी के तेल का कोटा कुछ हजार मीट्रिक टन बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और राज्यों को राज्य-वार कितना कोटा नियत किया जायेगा ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी हां । 1-3-1968 से राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मिट्टी के तेल के कुल कोटे में 11050 मैट्रिक टनों की वृद्धि कर दी गई है । पुनरीक्षित आवंटन सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दर्शाये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 584/68]**

पश्चिम बंगाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता

*821. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अध्ययन दल ने, जिसने गत अक्टूबर में पश्चिम बंगाल में कटाई के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था, पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सस्ती कैन्टीन तथा सत्तू दलिया, आदि के लंगर खोलने पर व्यय न करने देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस दल ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य के रूप में मुख्यत: परीक्षण सहायता कार्य की सिफारिश की है और इस परीक्षण सहायता कार्य के लिये प्रति व्यक्ति केवल दो रुपये दैनिक दिये जाते हैं, जिससे किसी परिवार का निर्वाह नहीं होता है; और

(ग) क्या सरकार की ऐसी नीति होने के कारण कंटाई के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है तथा क्या इसके परिणामस्वरूप हजारों क्षुधापीड़ित लोग भोजन की तलाश में उड़ीसा के निकटवर्ती क्षेत्रों में जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जिस केन्द्रीय दल ने सहायता-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए, कांथी और पश्चिम बंगाल के अन्य बाढ़-पीड़ित इलाकों का दौरा किया था, उसने यह देखा कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने अन्न वितरण केन्द्र स्थापित किये हैं और दल ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सस्ती कंटीनें और भोजनालय (गुयल किचन) खोले जाने के स्थान पर परीक्षणात्मक कार्यों के द्वारा सहायता देना बेहतर है।

(ग) जी, नहीं।

Assistance to Bihar Government for Famine and Drought Relief

*822. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have requested the Central Government for an additional assistance to the tune of two crores of rupees for famine and drought relief ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

*823. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) कतिपय क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर मार्गदर्शी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाने की एक स्कीम पर विचार किया गया किन्तु मुख्य रूप से आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

*824. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से कहा गया है कि चौथी योजना के वित्त पोषण के लिए अपने आन्तरिक संसाधन बढ़ायें क्योंकि विदेशी संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित सीमा कम कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विदेशी सहायता पर निर्भर रहने को कम करने की जरूरत को देखते हुए और इस प्रकार की जितनी सहायता के उपलब्ध होने की सम्भावना है उसकी सीमित मात्रा को देखते हुए, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए आन्तरिक साधनों को जुटाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक कोशिश करनी पड़ेगी । राज्यों ने आम तौर से इस विचार से सहमति प्रकट की है ।

श्रमजीवी महिला होस्टल में रहने वाली महिलाओं द्वारा सत्याग्रह

*825. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्रीकांतन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री द० रा० परमार :
श्री किकर सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कर्ज़न रोड के श्रमजीवी महिला होस्टल में रहने वाली महिलाएं होस्टल के सामने सत्याग्रह कर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वे कब से सत्याग्रह कर रही हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक निवासी श्रमजीवी महिला होस्टल (वर्किंग गर्ल्स होस्टल) के सामने सत्याग्रह कर रही है ।

(ख) वह 3 अप्रैल, 1966 से सत्याग्रह पर कही जाती है । उनका विचार है कि प्रति स्थान का किराया अधिक लिया जाता है । यद्यपि उन्हें सरकारी वास का दखल है तथापि वह चाहती हैं कि मकान किराया भत्ता भी मिले ।

(ग) उन्हें नियमित सरकारी वास दिया गया । किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया ।

स्वचालित मशीनें लगाने के विरोध में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल

*826. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने स्वचालित मशीनों के प्रयोग के विरुद्ध देश में आम हड़ताल करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हाँ। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने 5 अप्रैल, 1968 को, स्वचालित मशीनें लगाये जाने के विरुद्ध, जीवन बीमा कर्मचारियों की एक आम हड़ताल शुरू करने का निश्चय किया है।

(ख) यह जीवन बीमा निगम का आन्तरिक मामला है। संघ को इस बारे में निगम के साथ चर्चा करके मामले को तय करना चाहिए।

राजस्थान नहर परियोजना

*827. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के सम्पूर्ण निर्माण-कार्य की पूर्ति के लिये मूलत: कितने खर्च का अनुमान लगाया गया था, यदि मूल प्राक्कलन में कोई तबदीली की गई है तो पुनरीक्षित प्राक्कलन कितनी राशि का है और इसका निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद कितना पूरा हुआ है ;

(ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कितना कार्य पूरा हुआ है और नहर के मुख्य निर्माण-कार्य तथा अन्य सहायक कार्यों पर कितना खर्च हुआ है और कार्यक्रम से इस समय काम कितना पीछे है ;

(ग) राजस्थान नहर तथा उसकी शाखाओं से कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है और अब तक वस्तुत: कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितना खाद्योत्पादन होने का अनुमान है और इस नहर के निर्माण के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और अब तक इस पर खर्च की गई राशि के अनुपात में कितना उत्पादन हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 16.84 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये 66.46 करोड़ रुपये की अनुमित लागत की राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान सरकार ने 1957 में मंजूर की थी। 1960 में सिन्धु जल सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद 1963 में प्राक्कलन दुबारा बनाये गये, जिनके अनुसार परियोजना के परिमान को काफी बढ़ा दिया गया और इसके अन्तर्गत व्यास पर संचय का प्रबन्ध करने से 28.75 लाख एकड़ भूमि की बारहमासी सिंचाई की परिकल्पना की गई। कार्य को दो भागों में पूर्ण करने का विचार किया गया। प्रथम चरण 1970-71 में पूर्ण किया जाना है। इसकी अनुमित लागत 75 करोड़ रुपये है और इसमें राजस्थान फीडर तथा वितरण प्रणाली समेत 122वें मील तक राजस्थान मुख्य नहर शामिल है। दूसरे चरण को 1977-78 में पूरा किया जाना है। इसकी अनुमित लागत 64 करोड़ रुपये है और इसमें वितरण प्रणाली समेत राजस्थान नहर के 292वें मील तक के शेष कार्य शामिल हैं।

(ख) परियोजना के निर्माण पर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और पिछले वर्ष तक कार्य प्रगति अनुसूची के अनुसार होती रही किन्तु इस वर्ष कार्य प्रगति को धन की कमी के कारण धीमा करना पड़ा। परियोजना को यथा-शीघ्र पूरा करने के लिये कोशिश की जा रही है। अनुमान है कि प्रथम चरण को पूरा करने में अनुसूचित समय अर्थात 1970-71 से एक वर्ष अधिक लग जाएगा।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना के द्वारा 28.75 लाख एकड़ के क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है । इस वर्ष वास्तविक सिंचाई लगभग 1.7 लाख एकड़ क्षेत्र में हुई जिसमें 0.3 लाख एकड़ रबी की सिंचाई भी शामिल है ।

(घ) सिंचाई शक्यता का पूर्ण विकास होने पर प्रथम चरण की समाप्ति पर लगभग 1.4 लाख टनेस अतिरिक्त अनाज तथा दूसरे चरण के समाप्त होने पर लगभग 26 लाख टनेस अतिरिक्त अनाज पैदा होने की संभावना है। कृषि के समुन्नत तरीकों को अपनाने से पैदावार की मात्रा और भीबढ़ जाएगी। इस वर्ष खाद्यान्न की पैदावार लगभग 1 लाख टनेस होने की संभावना है। निर्माण की वर्तमान अवस्था में परियोजना पर खर्च किये गये धन पर लाभ के अनुपात का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति

*828. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नायनार : **श्री नम्बियार :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों की वर्तमान हालत की जाँच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल समवाय के अफसरों के विदेशों में खाते

*829. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पता चला है कि भारतीय तेल समवाय के कुछ अधिकारियों के विदेशों में खाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अफसरों ने रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को यह नहीं बताया था कि उनके विदेशी बैंकों में खाते हैं ;

(ग) क्या इन खातों को बन्द कर दिया गया है और धनराशि को जब्त कर लिया गया है ; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) किसी भी भारतीय तेल समवाय के अफसर के विदेश में खाते होने की सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राजनयिक सेवा के अधिकारियों द्वारा विदेशी कारों की बिक्री

*830. **श्री हेम बरुआ :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी राजनयिक सेवा के कुछ अधिकारियों ने बहुत अधिक मूल्य पर भारत में अपनी विदेशी कारें बेची हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो गत दस वर्षों में इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सड़क कूटने के इंजन

*831. **श्री अब्राहम :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री नायनार : **श्री गणेश घोष :**

श्री रमानी : **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री उमानाथ : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० बी० आई० ने यूनाइटेड प्राविन्सेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सड़क कूटने के इंजनों की सप्लाई से सम्बन्धित विभिन्न आरोपों की इस बीच जाँच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधायें

*832. **श्री क० लक्कप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये समूचे देश में क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है और उन्हें किस प्रकार कियान्वित किया जा जायेगा।

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम 1957 में बनाई गई थी तथा आरम्भ की गयी थी। यह विभिन्न राज्य-सरकारों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) आरम्भ में इस योजना को देश के विभिन्न भागों के चुने गये 5,000 ग्रामों में लागू करने का विचार था। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र ग्रामों का चयन करती हैं। इसमें निम्नांकित व्यवस्था है :—

1. चुने गये ग्रामों के निवासियों अथवा ऐसे व्यक्तियों की सहकारिताओं को उनके मकानों के निर्माण/सुधार के लिए लागत के 80 प्रतिशत तक बशर्ते कि प्रत्येक मकान की अधिकतम लागत 3,000 रुपये हो, मूल तथा ब्याज के 20 वार्षिक समीकृत किस्तों में प्रदेय (चुकता) ऋण का दिया जाना। इस प्रयोजन के लिये राज्यों, आदि को केन्द्रीय सरकार के द्वारा निधियाँ दी जाती हैं।

2. भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए निःशुल्क आवास-स्थान। (ii) स्वच्छता तथा वातावरण की सफाई में सुधार करने के लिये चुने गये ग्रामों में सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था। (iii) राज्य की राजधानियों में स्थापित रूरल हाउसिंग सेल तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त अतिरिक्त ओवरसियरों के माध्यम से तकनीकी सेवा/संदर्शन की व्यवस्था, सेल के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता के व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाता है। (iv) अनुसंधान के साथ साथ प्रशिक्षण के केन्द्र, जिनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मकानों का प्रदर्शन शामिल है स्थापित करने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार आदि को आर्थिक सहायता का देना।

बी० ओ० ए० सी० विमान से सोने का पकड़ा जाना

*833. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के कलक्टर नई दिल्ली ने बी० ओ० ए० सी० पर हमारे के विमान से सोने के पकड़े जाने के बारे में दिनांक 15 फरवरी, 1968 के आदेश संख्या 2/68 में बी० ओ० ए० सी० पर हमारे देश के सीमा-शुल्क कानून का जानबूझ कर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में जांच के दौरान यह पता चला कि बी० ओ० ए० सी० 10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 5,382 किलोग्राम सोना भारत से लेकर चोरी-छिप हांग-कांग ले गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि इस बात को छुपाने के लिये कि सोना ले जाया जा रहा है, माल-सूची में "मैटल-वी" के रूप में दिखाई गई प्रविष्टियों को भारतीय सीमा-शुल्क अधिकारी कैसे नहीं देख सकें ; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता ने अपने न्याय निर्णय आदेश में बताया है कि बी० ओ० ए० सी० "मैटल-वी" अथवा "मैटल-वी बार" के रुप में बड़ी मात्राओं

में भारत से होकर सोना ले जाती रही है और उक्त न्याय निर्णय आदेश में इस प्रकार ले जाये गये। कुल छः जत्थों का ब्योरा दिया है। जिनका वजन 5382 किलोग्राम था।

(ग) और (घ). इस मामले में पूछताछ चल रही है।

पैट्रोलियम उत्पादकों के लिए मांग तथा पूर्ति के बीच असन्तुलन

*834. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में 1975 तक पैट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा पूर्ति में कोई असन्तुलन होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो इस असन्तुलन को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) 1970 के बाद नेफा के उत्पादन में कोई कमी होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). अनुमाणित असन्तुलन का समाधान निम्न-प्रकार से करने का प्रस्ताव है :—

(i) जहां संभव हो, हल्के अशोधकों का प्रयोग ;

(ii) तेल शोधक कारखानों के पैदावार के तरीकों में परिवर्तन/सुधार जिससे हल्के पदार्थों का उत्पादन अधिक मात्रा में हो ; और

(iii) कुछ चुने हुए तेल शोधक कारखानों में हाईड्रोकैकिंग जैसी गौण प्रक्रिया का प्रयोग।

(ग) जी हां।

पी० एल० 480 निधि

*835. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 निधि के अन्तर्गत गत दो वर्षों में अमरीकी दूतावास के खाते में कुल कितनी राशि जमा की गई ;

(ख) उक्त दूतावास द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) उक्त दूतावास द्वारा अपने विवेकानुसार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गयी है।

विवरण

(करोड़ रुपयों म)

क. 1965-66 और 1966-67 में पी० एल० 480 संबंधी आयात के बारे में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार के नाम जमा की गयी रकम	563.21
ख. उक्त अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पी० एल० 480 निधि से खर्च की राशि रकम :	
(1) भारग सरकार को ऋण	430.00
(2) भारत सरकार को अनुदान .	60.29
(3) कूल ऋण	29.20
(4) संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च . .	62.44
जोड़ ख . .	581.93
ग. 1-4-1966 से 31-12-1967 तक की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये गये खर्चे का व्यौरा :	
I. अमरीकी राज दूतावास द्वारा किया गया खर्च :	
1. भारत में शिक्षा संबंधी आदन-प्रदान कार्यक्रम .	2.62
2. भारत में कृषि कार्य-क्रम . .	3.00
3. अन्य प्रशानिक और कार्यक्रम संबंधी व्यय . .	17.63
II. संयुक्त राज्य अमेरिका के अतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के मिशन का खर्च	3.11
III. संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना सेवा का व्यय . .	6.06
IV. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नेपाल को सहायता . .	13.50
V. विदेशी मुद्राओं में रूपांन्तरण :--	
1. कृषि बाजार विकास के लिए . .	1.88
2. शिक्षा संबंधी आदान-प्रदान के लिए . .	3.81
3. अमरीकी पर्यटकों के हाथ बिक्री के लिए . .	0.05
4. अमरीकी नागरिकों और अमरीकी प्रतिष्ठानों के हाथ बिक्री के लिए	1.88
VI. तकनीकी सहायता न्यास निधि के लिए खर्च	8.90
जोड़ . .	62.44

हैदराबाद का निजाम

*836. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम द्वारा 1950 के प्रतिज्ञापन के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपनी सम्पत्तियों की सूची मे शामिल वस्तुओं की जांच व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक वस्तु को देख कर की गई थी अथवा उसे तात्कालीक राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर ही बिना जांच किये स्वीकार कर लिया गया था ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को तात्कालिक राज्य सरकार से इस आशय का कोई पत्र मिला था कि सूची में उल्लिखित सम्पत्तियों तथा आस्तियों की जांच सरकार द्वारा कर ली गई थी और इस मामले में की गई जांच का स्वरूप और क्षेत्र क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जिस ढंग से शासकों की प्राइवेट सम्पत्ति का निबटारा हुआ था उसे भारतीय राज्यों के श्वेत पत्र के पेराग्राफ 157 में मोटे तौर से बताया गया है। 1950 मे हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे उसके अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्राइवेट सम्पत्तियों की सूचियों की हैदराबाद की तत्कालीन सरकार द्वारा जांच पड़ताल की गयी थी और राज्य सरकार के साथ चर्चा करने के उपरान्त ये सूचियां भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी थीं ।

भारत को अमरीका से ऋण

*837. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार तथा भारत सरकार के बीच भारत को 319.4 करोड़ रूपये का ऋण दिये जाने के बारे म समझौता हुआ है ;

(ख) कितनी अवधि के बाद इस ऋण की पहली किस्त की अदायगी करनी होगी, ऋण की अदायगी किन शर्तों पर तथा किस रूप में की जायेगी ; और

(ग) इस ऋण के परिणामस्वरूप देश में होने वाली मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। पी० एल० 480 निधि में से कुल 319.4 करोड़ रुपये के तीन ऋण दिये जाने के संबंध में 8-3-1968 को करार किये गये ।

(ख) इन ऋणों का परिशोधन 61 छमाही किस्तों में किया जाना है, जो ऋण की रकम की प्रथम प्राप्ति की तारीख के दस वर्ष बाद शुरू होगा। ये किस्तें हमारी इच्छा के अनुसार रूपयों में या डालरों में दी जा सकती हैं। इन ऋणों के व्याज की दर 1 प्रतिशत से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक है।

(ग) यह सोचना ठीक नहीं है कि इस ऋण के कारण मुद्रा-बहुल्य होगा ।

सरकारी क्वाटरों का बारी से पहले आवंटन

4964. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्टूबर, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक की अवधि में बारी से पहले कितने क्वाटर आवंटित किये गये ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने क्वाटर दिये गये ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1 अक्टूबर, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक बिना बारी के आधार पर 537 क्वाटर आवंटित किये गये हैं।

(ख) टाइप के अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

टाइप	आवंटित क्वाटरों की संख्या
I	42
II	295
III	100
IV	60
V	32
VI	7
VII	1
जोड़	537

दिल्ली में सरकारी होटल

4965. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित प्रायोजित चलाये जाने वाले अथवा सरकारी धन से चल रहे कितने होटल हैं और उन के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक होटल किस किस तारीख़ को चालू किया गया है ; प्रत्येक के फर्नीचर आदि साज सामान और वातानुकूलन पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक होटल को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ; और

(घ) प्रत्येक होटल में कितने व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था है और उपरोक्त अवधि में प्रत्येक होटल का वार्षिक वेतन बिल कितना था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चार । अशोक, जनपथ, रणजीत तथा लोदी होटल ।

(ख)	चालू होने की तारीख़	होटलों को 31-3-67 पर फ़रनीचर आदि साज़ सामान और वातानुकलन की लागत
		(लाख रुपयों में)
अशोक होटल	30-10-56	70.17
जनपथ होटल	*17-10-56	18.80
†रणजीत होटल	7-11-65	7.69
†लोधी होटल	15-9-65	‡2.04
		(फरनीचर आदि साज सामान की केवल लागत)

*1 अप्रैल, 1964 से यह एक सरकारी कम्पनी के द्वारा चलाया जा रहा है । इससे पूर्व यह सरकार के द्वारा विभागीय तौर पर चलाया जाता था ।

†रणजीत होटल तथा जनपथ होटल, जनपथ होटल्ज़ लिमिटेड के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा स्वामित्व कंपनी है ।

‡होटल में कोई वातानुकुलित वास नहीं है ।

(ग)	अशोक	जनपथ	रणजीत	लोधी
		(लाख रुपये में)		
1964-65	(+)41.67	(+)4.39		
1965-66	(+)25.5	(+)2.35	(—)1.37	(—)1.34
1966-67	(+)27.49	(+)2.43	(—)3.56	(—)2.46

(+) = लाभ
(—) = हानि

(घ) वास (पलंग)

	अशोक	जनपथ	रणजीत	लोधी
1964–65 .	448	280		
1965–66 .	448	280	109	250
1966–67 .	448	284	242	250

वेतन बिल (लाख रुपयों में)

	अशोक	जनपथ	रणजीत	लोधी
1964–65 .	24.89	5.38		
1965–66	27.00	9.65	0.56	1.04
1966–67 .	27.46	10.85	2.71	2.54

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

4966. **श्री अमात** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन में सभी संवर्गों की सेवाओं में क्रमशः $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत पदों के आरक्षण के बारे में की गई सिफारिश को उड़ीसा की सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) : वर्ष 1965–66 की रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश की गई प्रतीत नहीं होती है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष 1964–65 की रिपोर्ट के पृष्ठ 152 पर पैरा 20.26 में दी गई टिप्पणियों के अनुसार उड़ीसा सरकार ने अपनी नियंत्रणाधीन पदों के 24 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत पद क्रमशः अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए हैं । ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकार अपने वचन से फिर जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में सिंगूर जलाशय

4967. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मंजीरा नदी पर मेडक जिले में सिंगूर नामक स्थान पर "सिंगूर जलाशय" बनाने की एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा इस योजना पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और इसे अब तक मंजूर न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में मंजीरा बेसिन के लिये कितना पानी नियत किया गया है, यह नियतन किस आधार पर किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों की पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय को सिंगूर परियोजना का प्रस्ताव भेजा है उस मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरा इंजीनियरी ब्यौरा मांगा है ।

(ग) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास स्कीम अभी जांच के लिए नहीं आई है ।

(घ) सहायक नदी-वार आवंटन अभी नहीं किया गया है ।

आंध्र प्रदेश में भू-संरक्षण

4968. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत भू-संरक्षण के हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में भू-संरक्षण के लिये किन परियोजनाओं के अन्तर्गत इस राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण के लिये कोई काम किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मचकुंड पन-बिजली परियोजना के वाहक्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यों के लिए 31-3-67 को खत्म होने वाली पंचवर्षीय अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को 75 88 लाख रुपये की राशि दी ।

(ग) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने निजाम सागर वाहक्षेत्र को नदी घाटी वाहक्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत सहायता के लिए अभी तक शामिल नहीं किया है । राज्य सरकार ने 4350 एकड़ क्षेत्र में थोड़ा सा काम राज्य योजना के अन्तर्गत किया है ।

बर्मा शैल, कालटेक्स तथा एस्सो तेल शोधक कारखानों की क्षमता

4969. **श्री जुगल मंडल :** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा शैल, कालटैक्स तथा एस्सो तेल शोधक कारखाने की स्थापना सम्बन्धी समझौतों के अनुसार उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है ;

(ख) बाद में इन तेल शोधक कारखानों को कितनी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है और किन कारणों से ;

(ग) क्या सरकार का विचार एस्सो तथा बर्मा शैल की क्षमता और अधिक बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) इन शोधन शालाओं की वास्तविक अनुज्ञापित क्षमता निम्न प्रकार है :—

(1) बर्मा शैल	.	2.00 मिलियन मीटर टन प्रतिवर्ष
(2) एस्सो	.	1.90 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष
(3) कालटैक्स	.	0.675 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष

(ख) इन शोधनशालाओं को निम्नलिखित परिचालन क्षमता (Throughput) पर कार्यान्विति के लिये अधिकृत किया गया है :

(1) बर्मा शैल		3.75 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष
(2) एस्सो	.	2.50 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष
(3) कालटैक्स	.	1.55 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ जाने से यह फैसला किया गया था कि इन शोधनशालाओं को अधिक क्षमताओं पर परिचालन करने दिया जाये। इस सम्बन्धित उत्पादों के आयात में कमी हुई और विदेशी मुद्रा में काफी बचत हुई ।

(ग) जी नहीं, इस समय नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नागार्जुन सागर में पम्पड स्टोरेज स्कीम

4970. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागार्जुन सागर में विद्युत् जनन सम्बन्धी पम्पड स्टोरेज स्कीम के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं तो उसे स्वीकृति देने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस स्कीम की जांच कर रहा है और उन्होंने परियोजना अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

"आइसोलेशन अस्पताल किंग्सवे कैम्प" दिल्ली को हटाकर अन्यत्र ले जाना

4971. श्री गां० श० मिश्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आइसोलेशन अस्पताल किंग्जवे कैम्प दिल्ली की स्थान स्थिति उस के ईर्द-गिर्द रह रहे निवासियों के लिये चिन्ता का विषय बन गई है ; और

(ख) क्या लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आधार पर सरकार का विचार इस अस्पताल को वहां से हटाकर कहीं दूरस्थ स्थान को ले जाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस विषय में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास मौखिक शिकायतें की गई हैं।

(ख) इस अस्पताल को वर्तमान स्थान से हटाने की तुरन्त कोई योजना नहीं है ।

फाइलेरिसिस रोग की रोक-थाम के लिये केन्द्रीय सहायता

4972. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान योजना तथा इस से पहली योजनाओं में नगरीय क्षेत्रों में फाइलेरिसिस रोग को रोक-थाम के लिए विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): राज्य सरकारों को राष्ट्रीय फालेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये पहली योजना से आगे केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए मच्छर लार्वानाशी तेल और उपकरणों की लागत का एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 585/68]

हैदराबाद में औषध अनुसंधान योजना

4973. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में मिश्रित औषध अनुसंधान योजना भारत में इसी प्रकार की अन्यत्र चल रही अन्य योजनाओं की तुलना में सफलतापूर्वक चल रही है; और

(ख) क्या वित्तीय सहायता तथा तकनीकी उपकरण देकर इस अनुसंधान केन्द्र को और अधिक उन्नत बनाने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मिश्रित औषध अनुसंधान योजना के अन्तर्गत उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में जो रसायन अनुसन्धान एकक खोला गया था वह सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है ।

(ख) इस वर्तमान एकक का विस्तार करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

चोरी छिपे लाया गया सोना

4974. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी छिपे लाये गये सोने को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा 1967 में कितने छापे मारे गये; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस संबंध में गिरफ्तार किये गये तथा दण्डित किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख): चोरी छिपे रूप में लाये गये सोने को पकड़ने के लिये सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 1967 में 992 छापे मारे । इन छापों के कारण 250 व्यक्ति पकड़े गये थे । इन मामलों में अब तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किय गया और जिनको सजा हुई उनके नामों की सूची सभा की मेज पर रख दी गयी है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 686/68)

Balmikis

4975. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Baimiki community have been traditionally doing the work of cleaning latrines etc. ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for the improvement of the conditions of said people ; and

(c) if so, nature thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr.(Smt.)Phulrenu Guha): (a) to (c); The following schemes have been in operation for improvement of the working and living conditions of sweepers and scavengers :—

(a) Supply of wheel harrows.

(2) Supply of gum boots and gloves.

(3) Provision of Houses and House-sites.

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

4976. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में सरकार द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राज्यवार कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) राज्यों में विभिन्न संस्थानों को किस आधार पर सहायता दी जाती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क)

1965–66	187.92 लाख रुपये
1966–67	148.63 लाख रुपये

(ख) एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल ० टी० 587/68]

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदानों की मजूरी ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं दो की जाती है जो अनुदानों की अदायेगी की शर्तें पूरी करती हैं ।

Chemicals for destruction of weeds

4977. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity and names of chemicals manufactured in the country at present for the destruction of weeds that grow up in farms in abundance and the names of chemicals imported from abroad this purpose ; and

(b) the targets for large-scale production of these chemicals during 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiya) : (a) The current indigenous production of chemicals for the destruction of weeds commonly known as herbicides is about 400 tonnes (technical grade). There are two herbicides produced in the country *viz.*2, 4-D and 2, 4, 5-T. Small quantities of herbicides like MCPA, Paraquat, Diquat, Dalapon, Simazine & Propanil (Stam F-34) are imported into the country.

(b) The estimated demand during 1968-69 and 1970-71 is about 1000 tonnes and 3500 tonnes respectively and efforts are being made to increase the indigenous production rapidly to meet this demand.

रसायन उद्योग की आवश्यकता के तेजाबों के मूल्यों में अन्तर

4978. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायन उद्योग के लिए अपेक्षित तेजाब एक ही क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में विभिन्न दरों पर बिक रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्यों में इस अन्तर का औद्योगिक कारखानों पर बरा प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसा विचार है कि सभी रसायनों का इसमें एक समान मूल्य हो ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां। निम्नलिखित तथ्यों के कारण प्रत्येक स्थान पर तेजाबों के मूल्यों में अन्तर होना स्वाभाविक है :—

(i) भाड़े की लागत के कारण विभिन्न स्थानों में कच्चे माल के विभिन्न मूल्य;

(ii) प्रक्रियाओं की विभिन्न लागतें, जो संयंत्रों के आकार और आयु पर निर्भर हैं;

(iii) पैकिंग की किस्म; आदि।

(ख) तेजाबों के मूल्यों में अन्तर के कारण औद्योगिक कारखानों पर प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) जी नहीं। ऐसा करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4979. **श्री गाडलिंगन गौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्य अपने विकास के लिये अपने स्वयं के संसाधनों के बिना केन्द्र पर निर्भर करते हैं; और

(ख) 1966–67 में उनको कितनी सहायता दी गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): 1966–67 में जम्मू और कश्मीर ही ऐसा राज्य था, जिसमें अपनी वार्षिक आयोजना के लिए कोई अंशदान नहीं किया। 1966–67 में जम्मू और कश्मीर के लिए 18.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गयी थी।

गन्धक का प्रयोग

4980. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने अमोनियम सल्फेट बनाने के लिये गन्धक की बजाये यूरिया का प्रयोग करके और गन्धक का तेजाब बनाने के लिये आयातित गन्धक का प्रयोग करने की बजाये पाइराइट का प्रयोग करके और इसी प्रकार से अन्य वैकल्पिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा अन्य विभिन्न उत्पादों के लिये गन्धक का प्रयोग बन्द करके गन्धक का प्रयोग कम से कम करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरमैया) : सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों में गंधक की आवश्यकता में कमी करने के हर सम्भव प्रयत्न किये हैं। यूरिया और अमोनियम सल्फेट दो अलग अलग उर्वरक हैं तथा अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये यूरिया के प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता। गंधक का इस्तेमाल किये बिना फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देशीय पाइराइट तथा अलोह धातु संयंत्रों के प्रद्रावक गैसों के प्रयोग से गंधक के तेजाब के उत्पादन का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। कुछ प्रक्रियाओं में गंधक के तेजाब की जगह अन्य वैकल्पिक पदार्थों के प्रयोग का प्रश्न भी विचाराधीन है।

उर्वरक कारखाने

4981. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में आयातित तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी राशि नियत की जायेगी और ये कारखाने किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में मिट्टी के तेल की आवश्यकता

4983. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के मिट्टी के तेल की मास-वार मांग कितनी है और दिसम्बर, 1967, जनवरी और फरवरी, 1968 में दिल्ली में खपत के लिये मिट्टी का कितना तेल नियत किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : दिसम्बर, 1967 जनवरी, 1968 और फरवरी, 1968 में में देहली संघ राज्य क्षेत्र में मिट्टी के तेल की बिक्री क्रमश: 3733, 3665 और 3694 मीटरी टन थी । ये इन महीनों में मासवार मांग का संकेत करती हैं। इस अवधि में वास्तविक मासिक आवंटन 3500 मीटरी टन था। 1 मार्च, 1968 से यह आवंटन बढ़ा कर 3,550 मीटरी टन प्रतिमास कर दिया गया है ।

Changes in Syllabus in Medical Institutes

4985. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while speaking at the annual function of the Maulana Aza Medical College held recently, he suggested certain changes in the syllabus of medical Institutions to conform to the needs of the people ; and

(b) if so, the details thereof and the action being taken to implement them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthi) : (a) and (b). In his address at the Annual Day Celebration of the Maulana Azad Medical College, the Minister of Health, Family Planning and Urban development stated that till recently no effort had been made to revise the curriculum of medical education to suit the needs of the people and that curriculum should be so oriented as to cater to the needs of the semi-urban and rural areas of the country.

The Conference of Deans and Principals of Medical Colleges held in August, 1967, also considered the question of reorienting medical education to suit the needs of rural areas and *inter-alia* made the following recommendations :

(*i*) Every medical College should prepare a regular programme for every doctor, senior or junior, to work in rural a centre for a minimum period of three months at a time, to give a lead to the younger doctors.

(*ii*) In the internship programme, one year's work for Materinity and Child Health and Family Planning in a rural centre should be compulsory. If necessary, the total period of internship could be increased by six months a year.

(*iii*) No graduate should be accepted for a post-graduate course or a foreign course unless he has done at least 2 years' service in a rural centre of which one year should be family planning and MCH.

These recommendations are being considered by Government in consultation with the State Governments, the Universities and the Medical Council of India.

Import of Kerosene Oil

4986. Shri Mohan Swarup :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation has concluded an agreemen with the U.S.S.R. for the import of oil during the current financial year ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) (a) to (c): Yes Sir. The Indian Oil Corporation have signed an agreement for the import of 360,000 tonnes of Kerosene oil from the Soviet Union during 1968. It is not in the public interest to disclose the terms and conditions of the commercial agreements under which Indian Oil Corporation is importing kerosene.

Self-Sufficiency in oil

4987. Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) the total requirements of oil in the country and the quantity of oil exploited in India;

(b) whether India imports petrol from abroad; and

(c) if so, the quantity thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) (a) The total consumption of crude oil during 1967 was 14·45 million tonnes. During the same year indigenous production was 5·7 million tonnes.

(b) There was no import of Petrol (Motor Gasoline) during 1967.

(c) Does not arise.

Gold Smuggling

4988. Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times of the 29th February, 1968 wherein a statement has been given in regard to the places where from gold was smuggled into India ;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken by Government to check smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir

(b) and (c) : The *modus operandi* mentioned in the news item was already known. The following are some important steps taken by the Government to check smuggling, including the smuggling of gold from Dubai : systematic collection and follow-up of information, setting up of reliable informers and keeping a watchful eye on the various gangs of smugglers, rummaging of suspected vessels and aircraft, patrolling of vulnerable sections of the coastal waters, and the coastline and land frontiers, launching of prosecution in suitable cases in addition to departmetal adjudication.

Drilling to Explore Oil

4989. Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of places where drilling has been done with a view to exploit oil in Uttar Pradesh, West Bengal and other States except Gujarat and Assam;

(b) the expenditure incurred thereon and the number of places where oil was found; and

(c) the places where Government propose to carry out further drilling work for oil during the next year ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) The Oil and Natural Gas Commission have undertaken drilling in 19 places in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Rajasthan, Pondicherry and Madras.

(b) The expenditure incurred so far on exploration and drilling in these places, excluding fixed assets and working capital, amounted to Rs. 30·13 crores. Oil has not been struck in these places. However, gas was encountered in a well drilled in Punjab and another in Rajasthan.

(c) During 1968-69 the ONGC has planned to continue drilling operations in Gujarat, Assam, Madras and West Bengal and to extend drilling operations to some new areas in these States. Drilling will also be undertaken in a structure in Jammu & Kashmir.

ऐलकोहली पेयों पर उत्पादन शुल्क

4990. श्री स० चं० सामन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्यसारिक तथा अन्य नशीले पेयों और औषधियों पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व 1965 से प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ख) क्या सरकार ने मद्य-निषेध की नीति को शिथिल कर दिया है और यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) कितने राज्यों ने मद्य-निषेध को शिथिल कर दिया है तथा ऐलकोहली पेय और नशीली दवाइयां बेचने वाले डिपुओं और दुकानों की संख्या बढ़ा दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्यों में उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी राजस्व में 1965-66 से लगभग 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है ।

(ख) और (ग) मद्य-निषेध एक राज्य-विषय है और इस सम्बन्ध में कोई नरमी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा की सरकारों ने इस मामले में अलग-अलग सीमाओं तक, नरमी की है ।

Major Projects in Fourth Plan

4991. Shri Shiv Charan Lal :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government would be able to spend the sum of rupees two hundred crores earmarked for the major and medium schemes in the current financial year ;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) Whether it is also a fact that the amount of aid sanctioned to Uttar Pradesh for the current year is less as compared to the population and available suitable levelled land for irrigation in the State; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) ; An outlay of Rs. 135 crores has been provided for major and medium irrigation schemes in the current financial year and it is expected that this amount would be spent.

(c) and (d). Earmarked assistance is being given to the Ramganga and Gandak Projects in Uttar Pradesh. The funds provided for these projects depend upon the progress of work on these projects, their programme for the current year and the amount that can be accommodated within the State Plan ceiling.

Indian Oil Corporation.

4992. Shri Shiv Charan Lal :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation has three separate autonomous divisions, namely, Pipeline, Marketing and Refinery and that they establish contact with one and other through the Chairman ;

(b) whether it is also a fact that the said three divisions have their separate Legal Consultants, Civil Engineers, Public Relations officers, Accounts Officers etc.; and

(c) if so, the aim for which the said corporation was divided into three separate divisions and whether the said aim has been achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c). The Indian Oil Corporation has now two Divisions, namely, the Refineries Division and the Marketing Division. Each of these Divisions is under the charge of a separate Managing Director, who looks after the normal day-to-day administration of his Division. This necessitate separate establishment for each of these two Divisions. The third Division, namely, the Pipelines Division has been abolished from 23rd February 1968 on grounds of economy and pending final allocation, this work is being looked after by the Managing Director, Refineries Division. The officers of the two Divisions have direct contacts with each other. The Chairman concerns himself with the coordination of the activities of the Divisions and the planning of the development of the Corporation's work. He performs these functions as an instrument of the Board of Directors and without encroaching on the authority of the divisional executives in normal day-to-day administration. The two separate Divisions of the Corporation were formed functional basis of the merger of Indian Refineries Limited with the Indian Oil Company on 1-9-1964 to constitute the Indian Oil Corporation.

Memorandum From Working Girls of Y.W.C.A. Hostel

4993. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the working Girls putting up in Y.W.C.A. Hostel, New Delhi, regarding some restrictions imposed on them in the said Hostel;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) In their representation the working girls have *inter-alia* requested that a long term programme for providing accommodation in the Government hostels to at least 25% of them be drawn up. It has also been requested that as an immediate remedy, those of the working girls who have to vacate their present accommodation in Y.W.C.A., be allotted accommodation in the Curzon Road Hostel after the UNCTAD is over.

(c) The manner in which the accommodation available in the Curzon Road Hostel is to be utilised, after the UNCTAD Conference, is receiving attention.

दिल्ली की बृहद् योजना

4994. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वृहद योजना में यह बात स्वीकार की गई है कि दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो 12000 मकानों के लिये रामाकृष्णपुरम की दुरस्त बस्ती में 1100 एकड़ भूमि विकसित की जाने के क्या कारण हैं जबकि डी० आई० जैड० (गोलमार्केट) और माता-सुन्दरी क्षेत्र में इतने ही मकान बनाये जा सकते हैं, यदि 60,000 व्यक्तियों के आवास के लिये इन क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) वृहद योजना में यह बात मानी गई है कि राजधानी के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग है ।

(ख) रामाकृष्णपुरम का क्षेत्र 1957 में अर्जित कर लिया गया था जब दिल्ली में दो से अधिक मंजिल वाले क्वार्टर रहने के योग्य नहीं समझे जाते थे । यह सत्य है कि गोल मार्केट और मातासुन्दरी रोड के क्षेत्रों का पुनर्विकास करने से 60,000 व्यक्तियों के लिये बहुमंजिल खण्डों में आवास की व्यवस्था सम्भव हो गई होती परन्तु उनके निर्माण पर भी रामाकृष्णपुरम में हुए निर्माण कार्य के खर्च का तीन चार गुना खर्च हो जाता ।

दिल्ली की बृहद् योजना

4995. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बृहद् योजना में अन्तर्निहत सैक्टर के आधार पर आयोजना का विचार भारतीय परम्परा के विरुद्ध है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस विचार को यूरोप में अन्य देशों द्वारा रद्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपनी योजना में संशोधन करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सैक्टर अथवा ज़ोन के आधार पर आयोजना का विचार सम्पूर्ण योजना और योजना के चरण-बद्ध विकास की सुविधा के विचार से प्रसूत है और इसलिए किसी भी देश की परम्परा का सैक्टर अथवा ज़ोन के आधार पर आयोजना की प्रक्रिया से कोई वास्ता नहीं है ।

(ख) इस विचार को यूरोप के देशों ने रद्द नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दंतचिकित्सक और दंत चिकित्सालय

4996. श्री म० ला० सोंधी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने दंतचिकित्सक हैं और देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अनुमानतः कितने दंतचिकित्सकों की आवश्यकता है; और

(ख) दंत चिकित्सालय कितने हैं और पहली तीन योजनाओं में दंत चिकित्सा पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में लगभग 7000 दन्त चिकित्सक हैं । 1:30,000 के दन्त चिकित्सक-जनसंख्या के अनुपात के आधार पर देश को लगभग 17,500 दन्त चिकित्सकों की आवश्यकता है । यह संख्या भारतीय दन्त परिषद् के विचार से फिलहाल पर्याप्त है ।

(ख) देश में लगभग 300 दन्त क्लीनिक हैं ।

जहाँ तक दन्त चिकित्सा पर हुए खर्च की राशि का प्रश्न है यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्र सहाय्यित/पुरस्कृत योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये वर्गवार दी जाती है । दन्त शिक्षा एवं दन्त सेवाओं के लिये दूसरी और तीसरी योजनाओं में क्रमशः 125.57 लाख रुपये तथा 121.97 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

दिल्ली में औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली की कमी

4997. श्री सीताराम केसरी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली की अत्यधिक कमी है; और

(ख) दिल्ली की कुल आवश्यकता क्या है और इस समय कितनी बिजली उपलब्ध है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली में उद्योगों के लिये बिजली की कोई कमी नहीं है । दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों

में उद्योग सम्बन्धी बिजली की आवश्यकताओं को दिल्ली बिजली नियन्त्रण तथा वितरण बोर्ड द्वारा उद्योग भारों को स्वीकार करने के पश्चात् ही पूरा किया जाता है ।

(ख) दिल्ली की वर्तमान अधिकतम आवश्यकता 180 मैगावाट है । भाखड़ा-नंगल प्रणाली से प्राप्त बिजली समेत दिल्ली की कुल वर्तमान वास्तविक क्षमता 200 मैगावाट से अधिक है ।

भारत में असैनिक अस्पताल और औषधालय

4999. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने असैनिक अस्पताल और औषधालय हैं;

(ख) इन अस्पतालों और औषधालयों को चलाने के लिये कितने डाक्टरों की आवश्यकता है और उसमें कितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं तथा कितने डाक्टरों की कमी है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कमी कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मुशायरा और कवि सम्मेलन

5000. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उनके मंत्रालय ने मावलंकर सभा भवन में एक मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रयोजन से किया गया था और उस पर कुल कितना धन खर्च किया गया था;

(ग) उसके आयोजन के लिये कितने सरकारी कर्मचारी लगाये गये थे;

(घ) इस सम्मेलन के फलस्वरूप कितना लाभ हुआ और उस खर्च को कहां तक उचित समझा गया था ; और

(ङ) वर्ष में इस प्रकार के कितने उत्सवों का आयोजन किया गया था और उन पर कितना खर्च हुआ था ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) मुशायरा और कवि सम्मेलन जन-प्रचार के प्रभावशाली और लोकप्रिय साधन हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों में लोगों की दिलचस्पी पैदा करने के लिए इनका आयोजन किया गया था, इन पर कुल 25,516 रुपये खर्च हुए ।

(ग) इसकी व्यवस्था के लिए परिवार नियोजन विभाग तथा दिल्ली प्रशासन के दस अधिकारियों को लगाया गया था ।

(घ) इन सम्मेलन की बहुत लोकप्रिय प्रतिक्रिया रही और श्रोताओं द्वारा बहुत सराहना की गई । लोगों को सुनाने के लिए आकाशवाणी ने इस कार्यक्रम के कुछ अंशो का प्रसारण भी किया है और इसके बार-बार लाभ उठाने के लिए आगे भी प्रसारण किए जायेंगे । परिवार नियोजन जन-प्रचार कार्यक्रम के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र प्रचार संगठन और गीत तथा नाटक विभाग इसका विस्तृत रूप से उपयोग करेंगे । इस पर किया गया व्यय वास्तव में उचित था ।

(ङ) परिवार नियोजन विभाग ने इस वर्ष इस प्रकार के अन्य कोई भी उत्सव आयोजित नहीं किये ।

हृदय प्रतिरोपण आपरेशन

5001. **श्री अद्वाकर सूपकार :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दीवीकन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री बम्बई में किये गये हृदय प्रतिरोपण आपरेशन के बारे में 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आगे अनुसन्धान के लिए अमरीका को एक विशेषज्ञ दल भेजने का है ; और

(ख) हृदय प्रतिरोपण के लिए हृदय के दान को वैध बनाने के लिए क्या सरकार का विचार विधान बनाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस विषय में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) हृदय प्रतिरोपण अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है तथा जैसे जैसे यह तकनीक विकसित होगी इसके सामाजिक, अनैतिक, कानूनी और दूसरे पहलुओ पर विचार किया जायेगा ।

बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हानि

5002. **श्री अद्वाकर सूपकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि फरवरी 1968 के अन्तिम सप्ताह में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हड़ताल के कारण सरकार को कोई हानि नहीं हुई । लेकिन यह हो सकता है कि बैंको के असामियों को, जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं, हुई स्पष्ट असुविधा के अलावा सम्बद्ध बैंकों को इसके परिणामस्वरूप कुछ हानि हुई हो । इस हानि की रकम का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ।

भारतीय तेल निगम के लिए ढोल

5003. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने तेल के 20,000 ढोल खरीदने के लिए कलकत्ता में हाल में टेंडर मांगे थे ;

(ख) यदि हां तो किन-किन फर्मों ने अपने टेंडर भेजे थे तथा उन्होंने क्या क्या दरें बताई थीं ;

(ग) क्या निगम ने उपर्युक्त टेंडर के विरुद्ध किसी फर्म को इस बीच क्रयादेश दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा क्रयादेश किस दर पर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) सार्वजनिक टेंडर के उत्तर में केवल 2 पार्टियों अर्थात् (1) मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता और (2) मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ने टेंडर भेजे थे। किन्तु मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग ने सप्लाई के लिये अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और मैसर्स भारत बैरल्ज एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने 44.50 रुपए प्रति ढोल की दर बताई जिसमें पहाड़पुर और बज-बज तक वितरण-भाड़ा शामिल है और लागू-कर इसके अलावा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दोहरा कराधान रोकने के करार

5004. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विदेशों के साथ दोहरा कराधान रोकने के लिए करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान में, आय पर दोहरे कराधान को निराकरण के लिये भारत सरकार और पाकिस्तान, श्रीलंका, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, जापान, जर्मनी के संघीय गणतन्त्र, फिनलैंड

आस्ट्रिया तथा ग्रीस के बीच व्यापक करार वर्तमान हैं। भारत और स्विटजरलैंड के बीच अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के अन्तर्गत वायुयानों के संचालन पर कर लगाने से होने वाली आय को परस्पर कर से छूट देने का सीमित समझौता भी है इसी प्रकार का एक सीमित समझौता फरवरी, 1968 में लेबनान गणतन्त्र की सरकार के साथ किया गया था। दोनो सरकारों के अनुसमर्थन करने के पश्चात् यह समझौता लागू हो जायेगा ।

वस्तु निष्कासन सीमा शुल्क

5005. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति भारतीय पत्तनो पर व्यक्तिगत वस्तुओं को ले कर उतरते हैं उनको वस्तु-निष्कासन सीमा शुल्क देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम शुल्क कितना है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इस्तेमाल किये गये व्यक्तिगत असबाब पर जैसे पहिनने के कपड़े और यात्री के व्यक्तिगत इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगता। अन्य व्यक्तिगत असबाब और घरेलू असबाब पर भी निर्दिष्ट सीमाओं तक शुल्क नहीं लगता है जो कि इन बातों पर निर्भर करता है कि विदेश में रहने की अवधि यात्राओं की पुनरावृत्ति तथा यात्रिक पर्यटक है, अथवा देश में निवास-परिवर्तन पर आ रहा है अथवा वह सामान्य-यात्री श्रेणी का है। छूट की सीमाएं यह निश्चित करने के लिए निर्धारित की गयी हैं कि कुछ खास खास श्रेणी के यात्रियों द्वारा आमतौर पर लायी जाने वाली वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है इसलिए छूट देने के मामले में कुछ सीमाएं निर्धारित करनी पड़ी हैं। जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक सामान लाते हैं उन्हें स्वभावतः सीमा-बाह्य सामान पर सीमाशुल्क देना ही होता है। शुल्क की दर, शुल्क सूची में निर्धारित है, और वह मूल्यानुसार 100 प्रतिशत है ।

गांव में बिजली लगाना

5006. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के सभी गांवों में बिजली लगाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) कार्यक्रम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए पम्पों को अर्जित करने पर बल दिया जाने लगा है। यह भी फैसला किया गया कि पम्पों को अर्जित करने के कार्यक्रम पर बल दिये जाने के साथ, जहां तक सम्भव हो, धन को

उपलब्धता के आधार पर, 1966-67 से 1970-71 तक 15 प्रतिशत गांवों को बिजली दे दी जाए । 5,66,878 गांवों में से 30 सितम्बर, 1967 तक 57,660 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी थी । यह बताना कठिन है कि कब तक भारत के सभी ग्रामों को बिजली मिल सकेगी, क्योंकि यह इस काम के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

5007. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के निर्माण इंजीनियरों की नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में जबरन छुट्टी की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा था; और

(ग) उनको रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग). किसी भी इंजीनियर की जबरन छुट्टी नहीं की गई थी किन्तु दो इंजीनियरों, जिनकी सेवा-काल अवधि पूरी हो गई थी, की सेवाएं समाप्त की गई थीं । उनकी विशिष्टियां, विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों, जहाँ उनकी सेवाओं की जरूरत होने की संभावना है भेज दी गई है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये शराब

5008. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हो रहे संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये बढ़िया किस्मों की शराब की 5,000 पेटियों का विशेष रूप से आयात किया गया था;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा लेकर इस शराब की बिक्री के लिये विज्ञान भवन में तीन विशेष मदिरालय खोले गये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने मूल्य की शराब का आयात किया गया और इस पर कितनी राशि का शुल्क छोड़ा गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग). संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन– II के प्रतिनिधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयातकर्ताओं के दिल्ली स्थित एक संघ के साथ, जो सामान्यतया सीमाशुल्क, गृह के शुल्क की गैर अदायगी वाले गोदामों में आयात की गई शराब रखता है और भारत स्थित विदेशी मिशनों की जरूरतें पूरी करता है, विज्ञान भवन में शुल्क की गैर अदायगी बाले

माल का एक स्टोर और एक फुटकर बिक्री की दूकान खोलने की व्यवस्था की गई थी । प्रतिनिधियों को बेची गई मात्रा को ध्यान में रखते हुए संघ के सदस्यों को आयात की अनुमति देकर माल की संपूर्ति की जाती है ।

विज्ञान भवन स्थित शुल्क की गैर अदायगी वाले माल को रखने के स्टोर से और फुटकर बिक्री की दूकान से प्रतिनिधियों को चीजें विदेशी मुद्रा के बदले बेची जाती हैं अथवा जिन देशों के साथ भारत सरकार का रुपये में लेनदेन का करार है उन देशों के प्रतिनिधियों को, रुपये लेकर माल बेचा जाता है ।

इस प्रकार की बिक्री कर पर 21 मार्च, 1968 तक छोड़े गये आयात शुल्क की रकम कोई 40,000 बनती है ।

(ख) विज्ञान भवन में तीन मदिरा-पान-कक्ष (बार) खोले गये हैं । वहाँ बेची गई शराब पर पूरा शुल्क वसूल किया गया होता है और वहाँ बिक्री केवल विदेशी मुद्रा में करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

भारत में शुल्क-मुक्त शराब की बिक्री

5009. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों में विदेशी मुद्रा में भुगतान के आधार पर भारत में विदेशियों को शुल्क-मुक्त विदेशी शराब बेची जाती है; और

(ख) इस प्रकार प्रत्येक स्थान में प्रति मास कितनी शराब बेची जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में विदेशी मुद्रा में अदायगी करने पर शुल्क की गैर-अदायगी वाली विदेशी शराब की बिक्री केवल पालम हवाई अड्डे की शुल्क मुक्त दुकान पर तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार-विकास सम्मेलन-II के सम्बन्ध में विज्ञान भवन, नई दिल्ली, में स्थापित किये गये शुल्क की गैर अदायगी वाले शराब-गोदाम से की जा रही है । हवाई अड्डे की शुल्क-मुक्त दुकान से बिक्री केवल बाहर जाने वाले अथवा अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान रुकने वाले यात्रियों तक ही सीमित है वे यात्री चाहे भारतीय हों अथवा विदेशी । विज्ञान भवन में शुल्क की गैर अदायगी वाले शराब-गोदाम से बिक्री केवल प्रतिनिधि-मण्डलों के नेताओं को उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये अथवा प्रतिनिधि-मण्डलों की औपचारिक पार्टियों के लिये, अथवा संयुक्त राष्ट्र व्यापार-विकास सम्मेलन-II में भाग ले रहे संयुक्त राष्ट्र अथवा उसकी विशिष्ट एजेन्सियों के उन इने-गिने उच्च अधिकारियों को की जाती है जिनको संयुक्त राष्ट्र व्यापार-विकास सम्मेलन के जिनीवा स्थित हैडक्वार्टर में इसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं ।

(ख) विदेशियों को इस प्रकार बेची गयी शराब की मात्रा निम्न प्रकार है :—

I. पालम हवाई अड्डे पर

अगस्त, 1967 . . .	36 बोतलें
सितम्बर, 1967	195 बोतलें

अक्तूबर, 1967	238 बोतलें
नवम्बर, 1967	158 बोतलें
दिसम्बर, 1967 .	285 बोतलें
जनवरी, 1968 .	185 बोतलें
फरवरी, 1968	268 बोतलें
मार्च, 1968 (21 तक) .	204 बोतलें

II. **विज्ञान भवन में बिना शुल्क की शराब के गोदाम में**

फरवरी, 1968 . .	324 बोतलें
मार्च, 1968 (21 तक) . .	1970 बोतलें

वैक्यूम एस्पिरेटर

5010. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० चन्द्रशेखर द्वारा रूस से लाया गया "वैक्यूम ऐस्पिरेटर" नामक उपकरण जिससे गर्भपात करने में केवल पाँच मिनट का समय लगता है मौलाना आज़ाद मैडिकल कालेज में बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि उसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इससे कितने गर्भपात किये गये हैं और इस काम में कितनी सुरक्षा है तथा इन प्रयोगों में कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) इसकी सहायता से 20 गर्भपात सफलता और सुरक्षापूर्वक किये गये हैं।

Restrictions on Supply of Power Generated at Bhakra and Gandhi Sagar Dams

5011. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the restrictions imposed on power generated from Bhakra and Gandhi Sagar Dams have been removed; and

(b) if so, the basis and the outline therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). There are no restrictions on the supply of power to the areas served by the Bhakra-Nangal system, *viz.* Punjab, Haryana, Delhi and Rajasthan, as the Bhakra Reservoir filled up to its full level last year. As regards the area served by the Chambal Project, restrictions in all categories of supply other than large industries have been removed. In regard to large Industries, the cut in power supply has been reduced from 35% to 20%. This restriction is due to the fact that the reservoir levels at Gandhisagar and Ranapratapsagar are relatively low.

Investment in Private Corporate Sector By L.I.C,

5012. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the percentage of the total investment funds of the Life Insurance Corporation which has been invested in the private Corporate Sector during the last ten years;

(b) whether Government have prepared a complete list of such investments made, company-wise, by the Life Insurance Corporation up to the 31st December, 1967; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) A statement is attached. [*Placed in library. See No. LT—588/68*].

(b) and (c): It is not in public interest to disclose the investments of the Life Insurance Corporation of India in individual companies.

House Rent to Class IV Einployees

5013. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class IV employees of the Central Government are paid Rs. 15 p.m. as house rent allowance, whereas they cannot get a quarter on rent at less than Rs. 30 or 35 p.m. in Delhi.

(b) if so, whether Government propose to raise their house rent allowance; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Central Government employees in Delhi drawing pay below Rs. 100 per mensem are paid Rs. 15- as House Rent Allowance. The actual rents being paid by them will differ from locality to locality and will depend on the type of accommodation hired.

(b) No, Sir.

(c) House Rent Allowance is a subsidy paid to Central Government employees towards the cost of hiring residential accommodation. It is not meant to cover the entire cost, a part of which has to be borne by the employees themselves. However, the rates of House Rent Allowance were liberalised in 1965 when the allowance admissible in Delhi to employees drawing pay below Rs. 75 p.m. went up by Rs. 5 .

Arrears of Income-tax outstanding against Certain Companies

5014. Shri Nihal Singh: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the arrears of Income-tax outstanding against M/s. Bennet Coleman and Company Ltd., Bharat Nidhi Ltd. and Sahu Jain Ltd., on the 31st March, 1967;

(b) the action taken by Government to realise the tax arrears from these Companies; and

(c) the years in respect of which Income-tax has not been assessed on these establishment.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) to (c): The information is given in the anuexure [*Placed in library. See No. LT—589/68*]

Silver Jubilee T.B. Hospital, Delhi.

5015. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that full diet is not being given to the patients in Silver Jubilee T.B. Hospital, Delhi;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to conduct an enquiry into the matter;

(c) whether it is also a fact that no proper arrangements for sanitation exist in the hospital; and

(d) if so, the arrangements made to ensure cleanliness?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy). (a) No. The patients are being given diet as per scheduled scale. There have been a few occasions when certain items of diet were not available for reasons beyond control. On such occasions patients are given alternative diet.

(b) Does not arise.

(c) No. There are proper arrangements for sanitation.

(d) Does not arise.

Theft in Opium Factory, Mandsaur

5016. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 224 on the 23rd November, 1967 and state:

(a) whether any inquiry has since been held into the theft of opium in the opium godowns at Mandsaur;

(b) if so, the persons who are conducting the inquiry and the name of the Department to which they belong;

(c) the total expenditure incurred on the inquiry so far; and

(d) the outcome of the inquiry?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Police Officers of Madhya Pradesh are conducting the investigations. The investigations were originally conducted by the Mandsaur District Police, but later on, the investigations were entrusted to the Madhya Pradesh State C.I.D. (Crime Branch).

(c) The Police officers conducting these investigations have been conducting other investigations also simultaneously. Further, they have also been assisted from time to time in their enquiries by officers of the Central Government Departments. It is, therefore, not possible to work out the expenditure incurred on this enquiry alone.

(d) The case against the accused is being sent up for trial in a court of law.

Social Welfare Institutions in Madhya Pradesh

5017. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of Social Welfare Institutions in Ujjain, Devas, Shajapur and Indore in Madhya Pradesh which are receiving grants from his Department;

(b) the amount of grant being given to each institution and the time since when each institution is receiving grants;

(c) the number of other institutions which are likely to be given grant up to the end of 1967-68; and

(d) the names of the districts in Madhya Pradesh which were paid minimum amount of grant for social welfare during 1966-67?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) One, namely, Madhya Pradesh Welfare Association for the Blind, Indore.

(b) (I) Rs. 7,125 during 1965-66 for the purchase of equipment for the Sheltered Workshop for the Blind, Indore.

(II) Rs. 64,750 sanctioned during 1967-68 for construction of a building for the Industrial Workshop for the Blind, Indore. A sum of Rs. 20,000 has been released

(c) None.

(d) No grant is given district-wise in a State.

Second Oil Refinery in Assam

5018. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 105 on the 16th November, 1967 and State:

(a) whether Government have since taken any decision in regard to the setting up of a second Oil Refinery in Assam; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) Enough crude oil is not available locally to meet the requirements of another refinery.

अस्पतालों संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशें

5019. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रविराय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दीवीकन :
श्री चंगल राय! नायडू :
श्री अम्बचेजियान :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अस्पतालों के कार्यकरण सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं । इसकी मुख्य सिफारिशें परिशिष्ट में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 590/68]**

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

नई दिल्ली स्थित अन्धों की संस्था

5020. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अन्धों की संस्था के कार्यकरण और 30 दिसम्बर, 1967 को हुई घटना के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था जिसमें बहुत से अन्धे विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सरकार ने किसी ऐसी जांच समिति का गठन नहीं किया। संस्था का प्रबन्ध कुछ व्यक्तियों के हाथ में है और उसे सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

पी० एल० 480 निधि

5021. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1966–67 और 1967–68 में प्रयोग की गई पी० एल० 480 निधि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय देश में अप्रयुक्त पड़ी पी० एल० 480 निधि की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) इस निधि के जमा होने के कारण मुद्रा–स्फीति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) 1968–69 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात का क्या कार्यक्रम है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पी० एल० 480 की रुपया-निधि की 1966-67 में इस्तेमाल की गयी रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
भारत सरकार को ऋण	350.00
भारत सरकार को अनुदान	0.12
कूल ऋण	12.45
संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च	34.00
जोड़	396.57

1967–68 में इस्तेमाल की गयी रकमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31–12–67 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि की 48 5 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध थी। यह रकम इन प्रयोजनों के लिये निर्धारित की गयी है :—

	(करोड़ रुपयों में)
भारत सरकार को ऋण	296
भारत सरकार को अनुदान	44
कूले ऋण	59
संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च	113
जोड़	485

(ग) यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे मान लिया गया है कि इन जमा रकमों से मुद्रा बाहुल्य हो जायगा।

(घ) पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1968–69 में आयात करने का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह

5022. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाना के निकट काल्वे में नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक पैट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस उद्योग समूह में प्रयोग के लिये उपलब्ध पैट्रोलियम, तेल, गैस तथा अन्य पैट्रोलियम उपोत्पादों का स्वरूप क्या है तथा उनकी संख्या क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना में नेफ्था क्रैकर से शुरू हो कर अनुप्रवाही युनिटों द्वारा इथेलीन आक्साइड और इसके संजात, इथेलीन गलाइकोल विनाइल क्लोराइट, पोली वीनाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बूटाडीन वैन्जीन, इत्यादि पदार्थों का निर्माण होगा। इसे रायल डच्च/नीदरलैंड और ब्रिटेन की शैल ग्रुप कम्पनियों के सहयोग से स्थापित किया गया है।

(ग) प्रतिवर्ष दो लाख पच्चीस हजार मीटरी टन नैफ्था जो बम्बई में स्थित बर्मा शैल शोधनशाला से उपलब्ध होगा, परियोजना के लिये पैट्रोलियम के रूप में कच्चा माल होगा।

Opening of Government Hospital in Hasanpur Tehsil of District Moradabad (U.P.)

5023. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether there is no Government hospital of good standard in the area along the banks of Ganges in Hasanpur Tehsil, District Moradabad, U.P.;

(b) whether it is a fact that during floods, most of the patients there are unable to move out and they die in the absence of any Government hospital of good standard;

(c) whether Government had got any survey done some time back regarding the construction of Government hospital in the said area; and

(d) if so, the outcome thereof and the time by which a decision is likely to be taken for the construction of a good Government Hospital in the said area ?

The Deputy Minister it the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) . The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha.

Protection of U.P. Village Against

5024. Shri Prakash Vir Shasari: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether some programme has been finally prepared for saving the Hasanpur area of Muradabad District from the on slaught of floods in river Ganga occurring every year;

(b) if so, whether the said programme would be implemented fully before the next rainy season; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). A joint inspection of the flood affected areas of Hasanpur Tehsil in Moradabad District of U.P. was carried out by the Officers of the Central Water & Power Commission and the State Government in February, 1968. These officers suggested that detailed surveys of the area lying between the right bank of the river Ganga upto the left bank of the Mahewa Nadi and other technical studies be carried out and detailed reports and estimates drawn up for raising and strengthening of the existing Jibpur Sadhu Collector Bund and for its extension towards the north. The State Government are making arrangements to start these detailed surveys, which are expected to be completed by the end of this year.

Electricity to U.P. Villages

5025. Shri Prakash Vir Shastry: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that none of the villages in the flood-affected areas on the bank of Ganga in the Hasanpur Tehsil in Muradabad District has so far been electrified;

(b) whether it is also a fact that some time back the work in regard to the installation of the electric poles beyond Adampur had been taken in hand with a view to supply electricity to the said area;

(c) whether it is further a fact that the farmers have to face much difficulty in regard to small-scale industries and irrigation facilities in the absence of electricity in the said area; and

(d) if so, whether priority proposed to be given for supplying electricity to the said area and the time by which this work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d). Since 1966-67, the emphasis in rural electrification scheme has been shifted towards energisation of pumping sets. No application for electricity are pending from any of the farmers in the flood-affected areas on the bank of Ganga in the Hasanpur Tehsil for industrial or irrigation connections. Because of the constraint on financial resources and lack of adequate load for energising pumping sets, the proposal to extend electric poles, beyond Adampur could not be implemented. The time by which the villages would be electrified cannot be definitely indicated since it depends upon the availability of funds and the development of power loads in the area.

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

5027. **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत महीने उड़ीसा के गंजम जिले का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने उस जिले में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को भी देखा था;

(ग) यदि हां, तो उन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। उन्होंने जनवरी, 1968 में उड़ीसा के गंजम जिले में जोरोहरभंगी तथा गोडाहाडो परियोजनाओं का दौरा किया था ।

(ग) और (घ). **जोरोहरभंगी परियोजना**—राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि हरभंगी नदी के बांध के खर्च को घटाया जाए तथा किसी अन्य वैकल्पिक स्थल के लिए अनुसन्धान किया जाए। राज्य सरकार ने वैकल्पिक स्थल ढूंढ लिया है और इस से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य प्रगति कर रहा है।

गोडाहाडो परियोजना :—यह परियोजना स्वीकार की जा चुकी है और इस की कार्यान्विति हो रही है ।

सालंदी और आनन्दपुर बांध परियोजना, उड़ीसा

5028. श्री स० कुन्दू : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से वार्षिक योजनाओं में सिंचाई की आनन्दपुर बाँध योजना को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस की मंजूरी दे दी है ;

(ग) क्या यह परियोजना सालंदी सिंचाई परियोजना का अंग है और सालंदी परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने सालंदी परियोजना के लिये कुछ वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अभी इस की तकनीकी जाँच हो रही है ;

(ग) जी, नहीं । यह परियोजना सालंदी सिंचाई परियोजना का भाग नहीं है किन्तु अधिकतम लाभ उठाने के लिये दोनों परियोजनाओं को समन्वित करने का प्रस्ताव है । सालंदी परियोजना के 1969 में पूरा होने की संभावना है ।

(घ) और (ङ). जी, हां । उड़ीसा सरकार ने 1967-68 में उन को 220.00 लाख रुपये की दी गई राशि के अतिरिक्त, 50 लाख पये की और सहायता मांगी थी । 20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि परियोजना को आवंटित की जा चुकी है ।

Compensation for Land Acquired by Co-operative Housing Societies in Delhi

5029. Shri Bal Raj Madhok: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Co-operative Housing Societies in Delhi had purchased land in South Delhi which was later on acquired by Government, but compensation for the same has not been paid so far; and

(b) if so the particulars of the societies to which compensation has not been paid?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy): (a) Out of 55 societies which had purchased land in South Delhi, which was later on acquired for the Planned Development of Delhi, compensation has already been paid to 21 societies.

(b) Information in respect of the remaining societies, as shown in the attached statement, is being collected. [**Placed in Library. See No. L. T. 591/68**].

Irrigation Facilities for Delhi

5030. Shri Bal Raj Madhok: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of acres of land in Delhi are not being put to proper agricultural use due to the absence of irrigation facilities;

(b) if so, whether Government has formulated any scheme for the utilisation of water from the Najafgarh Lake for this purpose;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Out of the present annual cropped area of about 2.6 lakhs acres, about 92,000 acres are receiving irrigation.

(b) to (d). A small lift irrigation scheme for utilisation of the Najafgarh Jheel waters for Irrigation inNajafgarh Block is under execution. This scheme is estimated to cost Rs. 7.55 lakhs and will irrigate an area of about 4 thousand acres.

Automatic Machines in Finance Ministry

5031. Shri Bal Raj Madhok: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the offices of his Ministry in which the use of automatic machines has been started; and

(b) its impact on the employment capacity?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) In the Ministry of Finance, the Directorate of Inspection (Research, Statistics & Publication) under the Department of Revenue is utilising the computer facility available with Central Statistical Organisation for compilation of All India Revenue Statistics.

(b) There has been no increase or decrease in the staff employment so far on account of computerisation in the office of the Director of Inspection (Research, Statistics & Publication).

पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में बाढ़ प्रभावित बांधों की मरम्मत

5032. श्री समर गुह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कन्टाई सब-डिवीजन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाँध आदि नष्ट हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि आगामी मानसून से पूर्व इन बांधों आदि की मरम्मत नहीं की जाती तो पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में खेती करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी; और

(ग) इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगली फसल लगाई जाये यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सितम्बर, 1967 के दौरान भारी वर्षा के बाद आए चक्रवाती मौसम के कारण पश्चिम-बंगाल के कण्टोई उप-प्रमण्डल में कुछ बंधों और तटबंधों में दरारें आ गई थीं और उन को क्षति पहुंची थी।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि टेस्ट रिलीफ वर्क्स के जरिये और स्वयं विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत की जा रही है।

Discrimination Between Converts of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5033. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4202 on the 14th December, 1967 and state:

(a) the reasons for making legal discrimination between converts of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether more people of Scheduled Tribes have been converted to other religions in comparison with the people of Scheduled Castes due to this legal discrimination; and

(c) if so, whether Government propose to frame uniform legislation for both these communities with a view to abolish this discrimination?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The Schedule Tribes are specified on the basis of primitive culture, a distinct social organisation, lack of contact with other sections of the population and geographical isolation. The Scheduled Castes are specified on the basis of handicaps suffered as a result of the traditional practice of untouchability in the caste hierarchy of the Hindu and the Sikh religious systems.

(b) Government do not collect such data. But it is known that a large number of Scheduled Castes have embraced Buddhism.

(c) Does not arise. In any case, no such legislation is contemplated.

Untouchability

5034. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4343 on the 14th December, 1967 and state:

(a) whether it is a fact that Government have not beenbale to root out untouchability and casteism ;

(b) if so, whether Government have ascertained the causes of its failure in this matter;

(c) if so, the details thereof and the steps taken by Government to remove them; and

(d) whether Government propose to consider Inter-caste marriage as an additional qualification in Government service along with other educational qualifications for the said purpose ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (c). Government's efforts during the last two decades in this behalf have yielded encouraging results considering the fact that this evil has been in existence for centuries. A Committee consisting mainly of Members of Parliament was constituted two years ago to evaluate the impact of measures hitherto taken, and to suggest what further steps are necessary. The report is awaited.

(*d*) No; the legality of such a course is open to doubt.

Expenditure on Social Welfare

5035. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state the amount sanctioned by Uttar Pradesh Government, District-wise and item-wise each year

for social welfare, the amount actually spent and the amount returned unutilisedsince the inception of the Social Welfare schemes till December, 1967?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : The subject relates to the State of Uttar Pradesh. The Government of India had no primary responsibility about the District-wise and item-wise break-up of expendttwre, allocation of funds and surrender, etc., to the State Government till December, 1967. The Government have therefore no information on the subject.

Akhand Jyoti in Memory of Gandhiji

5036. Shri Molbhu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to have an Akhand Jyoti in memory of Gandhiji; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). There is no such proposal.

Allotment of Accommodation to Congress and non-Congress MPs.

5037. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7836 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) the number of bungalows allotted to the Congress MPs. and non-Congress M.Ps separately so far;

(b) the reasons for which bungalows have been allotted to the MPs., who have been elected for the first time ; and

(c) the number of Congress and non-Congress M.Ps. among the newly elected Members?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The number of bungalows allotted to Congress M.Ps. and non-Congress MPs. out of the general pool and M.Ps. pool is as follows:

Pool	Congress MPs.	Non-Congress M.Ps.
General Pool	32	36
M.Ps. Pool . . .	82	53
TOTAL . .	114	89

(b) The allotment of bungalows from the general pool is made to M.Ps. on the recommendations of the Minister for Parliamentary Affairs and Chairmen, House Committees irrespective of the fact whether the Member has been elected for the first time or not. The allotments in the M.Ps. Pool are made on the advice of the House Committees of Lok Sabha/Rajya Sabha irrespective of the fact whether the Member has been elected for the first time or not.

(c) The number of Congress and non-Congress M.Ps. among the newly elected Members who have been allotted bungalows is as follows:

Pool	Congress M.Ps.	Non-Congress M.Ps.
General Pool	6	20
M.Ps. Pool	13	26
TOTAL . .	19	46

Value of teen Murti Bhawan

5038. Shri Molahu Prsad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4819 on the 6th July, 1967 and state:

(a) when the book value of the property within the premises of Teen Murti Bhawan, which is Rs. 13,77,401 was assessed ;

(b) its present market value ;

(c) the present market value of the entire Bhawan, including property within its premises; and

(d) the annual expenditure on the maintenance of this Bhawan?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) In the year 1929-30.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) During the year 1966-67, Rs. 67,464 was spent on the maintenance of the building.

लेखावाह्य धन

5039. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1965 में स्वेच्छा से काले धन को बताने की योजना चालू की थी, जिससे उसका पता लग सके;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी आय बताई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उस सारी आय पर आयकर लगाया जाना चाहिए था; और

(घ) क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग उस आय का दोबारा निर्धारण कर रहा है जो कि कुछ फर्मों में जमा करा दी गई थी; ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ। 1965 के दो वित्त अधिनियमों के द्वारा अप्रकट आय को स्वेच्छा से जाहिर करने की दो योजनाएं जारी की गयीं थीं ।

(ख) पहली योजना के अन्तर्गत 52.18 करोड़ रुपये की आय जाहिर की गयी तथा दूसरी योजना के अन्तर्गत 145.51 करोड़ रुपये की आय जाहिर की गयी ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) जी, नहीं। यदि आय को छिपाने वाले व्यक्ति द्वारा छिपायी गयी आय के सम्बन्ध में, घोषणा-योजना के अन्तर्गत, कर अदा कर दिया गया हो तो उक्त आय पर फिर से कर-निर्धारण नहीं किया जाता ।

Private Hospitals in Delhi

5040. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the exorbitant charges being made by the private hospitals and Nursing Homes in Delhi from the patients under treatment there;

(b) whether Government give any financial assistance to any of them ;

(c) whether Government propose to exercise any control on them with a view to ensure that reasonable rates are charged from patients ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Charges for treatment in some of the private Nursing Homes may be considered as high when compared to Government hospitals.

(b) Government do not give any financial assistance for the running of Private Nursing Homes.

(c) No.

(d) The Private Nursing Homes provide a service for which there is a clientele.]

Aid From Italy

5041. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1961 Government of Italy had sanctioned a loan of fortysix crores of rupees for oil industry on a request made by India out of which we could get only thirteen crores of rupees and the balance lapsed ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government of Italy has since promised to advance the balance of 33 crores of rupees of the said loan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT—592/68.]**

Profits by Foreign Oil Companies

5042.. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the foreign oil companies earn profits by distributing petrol produced in the public sector and very small quantity of petrol is distributed by the public sector ; and

(b) if so, the time by which the entire quantity of petroleum produced in public sector would be distributed by the public sector ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The Indian oil Corporation distributes through its own agency all the petroleum products produced at the public sector refineries except Motor Spirit, some quantities of which are sold through the foreign oil companies who retain the profits in marketing the product.

(b) The Indian Oil Corporation has launched a crash programme of setting up more retail outlets for the sale of Motor Spirit. It is expected that within about five years Indian Oil Corporation will be in a position to sell all of Motor Spirit produced at the Public Sector Refineries.

Family Planning Devices

5043. Shri Shashi Bhushan Bajpai : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the nature of new devices of family planning being introduced by Government

(b) whether Government propose to make available to the public some convenient and cheaper devices as could easily be understood by the people of rural areas ; and

(c) if so, the details there of ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Oral Contraceptive pills are being introduced in selected Family Planning centres in the country on an experimental-cum-demonstration basis.

(b) and (c). Research for locating cheaper and more effective contraceptive devices than those available at present is being conducted under the auspices of Indian Council of Medical Research. Further progress depends on the outcome of these researches.

Incentives under Family Planning Programme

5044. Shri Shashi Bhushan Bajpai : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state whether Government propose to give some special concessions by way of incentive to those, who have less number of children or do not have any child or are unmarried or intend to remain unmarried under the Family Planning Programme?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : The various suggestions made in this connection are being considered by the Small Family Norm Committee constituted by the Government of India.

आय कर विभाग में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

5045. श्री बेणीशंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में भी स्वचालित मशीनें प्रयोग में लायी जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे नगरों में ऐसी मशीनो के एक यूनिट द्वारा कितने क्लर्कों का काम किया जा सकेगा ; और

(ग) क्लर्कों को प्रति वर्ष वेतन आदि के रूप में कितनी राशि दी जाती है और उसी काम को करने के लिये इन मशीनों पर ब्याज, अवक्षयण, किराया शुल्क तथा अन्य चालन व्यय सहित कितना व्यय करना पड़ेगा ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लोक-सभा में 8 जून, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 373 के उत्तर के भाग (क) में जैसा बताया गया है वेतन पर कर-निर्धारण के मामलों में ही कर का हिसाब-किताब आई० बी० एम० और अन्य कम्पनियों की मार्फत मशीनी प्रक्रिया से दाम देकर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास उपलब्ध संगणक-सुविधा का उपयोग निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय राजस्व-सांख्यिकी का संकलन के काम को अद्यतन बनाने के लिये किया जा रहा है। काम में अधिकतम दक्षता लाने तथा काम को अद्यतन बनाने के लिये महत्वपूर्ण केन्द्रों में उपलब्ध संगणक-पद्धति की सुविधाओं का किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है इस बात पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा नहीं होते क्योंकि इस प्रकार की मशीनों का कोई भी एकक आयकर विभाग के उपयोग के लिए कलकत्ता, बम्बई अथवा मद्रास में अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ।

आय-कर निर्धारण के मामले

5046. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्यों ही कर निर्धारण पूरा किया जाता है ऐसे मामलों में जिनमें आयकर की राशि में कुछ बड़ी वृद्धि की जाती है आयकर अधिनियम की धाराओं 221, 271(1)(क) तथा 273 के अन्तर्गत चार प्रकार के जुर्माने की कार्यवाहियां अनिवार्यत: शुरू कर दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन मामलों में नियमित दण्ड दिये जाते हैं, जिनके विरुद्ध करदाताओं को मात्रा अपील के साथ-साथ अपील करनी पड़ती है और जब मात्रा कम होती है तो दण्ड की मात्रा स्वत: कम हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा उपबन्ध करने के लिये कि मात्रा अपील का निपटारा हो जाने के बाद ही जुर्माने की कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए, अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). कर की अदायगी में चूक करने पर धारा 221 के अन्तर्गत, बिना किसी उचित कारण के आय की विवरणी दायर नहीं करने पर धारा 271(1)(क) के अन्तर्गत, और अग्रिम कर की अदायगी के लिए आय का झूठा अनुमान दायर करने पर धारा 273 के अन्तर्गत दण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है। ये कार्यवाहियां विभिन्न प्रकार की चूकों से सम्बन्धित हैं और आयकर के निर्धारण में विशेष वृद्धि करने के सभी मामलों में आवश्यक रूप से लागू नहीं की जाती हैं और अपील में कर की रकम में कमी होने पर दण्ड में स्वत: कोई कमी भी नहीं हो जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आस्थगित वार्षिकी पालिसियां

5047. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्थगित वार्षिकी पालिसियो पर एक हिन्दू अविभाजित परिवार को कोई छूट नहीं दी जाती जबकि एक व्यक्ति के मामले में वह छूट दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर अधिनियम के अधीन किसी एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को अन्य प्रकार की बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में छूट देने के मामले में कोई भेद नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए और आस्थापित पालिसी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को मिलने वाले लाभ हिन्दू अविभाजित परिवार को भी दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के अथवा अपने जीवन-साथी के जीवन के सम्बन्ध में आस्थगित वार्षिकी पालिसी के अधीन किसी रकम की अदायगी करता है तो वह ऐसी अदायगी के एक निश्चित प्रतिशत अंश के सम्बन्ध में, अपनी कुल आय का हिसाब जोड़े जाने में आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत कटौती का अधिकारी होता है। हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा परिवार के किसी सदस्य के जीवन के सम्बन्ध में आस्थिगत वार्षिकी पालिसी के अधीन की गई अदायगियों के लिए यह कटौती उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों दोनों के ही सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा पालिसियों के अधीन की गई अदायगियों के सम्बन्ध में कर में राहत मिलती है।

(ग) इस समय कोई उपाय नहीं किए जा सकते क्योंकि व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था कानूनी है।

आयकर अधिकारियों को आयकर का ठीक निर्धारण करने के बारे में अनुदेश

5048. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सही कर निर्धारण का काम तथा दायित्व विशेष रूप से आयकर का निर्धारण का काम, इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये आयकर अधिकारियों को सौंपा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अधिकारियों को कोई विभागीय परिपत्र अथवा निदेश भेजे गये हैं कि वे कतिपय ऐसे मामलों में जिनके बारे में कानून में कोई प्राधिकार अथवा उपबन्ध नहीं किया गया है तथा जो विशेष राशि के हैं, आयकर निरीक्षक सहायक आयुक्त तथा कुछ मामलों में आयकर आयुक्त से प्रारूप कर-निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त किया करें; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। लेकिन कुछ आयकर आयुक्तों ने आदेश जारी किये थे, जिनके अनुसार आयकर अधिकारियों को कुछ किस्म के मामलों में कर-निर्धारण के आदेशों का मसौदा निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों को अनुमोदनार्थ पेश करना होता था। आयकर आयुक्तों द्वारा किये गये ऐसे सब आदेशों को वापस लेने के लिए आयुक्तों को कह दिया गया है।

बी० ओ० ए० सी० के विमान से जब्त किया गया सोना

5049. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ओ० ए० सी० ने 14 सितम्बर, 1967 को उनके द्वारा ले जाये जाने वाले सोने को जब्त किये जाने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती दी है और वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) इस प्रश्न पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहर बांध परियोजना

5050. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अम्बचेजियान :**
श्री दीवीकन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल नियंत्रण बोर्ड ने जवाहर बांध परियोजना के लिये राज्य योजना में निर्धारित धन के अतिरिक्त और धन नियत किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चम्बल नियन्त्रण बोर्ड ने इस परियोजना के लिए, राज्य योजना में निर्धारित राशि के अतिरिक्त और धन देने के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया था और यह फैसला किया गया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग कार्यों की कार्य-प्रगति को देखे और अतिरिक्त धन की आवश्यकताओं को आंकें।

दंत क्लीनिक

5051. **श्री चेंगलराया नायडू : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दन्त परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा दन्त क्लिनिक स्थापित करने की योजनायें चलाई जानी चाहियें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परिषद् ने केन्द्र तथा राज्यों में दन्त सैल बनाने के लिये भी सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) परिषद् द्वारा अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां, किन्तु योजनाओं को केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वे राज्य क्षेत्र में होंगी।

(ख) जी, हां। में पहले से ही एक दन्त एकक है। राज्यों में ऐसे एककों की स्थापना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

(ग) परिषद् ने और कोई और सुझाव नहीं दिये।

पश्चिम बंगाल में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों की अधिकतम सीमा

5052. **श्री दीवीकन :** **श्री अंबचेजियान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में अत्यावश्यक वस्तुओं की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से लागू होगी;

(ग) क्या इस निर्णय से राज्य में मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सहायता मिलेगी ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने और धन मांगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से ((ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में भर्ती नियम

5053. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द० रा० परमार :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री किकर सिंह :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री उमा नाथ :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था" में कोई भर्ती नियम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों को अस्पताल के कर्मचारियों को परिचालित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक संस्था ने भर्ती के नियमों का एक सेट बनाया है : जिसकी प्रतियां वेलफेयर अफसर, लेबर अफसर, तथा संस्थान की स्टाफ समितियों के सचिवों को कर्मचारियों के सूचनार्थ दे दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भर्ती के नियमों की प्रति सभा-पटल पर रख दी जाएगी ;

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड

5054. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स गंधक की कमी के कारण फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने कम्पनी को अपने आप गंधक के खरीदने की अनुमति नहीं दी है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कालाल और नवगांव तेल-क्षेत्रों से तेल

5055. श्री द० रा० परमार : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालोल और नवगांव तेल क्षेत्रों के प्राकृतिक तेल से स्नेहक तेल तैयार किये जाने की बड़ी सम्भावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पैट्रोलियम-रासायनिक उत्पादों में दिलचस्पी रखने वाले एक पक्ष ने इन क्षेत्रों के तेल उत्पादों से स्नेहक तेल तैयार करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में दूसरा तेल शोधक कारखाना

5056. श्री द० रा० परमार : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजारात के तेल क्षेत्रों की अधिक क्षमता को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार गुजरात राज्य में एक अन्य तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस अवस्था में है और उसे कहां पर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फारस की खाड़ी से तेल

5057. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वेत और फारस की खाड़ी में तेल की उत्पादन लागत क्रमशः प्रति बैरल 6.26 सेंट और 15 सेंट है ;

(ख) भारत में इस तेल का किन दरों पर आयात किया जाता है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) इस विषय पर सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है ।

(ख) जहाज पर्यन्त निःशुल्क (f. o. b.) इंन्दराज मूल्य 1.79 डालर प्रति बैरल के मुकाबले में इस समय लाइट इरानियन कच्चे तेल के लिए अदा किया गया मूल्य 1.41 डालर प्रति बैरल है तथा जहाज पर्यन्त निःशुल्क इंदराज मूल्य 1.59 डालर प्रति बैरल के मुकाबले में कुवैत के कच्चे तेल के लिए इस समय अदा किया गया मूल्य 1.34 डालर प्रति बैरल है ।

(ग) आयात मूल्य, जो तेल कम्पनियों के साथ बातचीत करने के बाद उपलब्ध हुए हैं; बहुत उपयुक्त है ।

अखिल भारतीय गुज्जर आदिम जाति कल्याण समिति

5058. **श्री जो० ना० हजारिका** :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री उमानाथ :
श्री प्र० ना० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से अखिल भारतीय गुज्जर आदिम जाति कल्याण समिति (पंजीकृत) को जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश देहरादून में है, कोई अनुदान दिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा संस्थानों के डाक्टर

5059. **श्री स० मो बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार तथा नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों से सम्बद्ध डाक्टरों को केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास, मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). यह मान कर कि यह संदर्भ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का है केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का नहीं, स्थिति यह है कि सुरक्षा मन्त्रालय के कहने पर आर्डनेंस फैक्टरी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये, आर्डनेंस फैक्टरियों के मैडिकल अफसरों के पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा काडर में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

सुनारों को प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

5060. श्री सम्बन्धन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनारों को अपना व्यवसाय पुनः शरू करने के लिये प्रमाणपत्रों के जारी किये जाने के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि वे उन्हें दिये गये ऋणों का भुगतान कर दें;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्णकार संघ से उन सुनारों को छूट देने के बारे में जिन्होंने ब्याज सहित ऋण अदा कर दिये हैं कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण दिये हैं जो विस्थापित स्वर्णकारों को फिर से बसाने के निमित्त वितरित किये जा सकें। भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966 के अन्तर्गत 14 कैरेट के प्रतिबन्ध को हटा लेने से यह व्यवस्था की गयी कि जिन स्वर्णकारों को पुनः स्थापन सम्बन्धी ऋण मिल चुके थे वे भी स्वर्णकारी करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा ऋण निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वापस अदा कर दिया जाय। यह अवधि 31-5-1967 को समाप्त हो गयी है लेकिन कठिन तथा योग्य मामलो में, तथा पर्याप्त कारण बताये जाने पर यह अवधि समुचित तौर पर बढ़ाई जा सकती थी।

(ख) जिन सुनारो ने निर्धारित अवधि में ऋणों की ब्याज सहित वापस अदायगी कर दी और प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पेश किया उन को इस बाबत मंजूरी दे दी गयी। इसलिए उनके किसी प्रकार की दरख्वास्त करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन ऐसी दरख्वास्तें की गई हैं जिनमें कहा गया है कि इन ऋणों की वसूली माफ करके अथवा ऋण की वापस अदायगी अधूरी रहते हुये भी स्वर्णकारों को अपना पुराने कारोबार फिर से शुरु करने की इजाजत दे दी जाय।

(ग) ऋणों तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य लाभों का अभिप्राय यही था कि स्वर्णकार वैकल्पिक कारोबार में बस जांय। इस बारे में सरकार की नीति यही रही है कि विस्थापित सुनारों को नये कारोबारों में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। जो दरख्वास्तें आई थीं उन पर इसी पृष्ठभूमि के आधार पर विचार किया गया है तथा सरकार का खयाल है कि स्वर्णकारों को अपने कारोबार में वापस लौटने देने और साथ ही पुनर्वास-योजनाओं का लाभ उठाते रहने देने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5061. **श्री चिन्टतामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 और 1967–68 में उड़ीसा सरकार को राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये वस्तुत: कितना धन नियत किया गया तथा 1968–69 में कितना धन देने का विचार है; और

(ख) अब तक ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा 1968–69 में कितने ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति (क) उड़ीसा सरकार को 1966–67 में सभी स्वास्थ्य योजनाओं के लिये, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण भी सम्मिलित है 81.55 लाख रुपये की राशि दी गई थी। क्योंकि सहायता स्वास्थ्य योजनाओं के एक वर्ग के लिये दी गई थी इसलिये यह तुरन्त मालूम नहीं किया जा सकता कि 81.55 लाख रुपये की कुल रकम में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये अलग से कितनी रकम रखी गई थी।

उड़ीसा सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये 1967–68 में 24.25 लाख रुपये की राशि दी गई।

उड़ीसा के लिये 1968–69 की कुल 2 करोड़ रुपये की अस्थायी व्यवस्था में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये कितनी राशि का नियतन किया जाना है, उसका अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) 314 सामुदायिक विकास खण्डों के विरुद्ध उड़ीसा में 301 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं। बाकी 13 सामुदायिक विकास खण्डो में 1968–69 में 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

5062. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की सरकार ने राज्य के 9 जिलों में 1967–68 में पड़े सूखे के कारण फसलों को हुई हानि के बारे में अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो फसल की कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) उड़ीसा में सितम्बर-अक्टूबर 1967 के महीनो में नाकाफी वर्षा होने के कारण राज्य के कुछ इलाकों में सूखे

की स्थिति होने के सम्बन्ध में, उड़ीसा की सरकार ने नवम्बर 1967 में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी थी। राज्य सरकार ने फसलों को होने वाली हानि के बारे में अपना अन्तिम अनुमान अभी नहीं भेजा है ।

(ग) और (घ). बाढ़ों और तूफानों आदि दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता की मंजूरशुदा मदों पर राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्च के सम्बन्ध में उसे सहायता देते समय, सूखा-सहायता सम्बन्धी उपायों पर किये गये वास्तविक खर्च का ध्यान रखा जा रहा है।

नागपुर में कोवाल्ट बीम थैरापी यूनिट की स्थापना

5063. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कोलम्बो योजना पूंजी सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत में कितने कोवाल्ट बीम थेरापी यूनिट प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने यूनिटों की स्थापना हो चुकी है;

(ख) क्या यह सच है कि नागपुर के आसपास लगभग 500 मील के क्षेत्र में 'कोवाल्ट बीम थेरापी" द्वारा कैंसर के इलाज के लिये कोई अस्पताल नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों ने नागपुर स्थित मायो अस्पताल में कोवाल्ट बीम थैरापी यूनिट स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) कोलम्बो योजना पूंजी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 22 कोवाल्ट बीम थेरापी एकक प्राप्त हुए हैं और वे सब के सब लगाए जा चुके हैं।

(ख) ऐसे उपचार की सुविधा नागपुर के इर्द गिर्द बम्बई, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा मिराज में उपलब्ध है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस विषय पर विभिन्न केन्द्रों की स्पर्धा मांगों के संदर्भ में विचार किया जाएगा ।

महाराष्ट्र में पेंच परियोजना

5064. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र की पेंच परियोजना के विस्तृत प्रतिवेदन को मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अभी नहीं।

(ख) जल विभाजन जल प्लावन आदि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं को अभी तय करना है। केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विविध तकनीकी पहलुओं पर टिप्पणियों के उत्तर भी राज्य सरकारों से अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) पेंच पन बिजली परियोजना की अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपये हैं।

सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

5065. श्री देवराव पाटिल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर बर्धा अपर पेनगंगा और अपर तापी सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है और प्रत्येक परियोजना द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी; और

(ग) इन परियोजनाओं में कब तक कार्य आरम्भ की जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अभी नहीं।

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और उनसे सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (लाख एकड़)
अपर वार्धा	16.96	1.88
अपर पेनगंगा	32.06	2.58
अपर तापी	12.48	1.37

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत योजनाएं

5066. डा० कर्णी सिंह: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्प बचत योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लक्ष्य पूरे कर लिये हैं और पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ग्रामीण क्षेत्रों में हुए छोटी बचतों के संग्रहों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। लेकिन पिछले पांच वर्षों के सम्बन्ध में छोटी बचतों के संग्रहों के अखिल भारतीय अनुमान और वास्तविक शुद्ध संग्रहों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:--

(करोड़ रुपयो में)

	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रह
1962-63	105	72.93
1963-64	105	127.54
1964-65	125	129.77
1965-66	135	152.50
1966-67	135	118.95

भारत में उर्वरक परियोजना

5067. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक उर्वरक परियोजना के लिये फ्रांसीसी पोलैण्ड के सार्थसंघ का प्रस्ताव इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) विस्तृत प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी लूप

5068. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में प्रयोग किये जाने वाले अमरीकी लूप दोषयुक्त पाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं। लिप्पीज लूप जिसका परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयोग किया जा रहा है, भारत में ही तैयार किया जा रहा है और तुलना में सबसे अच्छी किस्म का है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का उत्पादन

5069. श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री उमा नाथ :**
श्री अब्राहम : **श्री वि० कु० मोडेक :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के उत्पादन के सम्बन्ध में श्री शिवारामन की अध्यक्षता में बनाये गये उर्वरक दल ने क्या वास्तविक निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ख) क्या (1) कोयले पर आधारित उर्वरक (2) भारी तेल पर आधारित उर्वरक (आँशिक रूप से ऑक्सीड्रीजेशन विधि) और (3) कोक ओवन गैस से उर्वरकों का उत्पादन करने की कोई योजना है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) उर्वरक उद्योग में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करने के लिये उर्वरक दल ने विदेश का दौरा किया। उसके बाद कुछ विदेशी निवेशकों ने या तो स्वयम और या भारतीय उद्यमकर्ताओं के साथ में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये प्रस्ताव दिये।

(ख) (1) कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की शवयता तथा आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। (2) और (3) कोई नई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा स्नेहक तेल का आयात

5070. श्री मध लिमये : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने विदेशी तेलवाहक जहाजों का प्रयोग करके हाल ही में तेल का भारी आयात किया है और इसके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय नौवहन निगम के पास अपने तेलवाहक जहाज हैं और वह भारतीय तेल निगम को ये तेलवाहक जहाज दे सकता था जिसके लिये केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान करना पड़ता ;

(ग) यदि हां, तो विदेशी तेलवाहक जहाजों और नौवहन समवायों को प्रयोग में लाने का क्या कारण है;

(घ) विदेशी मुद्रा खर्च करने से कितनी हानि हुई ; और

(ङ) क्या भारतीय नौवहनग निम ने भारतीय तेल निगम को इस नीति का विरोध किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) : भारतीय तेल निगम ने विदेशी तेलवाहक जहाजों का प्रयोग करके स्नेहक तेलों का भारी आयात किया है। यह परिवहन मन्त्रालय द्वारा किसी उपयुक्त भारतीय जहाज के उपलब्ध न होने का प्रमाणपत्र दिये जाने के बाद ही वर्तमान पद्धति के अनुसार किया गया है। उपरोक्त विदेशी तेलवाहक जहाज जिस समय किराये पर लिया गया उस समय भारतीय नौवहन निगम के पास ऐसा कोई तेलवाहक जहाज नहीं था जो भारतीय तेल निगम की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा खरीद

5071. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन इस देश में खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 15 से 20 प्रतिशत अधिक धन राशि देता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन को सप्लाई करने वाली फर्में कुछ अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों और संगठनों को वही वस्तुएं 15 से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर सप्लाई कर रही है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी जाँच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन सार्वजनिक टैण्डरों के आधार पर खरीद करती है।

(ख) से (घ) : विभिन्न संगठनों द्वारा दिये गये तथा ईण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा दिये गये तुलनात्मक क्रय मूल्यों को जानने के लिये किसी जाँच का आदेश नहीं दिया गया है।

राजाजी नगर स्थित मैसूर इलेक्ट्रो-कैमिकल्स वर्क्स

5072. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंगलौर में राजाजी नगर में स्थित मैसूर इलेक्ट्रो-कैमिकल वर्क्स द्वारा उत्पादन शुल्क तथा आय कर का अपवंचन किये जाने और झूठे ढंग से बकों से रुपये निकाले जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या उस आरोप के समर्थन में फोटोस्टेट कापी जैसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) क्या इन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जाँच कराई गई है ; और

(घ) यदि हाँ तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) और (ख) : मैसूर इलेक्ट्रो-कैमिकल वर्क्स, राजाजीनगर, बैंगलौर के प्रबन्ध-निदेशक के खिलाफ, कुछ दस्तावेजों की फोटो-प्रतियों के साथ एक शिकायत एक संसद सदस्य की मार्फत प्राप्त हुई है जिसमें प्रबन्ध निदेशक पर कुछ आरोप लगाये गये हैं।

(ग) और (घ) : सम्बन्धित अधिकारियों को आरोपों की जाँच करने के लिये कहा गया है। जाँच चल रही है।

"Evasion of Excise Duty By Certain Companies"

5073. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the East India Cotton Manufacturers Ltd. Faribadad, Dhariwal Woollen Mills, Radio Manufacturers, Jama Masjid, Delhi; Spray Lit Paint Factory ; Delhi, Wires and Cables etc. firms are evading Excise duty ; and

(b) if so, the action being taken to detect the evasion of excise duty by the said firms ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) No specific case of evasion of Central Excise duty by any of the companies/firms mentioned by the Hon'ble Member except in the case of East India Cotton Manufacturers Ltd., Faridabad has come to the notice of Government. On investigation, no case for violation of Central Excise Rules was established against this company.

Some minor seizures were made in the case of certain wire and cable firms of Delhi during 1967 and these were dealt with suitably.

कास्टिक सोडे का उत्पादन

5074. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है और भारत में उद्योगों को कितने कास्टिक सोडा की आवश्यकता है ;

(ख) क्या निर्यात के लिये कुछ कास्टिक सोडा फालतू बचता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उसकी बिक्री के लिये बाजारों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) भारत के अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (अल्कली निर्माताओं की संख्या) के अनुसार 1967 से 1969 की अवधि में कास्टिक सोडे का उत्पादन एवं माँग निम्न प्रकार होगी :—

	'000 मीटरी टनों में मात्रा		
	1967	1968	1969
उत्पादन . .	252	305	340
माँग	284	304	326

(ख) यह पूर्वानुमानित है कि 1968 से सालाना कास्टिक सोडे के कुछ हजार मीटरी टन फालतू होंगे ; जो निर्यात के लिए उपलब्ध होंगे ।

(ग) भारत में अल्कली-निर्माताओं की संख्या निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन करती रही है । कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं ।

भुगतान संतुलन

5075. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका सरकार द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिये घोषित उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उनका तथा भारत पर उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस घोषणा के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :(क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अपनी शोधनसन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में लगभग 300 करोड़ डालर का सुधार करने के लिए जो उपाय करने की घोषणा की है, उनमें ये उपाय शामिल हैं : (1) विदेशों में अमरीकी निवेश में 100 करोड़ डालर की कटौती, (2) संयुक्त राज्य अमरिका की वित्तीय संस्थाओं से विदेशों द्वारा लिये जाने वाले ऋण में 50 करोड़ डालर की कमी, (3) विदेशों में विदेशी सहायता और रक्षा के क्षेत्र में सरकारी खर्च में 50 करोड़ डालर की कमी, (4) संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों द्वारा पर्यटन-सम्बन्धी परिव्यय में 50 करोड़ डालर की कमी और (5) संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार-अधिशेष में 50 करोड़ डालर की वृद्धि करने का कार्यक्रम तैयार करना ।

(ख) और (ग) अभी इतनी जल्दी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन उपायों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन में से कुछ उपायों को क्रियान्वित करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बातचीत करना और कानून बनाना आवश्यक है और इसमें अभी समय लगेगा। फिर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

कच्छ के ग्रामवासी से पकड़ी गई चांदी

5076. श्री देवेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के एक गांव से लगभग दस लाख रुपये के मूल्य की 60 चाँदी की छड़ें लगभग दो सप्ताह पहले पकड़ी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश तस्कर व्यापारी पाकिस्तानी हैं जिनको पारपत्र विनियमों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ उदारता का व्यवहार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी देसी नौकायें जिनमें डीजल के इंजन लगे हुए हैं मछली पकड़ने की नावें नहीं हैं अपितु तस्कर व्यापार करने वाली नावें हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मामले की जाँच करने का तथा तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) पुलिस अफसरों की सहायता से सीमाशुल्क अधिकारियों ने 15 फरवरी 1968 को कच्छ-मांडवी से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गाँव बम्भड़ो के निकट समुद्र-तट से 69 बण्डल बरामद किये जिनमें 2084 किलोग्राम चाँदी थी। चाँदी का मूल्य लगभग 10,92,000 रुपये है।

(ख) यह मालूम नहीं है कि भारत के पश्चिम तट पर सक्रिय तस्करों में से अधिकाँश तस्कर पाकिस्तान के हैं परन्तु यह सच है कि अभी हाल में कुछ पाकिस्तानी जहाज पकड़े गये थे और कच्छ समुद्रतट पर भारत में बिना इजाजत के प्रवेश करने और संदिग्ध अवैध तस्कर व्यापार करने के अपराध में कई पाकिस्तानी राष्ट्रिक पकड़े गये थे। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ सीमाशुल्क कानून के और पारपत्र नियमों के भी उल्लंघन के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। भारत के अन्दर कच्छ क्षेत्र में 3 फरवरी और 25 फरवरी 1968 के बीच बिना इजाजत प्रवेश करने के अपराध में पकड़े गये 443 व्यक्तियों में से अब तक 64 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और उनको भारत में अवैध प्रवेश के लिये सजा दी गयी है।

(ग) कुछ मशीनी जहाजों को, जो स्पष्ट तौर पर मछली पकड़ने के लिये आते हैं तस्कर-व्यापार के लिये इस्तेमाल होते पाये गये हैं।

(घ) इस मामलों पर सरकार पहले ही विचार कर रही है और तस्करी को रोकने से सम्बन्धित सभी पक्ष सतर्क हैं।

भारतीय उर्वरक निगम, नंगल

5077. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों की श्रमिक विरोधी कार्यशाहियों के कारण भारतीय उर्वरक निगम, नंगल में औद्योगिक सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में अधिकारियों के ग्रेड चार बार बढ़ा दिये गये हैं परन्तु कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के ग्रेड एक बार भी नहीं बढ़ाये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरक निगम, नंगल

5078. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम, नंगल के प्रबन्धकों ने लाभांश दिये जाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों की माँग को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) मैनेजमैन्ट ने कर्मचारियों को बोनस की अदायगी बोनस अदायगी एक्ट, 1965 तथा मैनेजमैण्ट की प्रोडक्शन (उत्पाद) बोनस स्कीम के अन्तर्गत की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता ट्रामवे

5079. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि वह ट्रामवे को भारत सरकार को सौंपना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारतीय तेल निगम के विभिन्न स्कन्धों में वेतनमानों में अन्तर

5080. **डा० रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के विभिन्न कक्षों या भागों में कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन और उपलब्धियां मिलती हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो वेतनमानों की विषमता आदि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) और (ख). जी हाँ। निगम के दो प्रभागों में वेतनमानों आदि में भिन्नता उस समय से चली आ रही है जिस समय ये दोनों प्रभाग पृथक कम्पनियों अर्थात् इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड तथा इण्डियन रिफाइनरीज लि० के रूप में कार्य करते थे तथा इनके विलय से इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बनने के पूर्व । निगम के दो प्रभागों के नियमों में एकरूपता लाने के लिए यत्न किये गये हैं। अधिकारियों के वेतनमानों को प्रायः पूर्णतया युक्तिसंगत बनाया गया है । कर्मचारियों के, जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अनुसार 'वर्कमैन' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, वेतनमान मैनेजमैण्ट तथा कर्मचारियों के यूनियनों के बीच हुए द्विदलीय समझौतों के अनुसार हैं। भिन्नताओं को दूर करने की आवश्यकता को, जहां तक सम्भव हो, यूनियनों के साथ समझौते करते समय विचार में रखा जाता है ।

भारतीय तेल निगम

5081. **डा० रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में भारतीय तेल निगम के प्रबन्धक निगम के कर्मचारियों के कार्मिक संघ के नेताओं से मिले थे और कर्मचारियों की अवशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में जिनमें कार्मिक संघ के नेताओं की बर्खास्तगी का प्रश्न भी सम्मिलित है बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). संघ के नेताओं ने दो कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की अपेक्षा कोई कम दण्ड देने तथा एक कर्मचारी के पदोवनति आदेश को वापिस लेने के लिए दबाव डाला । प्रबन्धकों ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के समर्थन में अपने विचार बताये ।

वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों के लिये आचार संहिता

5082. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
श्री श० ना० माइती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के प्रस्तावित सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों क लिये कोई आचार संहिता बनाई गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उनको पता है कि 8 फरवरी, 1968 को दि यूनाइटिड कामर्शियल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के लिये अशोक होटल, नई दिल्ली में एक विशाल पार्टी का आयोजन किया गया था जिस के लिये इस बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर ने इस बैंक की लगभग 300 शाखाओं ने उन लोगों से काफी धनराशि वसूल की थी जिन में अधिक संख्या ऋण लेने वालों की थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सभा में, 23 दिसम्बर, 1967 को पेश किये गये बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1967, के खण्ड 3 में बैंकिंग कम्पनियों के अध्यक्षों के लिए जो कुछ योग्यताएं और निर्योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं, उन के अलावा, कोई दूसरी आचार-संहिता निर्धारित नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग). बताया गया है कि 246 मेज़बानों ने, जिनमें यूनाइटिड कर्मशियल बैंक के कुछ जमाकर्ता और ऋण लेने वाले व्यक्ति शामिल थे, यूनाइटिड कर्मशियल बैंक के नये अध्यक्ष के स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया था । पता चला है कि हर मेज़बान ने चन्दे के तौर पर पचास रुपये दिये । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बैंक के अधिकारियों ने ज्यादा रकमें इकट्ठी की, या उन्होंने बैंक की सेवा के नियमों का उल्लंघन किया ।

केरल हथकरघा उद्योग के लिये भारत के रिजर्व बैंक से ऋण

5083. **श्री जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के हथकरघा उद्योग के लिये भारत के रिजर्व बैंक से अधिक ऋण दिये जाने तथा विद्यमान वित्तीय सहायता को उदार बनाये जाने के सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख). यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

हथकरघा वस्तुओं पर बिक्री कर हटाना

5084. **श्री जनार्दनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार तथा कुछ आम राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि महाराष्ट्र में हथकरघा वस्तुओं पर से बिक्री कर हटाने से हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के आयकर आयुक्त के समक्ष दायर की गई निपटारा याचिकाएं

5085. **श्री गं० चं० दीक्षित**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आयकर आयुक्त के सामने गत दो वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1967 की धारा 271(4-क) के अधीन निबटारे हेतु सहीने-वार कुल कितनी याचिकायें दायर की गई हैं, उन में से कितनी याचिकाओं पर निर्णय किया जा चुका है और कितनी निर्णयाधीन हैं ;

(ख) मामलों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए आयकर आयुक्तों को आदेश जारी किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

5086. **श्री गं० चं० दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये कितने गांवों को चुना गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) 1967-68 में केंद्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को कितनी सहायता दी गई है ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). 1966-67 के वर्ष से यह फैसला किया गया है कि ग्राम विद्युतन स्कीमों को इस प्रकार से बनाया जाए कि उनमें पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो। इस से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड ने 1967-68 के दौरान 318 ग्रामों में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया था। चूंकि अब पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया जाने लगा है, 1967-68 में 31-12-1967 तक केवल 98 ग्रामों को ही बिजली दी जा सकी है। 31 दिसम्बर, 1967 तक कुल 1390 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है। 31-3-1966 तक कुल 7309 पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया था जब कि 31-12-1967 तक इनकी संख्या 14289 हो गई। मध्य प्रदेश में 1967-68 के दौरान ग्राम विद्युतन के लिये 217 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए हैं। चूंकि ग्राम विद्युतन स्कीमों में पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया जा रहा है और 1968-69 तथा चौथी योजना के लिए ग्राम विद्युतनार्थ आवंटनों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिये शेष ग्रामों के विद्युतीकरण का निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता।

मध्य प्रदेश से आयकर की वसूली

5087. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-57 और 1967-68 में अब तक मध्य प्रदेश से आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की गई।

(ख) अब तक आयकर की बकाया राशि कितनी हो गई है; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय कर की वसूलियां
1966-67	1317 लाख रुपये
1967-68 (29-2-1968 तक)	844 लाख रुपये

(ख) 29 फरवरी, 1968 को आयकर की बकाया 1467 लाख रुपये थी।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, कानून में दिये गये सभी उपाय किये जा रहे हैं।

अनुसूचित बैंकों में जमा राशियां

5088. श्री हेमराज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक देश में कितने अनुसूचित बैंक थे और इन बैंकों में कुल कितनी धनराशि थी; और

(ख) इनकी "मांग जमाराशि" और "सावधिक जमाराशि" कितनी-कितनी हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1967 को हमारे देश में 85 अनुसूचित बैंक, 73 वाणिज्यिक बैंक और 12 राज्य सहकारी बैंक काम कर रहे थे। उस तारीख को उनकी कुल जमा रकमें, जिन में मांग जमा की रकमें और मीयादी जमा की रकमें शामिल हैं, इस प्रकार थीं: —

(करोड़ रुपयों में)

	मांग जमा	मीयादी जमा	कुल
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1480.79	2032.70	3873.49
अनुसूचित सहकारी राज्य बैंक	43.81	72.38	116.19
सभी अनुसूचित बैंक	1884.60	2105.08	3989.68

विदेशी बैंक

5089. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, और उनमें कितना धन जमा है, मांगने पर तत्काल मिलने वाले खाते में और निश्चित समय पर मिलने वाले खाते में; और

(ख) भारत का रक्षित बैंक इन बैंकों पर कितना नियंत्रण रखता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इस समय भारत में 13 विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं। 8 मार्च, 1968 को इन 13 बैंकों में जमा रकमों का, जिनका वर्गीकरण मांग जमा और मियादी जमा के रूप में किया गया है, ब्यौरा इस प्रकार है :—

मांग जमा	152.03 करोड़ रुपये
मीयादी जमा	255.73 करोड़ रुपये
जोड़	407.76 करोड़ रुपये

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा रिजर्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों के अनुसार रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों पर उसी प्रकार नियंत्रण रखता है जिस प्रकार भारतीय बैंकों पर।

बैंकों द्वारा ऋणों का दिया जाना

5090. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों ने 1967 के अन्त तक उद्योग और कृषि दोनों के लिये विभिन्न किस्म के व्यापार के लिये कितनी धनराशि ऋणों के रूप में दी; और

(ख) 1967 के अन्त तक विदेशी बैंकों द्वारा व्यापार की उपरोक्त श्रेणियों के लिये कितनी धनराशि ऋणों के रूप में दी गयी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1967 के अन्त के समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च, 1967 के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	उद्योगों के लिए ऋण	कृषि के लिए ऋण
		(करोड़ रुपयों में)
विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1728	54
विदेशी बैंक . .	222	22

इन आंकड़ों का व्यापार-वार ब्यौरा रिज़र्व बैंक से प्राप्त किया जा रहा है और वह यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

Power Supply for Tube-wells in Uttar Pradesh

5091. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of applications received in 1967-68 in District Bulandshehr for power connections to instal tube-wells ;

(b) The number of applications sanctioned and rejected out of them, separately; and

(c) the number of applicants to whom power connections have been given for the said purpose and the time by which the remaining ones would be given out of these whose applications were sanctioned for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The number of applications received by the Bulandshehr District Power & Irrigation Committee in the year 1967-68 up to 15th March, 1968, for power connections for private tubewells/pump sets was 1334.

(b) 1138 applications were sanctioned by the District Power & Irrigation Committee and 135 applications were rejected.

(c) During the year 1967-68, up to 15th March, 1968, power supply was made available for 1104 tubewells/pump sets. Power supply for the remaining sanctioned connections is to be made by the U.P. State Electricity Board in 1968-69 to the extent funds are available.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये उत्तर प्रदेश के लिये नियत राशि

5092. **श्री रामचरण** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों के लिए 1967-68 के लिए कुल कितनी राशि मांगी थी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिए 1966-67 तथा 1967-68 में कुल कितनी राशि/अनुदान मंजूर किया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) राज्य सरकार ने 1967-68 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 179·84 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण हेतु 1966-67 के लिए 97·35 लाख तथा 1967-68 के लिए 94·80 लाख रुपये की व्यवस्थाएं मंजूर की गई ।

Power Connection in Hydel Department of Bulandshehr

5093. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of power connections which have been sanctioned by the Hydel Department in District Bulandshehr but they have not been given so far ;

(b) the reasons therefor; and

(c) when they would be given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Total number of agricultural and Industrial connections sanctioned by U.P. State Electricity Board in District Bulandshehr but not provided with electricity was 2,679 during 1967-68 (up to 15th March, 1968).

(b) It is reported that it has not been possible to provide these connections due to constraint on funds.

(c) Connections are expected to be given during 1968-69 to the extent funds are available.

हतनूर बांध

5094. श्री सैयद अली : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अपर ताप्ती नदी पर हतनूर बांध के निर्माण के लिये सरकार का कब तक धनराशि मंजूर करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : योजना आयोग ने अभी परियोजना को अपनी मंजूरी देनी है । अतः उसके लिए धन देने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता ।

Koyal Project

5095. Shri Mudrika Sinha : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in taking a final decision on Koyal Project;

(b) the salient features thereof; and

(c) when the work is likely to start thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) A project report of a scheme on the North Kole river in Bihar was prepared by the State Government in 1964, which, however, needed modification. The modified project report has not been received from the State as yet.

(b) The project, as proposed in 1964, envisages construction of a 169 feet high dam across the river North Koel at Kutkhu in Bihar, a pickup weir at Mohammadganj with a high level canal taking off at Mohammadganj barrage commanding a gross area of 4·4 lakh acres and to irrigate 2·51 lahh acres of land annually. The project is also intendect to supplement supplies of water required in Eastern and Western high level canals of Sone Barrage. The dam, the pickup weir and the Koel canal were estimated to cost Rs. 13·16 crores.

(c) Does not arise.

Development of Kutch with Narmada Water

5096. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri G. C. Dixit :
Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a telegram has been received from the Chief Minister of Madhya Pradesh in which he has referred to the statement made recently by the Prime Minister that Kutch would be developed with the help of Narmada river water and sought a clarification whether the water would be taken from Gujarat or Madhya Pradesh's share; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Minisrtry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Following the Prime Minister's speech in the Lok Sabha on February 28, 1968, a telegram and a letter were received from the Chief Minister of Madhya Pradesh in which he sought a clarification whether any diversion of Madhya Pradesh's share of Narmada waters was visualised for the development of Kutch. The Prime Minister replied to the Chief Minister explaining that she made no reference to the specific question of sharing of the Narmada waters between the various States.

अशोधित तेल के सम्बन्ध में ईरानी आदेश

5097. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौर्स्टिग प्वाइंट के आबादान नगर से चन्द्रामाह शहर को स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप अशोधित तेल सम्बन्धी ईरानी आदेश से भारत को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). अशोधित तेल के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रकार के आदेश के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

नर्मदा नदी के पानी से सिंचाई

5098. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालौर और बाड़मेर जिलों की लगभग 8 लाख एकड़ भूमि को नर्मदा नदी के जल से सिंचित किये जान के संबंध में राजस्थान के दावे को स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) क्या गुजरात को नर्मदा नदी के पानी से अपनी 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की अनुमति दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सिंचाई कार्यों में कितने पानी का प्रयोग होगा तथा मध्य प्रदेश के लिये कितना पानी बचेगा ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार उपरोक्त वचनों में से किसी वचन के लिये सहमत हो गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश के विरोध के बावजूद केन्द्रीय सरकार अपने निर्णय को कार्यान्वित करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) नर्मदा के जल के बटवारे के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

जल-दूषण को रोकने के लिये विधान

5099. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री नायनार :**
श्री अब्राहम : श्री विश्वनाथ मैनन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के जल-दूषण को रोकने के लिये एक केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके संसद् में कब पेश किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां,।

(ख) जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 252 (i) में अपेक्षित है राज्य विधान सभाओं में संकल्पों के पारित कराने के लिये इस विधेयक का प्रारूप सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। पर संसद् में इसे कानून बनाने के लिये आगे कार्यवाही राज्य सरकारों से अपेक्षित संकल्प प्राप्त होने पर की जाएगी।

कोयना भूकम्प सम्बन्धी प्रतिवेदन

5100. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192-ब के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० नायर द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में कोयना भूकम्प विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जैसा कि 19-2-68 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192-घ के उत्तर में बताया गया था, कोयना भूचाल से सम्बन्धित विशेषज्ञ-समिति द्वारा विस्तृत जांच हो रही है। समिति की एक और बैठक 26 मार्च, 1968 को होगी, जिसमें इस सम्बन्ध पर विचार किया जाएगा। आशा है कि समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट जून, 1968 तक प्रस्तुत कर देगी तथा तभी भूचाल के इस पहलू पर समिति के और विचारों का पता चलेगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाने वाला सामान्य कारोबार

5101. **श्री अब्राहम :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के एककों में सामान्य कारोबार करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा-व्यवसाय का काम 1964 में शुरू किया। निगम ने सामान्य बीमा व्यवसाय का काम चलाने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी भर्ती कर लिये हैं। भर्ती निम्नलिखित पद्धति से की गई है :—

(i) व्यापक प्रतियोगिता के लिये खुली परीक्षा;

(ii) सामान्य बीमा व्यवसाय-क्षेत्र से भर्ती;

(iii) भारतीय बीमा संस्था के प्रशासन-तंत्र के फालतू कर्मचारी;

(iv) भारतीय बीमा कम्पनी संस्था पूल के छंटनी किये गये कर्मचारी।

जीवन बीमा निगम के यहाँ उम्मेदवार अधिकारियों तथा दूसरे कर्मचारियों को सामान्य बीमा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है।

पैट्रोलियम-रसायन उद्योगों के लिये लाइसेंस

5102. **श्री क० लकप्पा :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश मे पेट्रोलियम-रसायन उद्योगों के लिये कितने लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र आये;

(ख) किन-किन उद्योगपतियों ने लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) चालू वित्त-वर्ष के दौरान 12.

(ख) निम्नलिखित फर्मों ने आवेदन पत्र दिये हैं :—

1. मैसर्स सैंचुरी रयन ;
2. मैसर्स मूनियन कारबाइड लिमिटेड ;
3. मैसर्स पोलिकन्मल्टैंट्स् कोआपरेटिव लिमिटेड ;
4. मैसर्स अलेमबिक केमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड ;
5. मैसर्स नन्दकिशोर साकरलाल, हर्षावदन मंगलदास ;
6. मैसर्स अरविन्द मिल्ज़ लिमिटेड ;
7. मैसर्स सरदेसाई ब्रादर्ज़ लिमिटेड ;
8. मैसर्स सैंचुरी रयन ;
9. मैसर्स डैंकन ब्रादर्ज़ कं० लिमिटेड ;
10. मैसर्स दी अल्कली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ;
11. मैसर्स दी आरविन्द मिल्ज़ लिमिटेड ; और
12. मैसर्स पोलिकेम लिमिटेड ;

(ग) एक ।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

5103. श्री क० लकप्पा : **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपसी बातचीत द्वारा कृष्णा-गोदावरी विवाद को हल करने के लिये सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र तथा मैसूर की सरकारों को यह मामला एक न्यायाधिकरण को सौंपने की अनुमति देने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार ने कृष्णा-गोदावरी विवाद पर बातचीत करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है । किन्तु इस विवाद को जल्दी ही हल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

शुष्क हेमवती परियोजना

5104. श्री क० लकप्पा : **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क क्षेत्र के लिये सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु हेमवती परियोजना के तीसरे चरण के बारे में सरकार को जुनकुर ज़िले से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). हेमवती परियोजना की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग अभी जाँच कर रहा है ।

कोचीन सीमा-शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस)

5105. श्री अनिरुद्धन : **श्री विश्वनाथ मैनन :**
श्री नायनार : **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री एस्थोस :**

क्या **वित्त** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन सीमा शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) में भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के बारे में की जा रही जाँच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) नहीं, तो कब तक जाँच पूरी हो जाने की संभावना है और देरी के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग). अधिकतर आरोपों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल पूरी हो गयी है तथा जाँच-पड़ताल अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

बाकी के आरोपों की जाँच-पड़ताल का काम शीघ्रता से किया जा रहा है । जाँच-पड़ताल के ऐसे मामलों में बहुत से रिकार्डों की ध्यानपूर्वक छानबीन करनी होती है तथा गवाहों से पूछताछ करनी होती है, इसलिये इनमें कुछ विलम्ब होना अपरिहार्य है । जाँच-पड़ताल को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

कलकत्ता में आय-कर निर्धारण के मामले

5106. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में एक आयकर अधिकारी को आय-कर सम्बन्धी विवरण के प्राप्त होने की तिथि से कर-निर्धारण का एक मामला निपटाने में औसतन कितना समय लगता है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 को कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) वे कितने समय से अनिर्णीत हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) कितना समय लगता है यह इस पर निर्भर करता है कि मामला कैसा है, कितना महत्वपूर्ण है तथा सम्बन्धित अधिकारी के पास कार्य-भार कितना है ।

(ख) कलकत्ता में 8,87,031 कर-निर्धारण ।

(ग)

एक वर्ष से कम समय से कर-निर्धारण के लिये पड़े हुए मामले .	3,58,413
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम समय से कर-निर्धारण के लिये पड़े हुए मामले	2,36,977
दो वर्ष से अधिक लेकिन चार वर्ष से कम समय से कर-निर्धारण के लिये पड़े हुए मामले . . .	2,64,848
चार वर्ष से अधिक समय से कर-निर्धारण के लिये पड़े हुए मामले	26,793

उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल

5107. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री एस्थोस :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1057 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर विचार कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग). अध्ययन दल की सिफारिशों के मंशयों पर इस समय दो कम्पनियाँ अर्थात्

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड तथा भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड से बातचीत हो रही है। इसके पश्चात् सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ बातचीत होगी। निश्चय रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि इस विषय में अन्तिम निर्णय कब होगा।

कुन्द्रा सिंचाई परियोजना

5108. **श्री नायनार :** **श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार से कुन्द्रा सिंचाई परियोजना सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार को इस मामले के बारे में लिख दिया गया है।

Allotment of Quarters at Faridabad

5109. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Works, Housing, and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the allotment of quarters to the employees working in Central Government offices situated at Faridabad is made within a period of one year of their service ;

(b) if so, the number of quarters constructed there for the Central Government employees, the number of quarters out of them which are lying vacant and of those which have been allotted so far; and

(c) whether Government propose to allot quarters at Faridabad and other places to the employees working in the Capital ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing, and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : The quarters in the general pool at Faridabad have been constructed keeping in view the offices to be shifted to Faridabad. Since some of the offices have not yet shifted, the quarters at Faridabad are in excess of the demand. Except in type I, the allotment of quarters to employees working in eligible offices at Faridabad is made within a period of one year of their service. Out of 1,316 quarters so far handed over at Faridabad, 180 are lying vacant.

(c) The Central Government employees who are working in the Capital and who have requested for allotment of general pool accommodation at Faridabad, are allotted residences there subject to the availability of accommodation after meeting the demand of Government employees posted at Faridabad. So far 199 general pool residences at Faridabad have been allotted to officers posted at Delhi/New Delhi. There are no general pool quarters outside Delhi at a nearly place, except at Faridabad.

भारतीय सरकार का अवैतनिक दन्त-चिकित्सा सलाहकार

5110. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अवैतनिक दन्त-चिकित्सा सलाहकार कौन है ;

(ख) वह इस पद पर कितनी अवधि से काम कर रहे हैं और इस पद पर रहते हुए वह कितनी बार विदेश गये हैं ;

(ग) क्या इस दन्त-चिकित्सा सलाहकार ने अपनी विदेश यात्राओं से सम्बन्धित कुछ बिलों का भुगतान भारत की दन्त चिकित्सा परिषद् से कराया है ;

(घ) सरकार तथा भारत दन्त-चिकित्सा परिषद के बीच कौन-सा स्वीकृत समझौता है जिसके अन्तर्गत विदेशी यात्राओं पर होने वाले खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(ङ) क्या अवैतनिक दन्त-चिकित्सा सलाहकार ने इस व्यवस्था का कभी उल्लंघन किया था और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) डा० एन० एन० बेरी

(ख) वह नवम्बर, 1956 से भारत सरकार के अवैतनिक दंत सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह इस हैसियत से अथवा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की हैसियत से नौ बार विदेश गये।

(ग) विदेश में उनके पत्राचार तथा सचिवालयी सहायता पर हुए कतिपय खर्च को दन्त परिषद् ने बहन किया क्योंकि वे उस समय परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष थे।

(घ) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् को भारत सरकार से वार्षिक सहाय्यानुदान मिलता है किन्तु उनके विदेश दौरों पर होने वाला अधिकांश खर्च या तो स्वयं भारत सरकार ने अथवा आतिथेय-देशों ने वहन किया है।

(ङ) उन्हें यह खर्च करने का अधिकार दिया गया था।

ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं

5111. **श्री किरुतिनन :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को कुछ चुने हुए गांवों में ग्रामीण जल सप्लाई योजना लागू करने के लिये प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषकर मद्रास राज्य द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्राक्कलनों की मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितने गाँवों में यह योजना लागू की गई है यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ, यूनिसेफ सहायियत परियोजनाओं के अधीन, यूनिसेफ की सहायता से कुछ चुने ग्रामों में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं की क्रियान्विति का कार्यक्रम 1963 में आरम्भ किया गया था।

(ख) दस राज्यों से इन परियोजनाओं के प्राक्कलन प्राप्त हुए है इनमें मद्रास राज्य भी सम्मिलित है; जहाँ से क्रमशः 10.86 लाख और 12.88 लाख रुपये की अनुमानित लागत की दो परियोजनाएं प्राप्त हुई है।

(ग) मद्रास से प्राप्त दोनों परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है।

(घ) पहली परियोजना में 35 और दूसरी में ओथूर और वटलाकुण्डू पंचायत संघों के 95 ग्राम समाहित होंगे। पहली परियोजना के पहिले चरण का काम आरम्भ किया जा चुका है।

समयोपरि भत्ते पर आय-कर

5112. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **वित्त**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के समय के पश्चात् काम करने के लिये मिलने वाले समयोपरि भत्ते पर आय-कर लिया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो आय-कर किस दर से लिया जाता है ;

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि सरकारी कमचारियों को अपने वेतन के एक-तिहाई से अधिक समयोपरि भत्ता लेने की अनुमति नहीं है, क्या सरकार का विचार समयोपरि भत्ते पर आय-कर में कुछ छूट देने का है; और

(घ) समयोपरि भत्ते पर इस प्रकार से कटौती करने का क्या औचित्य है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) अतिरिक्त समय भत्ता सम्बन्धित व्यक्ति की आय में शामिल किया जाता है और उस पर समुचित दर पर कर लगता है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) आयकर अधिनियम में कर्मचारी को अदा किये गये "वेतन" पर कर-निर्धारण की व्यवस्था है ; अतिरिक्त समय-भत्ता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत "वेतन" है और उस के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 10(3) के अन्तर्गत छूट नहीं मिली हुई है।

येमीगानुर को एक फर्म द्वारा आयकर अपवंचन

5113. **श्री शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने येमीगानुर के मैसर्स एम० जी० ब्रादर्स के विरुद्ध आयकर अपवंचन की उन शिकायतों की जाँच कर ली है जो उन को लिखे गये पत्र में एक संसद्-सदस्य ने बताई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) हाल ही में 8 जनवरी, 1968 तथा 24 फरवरी, 1968 को प्राप्त हुई दोनों शिकायतों के संबंध में जाँच पड़ताल की जा रही है ।

कावेरी नदी से बंगलौर को पानी की सप्लाई

5114. **श्री कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कावेरी नदी के बंगलौर को पानी की सप्लाई करने की योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Harijan Welfare Department, Bulandshar

5115. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to the Harijan Welfare Department of District Bulandshar during the last five years and the items under which the said assistance was given ; and

(b) the amount of unutilised grants returned by the Department during the above period.

The Miniater of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The information has been called for from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the table of the House as soon as available.

Financial Assistance to States

5116. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the basis on which the financial assistance is given by the Central Government to the State ;

(b) whether the economic backwardness is considered to be a basis for the said assistance ; and

(c) if so, the reason for which less grant has been given to Bihar so far in view of its economic backwardness ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Central assistance to the States for their Plans is allocated on the basis of the following general considerations :—

(i) Population .

(ii) Requirements of major irrigation and power projects continuing from preceding plan periods.

(iii) The need for accelerated development of certain backward regions .

(iv) Special needs of border States.

(b) Yes, Sir.

(c) Subject to the overall limitation set by the availability of resources, the general principles enumerated in reply to part (a) above have been followed in the distribution of Central assistance among the various States. The question of Bihar getting less assistance does not , therefore, arise.

औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र

5117. **श्री रामस्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 और 31 दिसम्बर, 1967 तक दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिये लघु उद्योगों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और कितने आवेदन-पत्रों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक प्राप्त हुए सब आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1967 से 29 फरवरी, 1968 तक की अवधि में कितने प्लाट आवंटित किये गये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 31मार्च, 1967 तक 3624 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 31 दिसम्बर, 1967 तक 18 और आवेदन-पत्र आ गये थे। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 1967 तक कुल 3642 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन में से 125 आवेदन-पत्रों पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है और शेष पर कार्यवाही चल रही है ।

(ख) इस के लिये कोई निश्चित अवधि नहीं बतलाई जा सकती किन्तु आशा है कि 31 दिसम्बर, 1967 तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर सन् 1969 के मध्य तक निर्णय कर लिया जायेगा।

(ग) 890 ।

नई दिल्ली नगरपालिका के बाजार

5118. **श्री रामस्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली में लगभग 10 वर्ष तथा 30 वर्ष पूर्व दी गई दुकानों के लिये लिए पृथक-पृथक "म्युनिसिपिल मार्केट" दुकानों के बारे में व्यापार तथा/अथवा नाम परिवर्तन करने के मामलों में मासिक लाइसेंस शुल्क में 2 से 8 गुना वृद्धि करने के नियम/कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : गोल मार्केट, नई दिल्ली में कुल 62 दुकानें हैं जिन्हें लगभग 30 वर्ष पूर्व बनाया गया था और किन्हीं खास-खास व्यवसायों के लिये आम नीलाम के द्वारा इन का आवंटन किया गया था। मासिक लाइसेंस शुल्क 14 रुपये ले कर 355 रु० तक है।

कई मामलों में ऐसा होता है कि लाइसेंसधारी दुकान को आगे किराया पर दे देते हैं अथवा साझादारी कर लेते हैं, और इस प्रकार वे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। साधारणतया इस तरह के उल्लंघनों के मामलों में अलाटमेंट रद्द कर दिया जाता है और अनधिकृत रूप से बसे हुए व्यक्तियों से दुकान खाली करा दी जाती है। वैसे लिखित आवेदन पत्रों के मिलने पर गुणावगुण के आधार पर मामलों की जाँच की जाती है और यदि अनुज्ञेय हुआ तो जो व्यक्ति बढ़ी दरों पर लाइसेंस शुल्क देने के लिये तैयार हों उनके नाम ये अलाटमेन्ट विनियमित कर दिये जाते हैं। यद्यपि यह बढ़ा हुआ लाइसेंस शुल्क मूल लाइसेंस शुल्क से अधिक है किन्तु बाजार किराये की अपेक्षा यह कम है।

पंजाब नगरपालिका अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों एवं उप-नियमों को ध्यान में रखते हुए समिति व्यापार परिवर्तन संबंधी मामलों पर भी उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करती है।

बिना इस बात पर ध्यान दिये ही कि यह दुकान मूलतः कब अलाट की गई थी ऐसे मामलों में व्यापार अथवा नाम परिवर्तन को नियमित कर दिया जाता है।

आसनसोल में टी० बी० अस्पताल

5119. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल में टी० बी० अस्पताल को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अस्पताल 20 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था परन्तु इसे कभी भी नहीं खोला गया था; और

(ग) देश में ऐसे अस्पतालों की संख्या क्या है जो डाक्टरों, उपकरणों, धन की कमी अथवा अन्य कारणों से काम नहीं कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सम्भवतः यह आसनसोल के निकट कल्ला स्थित कोयला खान कल्याण निधि के केन्द्रीय अस्पताल के टी० बी० विंग के अन्तरंग विभाग के बारे में है। इस समय गोदाम के रुप में इस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है किन्तु जिन दिनों भोजन का अत्याधिक अभाव हो रहा था और अत्याधिक पानी की कमी होने के कारण अन्तरंग विभाग का उपयोग नहीं किया जा सकता था, तब कुछ समय के लिये इस के एक भाग का उपयोग कोयला खनिकों के लिये अनाज रखने हेतु किया जाता रहा था।

(ख) इस विंग का निर्माण अगस्त, 1964 में किया गया था और इस पर 12 लाख रुपये लागत आई थी। इस का बहिरंग अनुभाग 1-9-64 से और अन्तरंग विभाग 1-1-1968 से काम कर रहा है।

(ग) भारत सरकार को ऐसे किसी अस्पताल की कोई जानकारी नहीं है। किन्तु यह एक सुविदित बात है कि डाक्टरों, पैरामैडिकल कर्मचारीवृन्द, उपकरण और निधियों की भिन्न भिन्न अनुपात में कमी है।

गोबर्धन नहर योजना

5121. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों के क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए गोवर्धन नहर योजना के लिये योजनाएं बनाने के हेतु राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिये केन्द्रीय धन राशि कितनी नियत की गई है;

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) इस परियोजना के लिये इन राज्यों को कितना धन देना होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गोवर्धन जल निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिये अपेक्षित और उपायों पर विचार करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1967 में सम्बद्ध राज्यों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के तकनीकी अधिकारियों के बीच हुई बैठक में और फिर नवम्बर, 1967 में सम्बन्धित राज्यों के यात्रियों बैठक में गोवर्धन निकास प्रणाली का पुनरवलोकन किया गया था। कार्य को शीघ्र ही पूरा करने के लिये धन के खर्च करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से जनवरी, 1968 में एक और अन्तर्राज्यीय बैठक बुलाई गई थी।

(ख) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास स्कीमों आदि के सूत्रपातन, नियमन तथा कार्यान्वन के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता देती है और ऋणों के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता देती है जैसी कि राज्यों की वार्षिक योजना के अन्तर्गत दी जा सकती है। चूंकि हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने 1968-69 में अपनी तंग वित्तीय स्थिति के कारण अपने भाग के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई व्यक्त की, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1968 में हुई बैठक में स्वीकार किया कि वे अपने खर्चे से ही 1968-69 में कार्य चालू कर देंगे। उन्होंने उस वित्तीय प्रक्रिया को भी स्वीकार कर लिया जिस के अन्तर्गत राजस्थान और हरियाणा सरकारें 1968-69 के वर्ष के दौरान तथा उस के बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश को उस के द्वारा खर्च किये गये धन को वापिस करेंगी। राजस्थान सरकार ने बैठक के विवरण के मसौदे की पुष्टि कर दी है और हरियाणा सरकार से उन की सम्पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। और उन्हें इस बारे में स्मरण करा दिया गया है।

(ग) गोवर्धन नाले के प्रस्तावित सुधार कार्य पर कम से कम तीन वर्ष लग जाएंगे।

(घ) गोवर्धन नाले की क्षमता को इस लिये बढ़ाया जा रहा है ताकि उस में से हरियाणा से 1400 क्युसेक तथा राजस्थान से 400 क्यूसेक अतिरिक्त जल प्रवाहित किया जा सके। इस लिए इन दो राज्यों को उत्तर प्रदेश सरकार को तीन वर्षों के दौरान क्रमशः लगभग 3.5 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे।

फ्रांस से ऋण

5122. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 300 लाख डालर का ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फ्रांस से 1967–68 के लिए 3 करोड़ डालर का ऋण मिलने की आशा है ।

(ख) और (ग) ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में इस समय फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है ?

फारस की खाड़ी में तटदूर तेल का पाया जाना

5123. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने फारस की खाड़ी में अशोधित तेल की खोज की है ;

(ख) यदि हाँ, तो अनुमानत: वार्षिक उत्पादन क्या है;

(ग) खोज के कार्य में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं और प्रत्येक देश का कितना भाग है; और

(घ) भारत को इस से वार्षिक कितना लाभ होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एक पूर्णतया स्वामित्व अनुषंगी कम्पनी, हाइड्रोकारबन्स इण्डिया प्राइवेट लि०, ने कुछ दूसरी पार्टियों के सहयोग से फारस की खाड़ी में तेल की खोज का कार्य किया है ।

(ख) यद्यपि तेल पाया गया है तो भी वार्षिक उत्पादन का अंदाज लगाने के लिए कुछ और समय लगेगा ।

(ग) इस संयुक्त उद्यम में निम्न साझेदार हैं :—

(i) ईरान की नेशनल इरानियन आयल कम्पनी

(ii) अमरीका की फिल्लिप्स पैट्रोलियम कम्पनी

(iii) इटली की ए० जी० आई० पी० (A. G. I. P.)

(iv) भारत की हाइड्रोकारबन्स इण्डिया प्राइवेट लि० ।

इस में नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयर हैं और अन्य तीन साझेदारों के 50 प्रतिशत शेयर हैं, जिस में से प्रत्येक का बराबर अंश है ।

(घ) लाभ के बारे में इतना पहले नहीं बताया जा सकता ।

Construction of Roads in Delhi

5124. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Develepment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of widening and strengthening of main roads in Delhi would be entrusted to the National Building Construction Corporation ;

(b) whether it is also a fact that the said Corporation would import three big machines from Germany for constructing roads ; and

(c) the amount for foreign exchange likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthi) : (a) It would not be correct to say that all these works would be entrusted to the National Buildings Construction Corporation.

(b) The corporation has a proposal to import only one machine. It has not so far been decided whether this machine will be imported from Germany or elsewhere. The rest of the machinery will be purchased indigenously.

(c) About Rs. 3·20 lakhs.

Manufacture of Soap

5125. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Petroleum ansd Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of industrial establishments in the country manufacturring soap in large quantity ;

(b) the names of the soap and annual quantity thereof manufactured by them ;

(c) the names of soaps in which fat is mixed and the types of the fat mixed;

(d) the nemes of the soaps imported and the annual value thereof ; and

(e) whether it is a fact that the soaps which are imported contain fat ?

The Minister of State in the Ministry of Petrolcum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) List of soap units registered with the Directorate General of Technical Development is attached (Annexure I).[*Placed in Library. See No. LT 593/66*]

(b) A statement is attached (Annexure-II). [*Placed in Library. See No. LT.*-593/66]

(c) Soap is produced by boiling glycerides of fatty acids with caustic soda. Both oils and fats are glycerides of fatty acids. Glycerides which are liquid or semi solid at normal temperature are called oils and those which are solid at ordinary temperature are generally called fats. In the manufacture of good quality soaps both oils and fats are used. Hydrogenated vegetable oils (vegetable tallow) and animal tallow are at present being used in the manufacture of soaps in the country.

(d) A statement is attached (Annexure-III). [*Placed in Library. See No. LT*-593/66]

(e) It is not possible to say whether solid glycerides had been used in the manufacture of imported soaps.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

5126. **श्री महन्त दिग्विजयनाथ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वर्ष छिद्रण कार्य का एक नया कीर्तिमान (रिकार्ड) स्थापित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने क्षेत्र में छिद्रण कार्य किया गया ;

(ग) इस छिद्रण कार्य से अनुमानतः कितना लाभ होगा ; और

(घ) अधिक क्षेत्र में छिद्रण कार्य करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ। फरवरी, 1968 के दौरान आयोग ने 25,234 मीटर व्यधन किया ; जो अप्रैल, 1957 से आयोग द्वारा प्रारम्भ किये गये व्यधन कार्यों में से किसी एक मास में व्यधित किये गये मीटरों की तुलना में सब से अधिक मीटर हैं ।

(ख) फरवरी, 1968 के दौरान आयोग ने जब यह रिकार्ड स्थापित किया, तब निम्न क्षेत्रों में व्यधन कार्य जारी थे :—

गुजरात : अंकलेश्वर, अहमदाबाद मेहसाना, नवागांव और कैम्बे

आसाम : रुद्रसागर, लक्वा, दिक्षमुरा तथा गेलेकी

पश्चिमी बंगाल : जैडरा

मद्रास : नागपट्टीनम्

पांडीचेरी : कैराईकल

(ग) आयोग को अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री से लाभ प्राप्त होता है। अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं इन को निकालने के लिए आवश्यक मुख्य कार्यों में से व्यधन केवल एक है । अतः केवल व्यधन कार्य से लाभों का आँकन करना सम्भव नहीं है।

(घ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग का जम्मू और काश्मीर तथा गुजरात, आसाम, बंगाल और कावेरी थाला के कुछ नये क्षेत्रों में व्यधन कार्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिए रूस और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन राँची से कुछ और व्यधन रिगों एवं सहायक उपकरणों को प्राप्त किया गया है । किया जा रहा है ।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

5127. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पैपर मिल, होशंगाबाद, द्वारा बनाये जाने वाले नोट छापने के कागजात का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने का अनुमान है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

छोटा कागज उद्योग

5129. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुगदी, कागज तथा इन से सम्बन्ध उद्योगों संबंधी विकास परिषद् ने सिफारिश की है कि सभी कारखानों को घटिया-बढ़िया का ध्यान रखे बिना प्रथम 1000 टन पर उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिना रियायत के कच्चे माल के इस्तेमाल के लिये राहत वापिस नहीं ली जाती है और प्रथम 1000 टन पर उत्पादन शुल्क में छूट के साथ-साथ दी जाती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सभी छोटे कागज औद्योगिक कारखानों को यह रियायत न देने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लुगदी, कागज और समवर्गी उद्योगों की विकास परिषद् से इस प्रकार की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है तथापि जिन मिलों के पास बाँस की लुगदी बनाने का संयंत्र नहीं होता, उन मिलों को किसी वित्तीय वर्ष में निकासी किये गये (बोर्ड और कुछ विशेष किस्मों के कागज को छोड़ कर) प्रथम 1000 मीट्रिक टन कागज के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के अधीन उत्पादन-शुल्क में 75 प्रतिशत की कटौती मिलती है ।

(ख) और (ग). अनुमानतः भाग (ख) में उल्लिखित "बिना रियायत का कच्चा माल" पद से तात्पर्य तलछट । पटसन के डण्ठल । धान्य के तिनकों आदि गैर मामूली कच्चे माल से है। शुल्क में प्रति किलोग्राम पर 5 पैसे कमी की रियायत उस कागज पर दी जाती है, जिसके निर्माण में निर्दिष्ट प्रतिशत मात्रा में गैर मामूली कच्चे माल से बनायी गयी लुगदी प्रयोग में लायी जाती है । उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कागज की मिलों को भी प्रथम 1000 मीट्रिक टन से अधिक कागज की निकासी पर यह रियायत दी जाती है । इस प्रकार की मिलों को प्रथम 1000 मीट्रिक टनों के लिये पहले ही 75 प्रतिशत की वही रियायत मिली होने के कारण यह रियायत नहीं दी गयी है ।

कैंसर का उपचार

5130. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1968 के "नेशनल हरेल्ड", दिल्ली में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली में किये गये अनुसन्धान से यह बात सामने आई है कि कैंसर रोग के 90 प्रतिशत रोगियों का उपचार हो सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने कैंसर के उपचार में इस प्रणाली की औषधि की कारगरता का परीक्षण किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पूरी तरह कारगर औषधि निकालने के लिये कोई मार्गदर्शी योजना बनाई जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

समाज कल्याण विभाग, मनीपुर

5131. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के समाज कल्याण विभाग को केन्द्रीय सरकार ने 1968–69 के लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार किया है ; और

(ख) यह राशि किन योजनाओं पर खर्च की जायेगी और प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह] : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मणिपुर प्रशासन को ऋण और अनुदान के रूप में दी गई सहायता किसी विशेष योजना से संबंधित नहीं, उसका संबंध व्यय—राजस्व और पूंजी से है।

मणीपुर प्रशासन की अपनी विधान सभा है और राशियों का विषयवार वितरण वे स्वयं करते हैं । राज्य प्रशासन ने जो जानकारी प्रदान की है उसके अनुसार 1968–69 में राज्य समाज कल्याण बोर्ड को 1,99,400 रुपये दिये जाने का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

(1)	राज्य बोर्ड कार्यालय का गैर-योजना अनुरक्षण	. 21,725 रुपये
(2)	कल्याण प्रसार परियोजना का योजना अनुरक्षण	. 71,925 रुपये
(3)	जिरीबाम समन्वित कल्याण प्रसार परियोजना का अनुरक्षण	. 34,430 रुपये
(4)	चूड़ा चाँदपुर परिवार और बाल कल्याण प्रसार परियोजना।	. 71,320 रुपये

मनीपुर के चिकित्सा छात्र

5132. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 के लिये मनीपुर के चिकित्सा छात्रों के लिये कितने स्थान आरक्षित रखे गये हैं और किन-किन चिकित्सा महाविद्यालयों में ये स्थान आरक्षित रखे गये हैं ,

(ख) वर्ष 1968–69 में मनीपुर के छात्रों के प्रि-मैडिकल अध्ययन के लिये किन-किन महाविद्यालयों में स्थान आरक्षित किये गये हैं और उनमें कितने-कितने स्थान आरक्षित किये गये हैं, और

(ग) मनीपुर सरकार चिकित्सा छात्रों को कितनी राशि की छात्रवृत्ति देती है और इसके लिये कितने छात्र चुने जायेंगे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) 1968-69 के लिए अभी सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। मणिपुर के लिए सीटों के आवंटन का सीटों की उपलब्धता तथा कुल माँग के आधार पर किया जायेगा।

(ग) सूचना मणिपुर प्रशासन से मंगाई गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हैदराबाद स्थित मिश्रित औषध कारखाना

5133. श्री नारायण रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित मिश्रित औषध कारखाने से प्रति दिन कितना गन्दा पदार्थ निकलता है तथा उसे साफ करने, उसे जमा करने तथा उसे काम में लाने या बेचने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) इस कारखाने में उसको जमा रखने तथा साफ करने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) इस गन्दे पदार्थ को इस समय किस काम में लाया जा रहा है और इसका क्या उपयोग किया जा सकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) हैदराबाद के संश्लिष्ट औषध कारखाने से निकले गन्दे पदार्थ का निम्न दो भागों में विनियोजन (अर्थात् अलगाव) किया जायेगा :—

(i) **अम्लीय अपशिष्ट (एसिडिक वेस्ट) :** यह प्रतिदिन लगभग 300 घन मीटर होगा जिसे चुने से निष्प्रभावित किया जायेगा तथा इसके बाद पतले गारे (सलरी) को गंदे शोष तलों (sludge drying beds) में परिणित किया जायेगा। छनित (फिल्ट्रेट) को नगर मल-व्ययस्था (city sewerage system) में परिणित किया जायेगा।

(ii) **क्षारीय अपशिष्ट (एल्कलाइन वेस्ट) :** यह प्रति दिन लगभग 310 घन मीटर होगा और इसे स्टोरेज वेसन (storage basin) तक पम्प किया जायेगा। स्टोरेज वेसन से इन अपशिष्टों को शोधन सन्यन्त्र में लाया जायेगा और नगर मल-व्यवस्था में परिणित किया जायेगा।

(ख) इस योजना की अनुमानित कुल लागत 60 लाख रुपये है। इस धनराशि में से 45.04 रुपये 31 दिसम्बर, 1967 तक वास्तविक खर्च हो चुके हैं।

(ग) इस समय गंदे पदार्थ का कोई प्रयोग नहीं है। संश्लिष्ट औषध परियोजना में मैनेजमेंट को इस के प्रयोग की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

देश में मिलावटी औषधियां

5134. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में मिलावटी औषधियों का बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के विभिन्न भागों में मिलावटी औषधियों का बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा यह सच नहीं है ।

(ख) औषधियों में मिलावट को रोकने के लिये किये गये उपायों का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 594/68]**

मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के लिये लाइसेंस का दिया जाना

5135. **श्रीमती मिनी माता अगमदास गुरू :** **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री मणीभाई जे० पटेल : **श्री अ० सिं० सहगल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विकास निगम ने राज्य के पश्चिमी प्रदेश में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह लाइसेंस कब जारी किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या यह लाइसेंस जारी करने में कोई कठिनाइयाँ हैं और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है और इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने के लिये कुछ समय लगेगा ।

मध्य प्रदेश के गांवों में जल की सप्लाई की अपर्याप्त व्यवस्था

5136. **श्रीमती मिनिमाता अगमदास गुरू :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अनेक गाँवों में, जहाँ मुख्यतया आदिवासी लोग रहते हैं, जल संभरण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे गाँवों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ गाँवों में पाँच वर्षों में 2500 कुएं खोदने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने मार्च, 1966 में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एक योजना तैयार करे; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास खण्डों की राशियों में से 180 लाख रुपये से पाँच वर्ष के दौरान 2500 कूएं लगभग इतने ही गाँवों में, खोदने के लिए अनुमति चाही। प्रस्ताव मान लिया गया है।

मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोगों को ऋण सुविधायें

5137. **श्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरू** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 20 आदिवासी विकास खंडों की आदिम जाति के लोगों के लिये ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में योजना को कार्यान्वित करने के लिये 10 लाख राजसहायता के रूप में और 10 लाख रुपये ऋण के रूप में देने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह योजना मंजूर हो गई है और राज्य सरकार को इस इस कार्य के लिये कितनी धन राशि उपलब्ध की गई है; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि देने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) गैर-उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने की शक्यता की जाँच-पड़ताल करने हेतु एक मार्ग-दर्शिका योजना मंजूर की गई थी और राज्य सरकार ने 1966–67 के दौरान रायगढ़ और धार जिलों के बागीचा और गंढ़वानी खण्डों में उसे हाथ में लिया। योजना के लिए उन्मोचित राशि 2.00 लाख रुपये थी।

(ग) योजना अभी आरम्भिक स्तर पर है और अब तक उन्मोचित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। संसद द्वारा 1968–69 के बजट प्रस्ताव पारित कर दिए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए और राशियों के उन्मोचन पर विचार किया जायेगा।

बस्तर के आदिम जातीय क्षेत्र का विकास

5139. **श्रीमती मिनिमाता अगमदास गुरू** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार से कोई प्रस्ताव आया है जिसमें यह माँग की गई है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आदिम जाति क्षेत्र के विकास के लिये एक विशेष दीर्घकालीन कार्यक्रम चलाने के लिये धन का नियतन किया जाय;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्ताव हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को मंजूर करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने चतुर्थ और पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में बस्तर जिले के त्वरित विकास के लिए 20 करोड़ रुपये से भी अधिक एक भारी नियोजन का प्रस्ताव किया ।

इन मुख्य योजनाओं का प्रस्ताव था :—

(1) स्कूल, छात्रावासों और कर्मचारियों के लिए 3700 भवनों का निर्माण ।

(2) प्रकम उद्योग ।

(3) 500 कूओं का निर्माण ।

(4) 600 सहकारी समितियों की स्थापना ।

यह भी निर्दिष्ट था कि चौथी और पाँचवी योजनाओं में निर्धारित की जाने वाली अधिकतम सीमाओं का प्रसंग छोड़कर इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय राशियाँ प्रदान की जायें । ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सके क्योंकि :—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अभी निरुपण नहीं हुआ ।

(2) स्वल्प राष्ट्रीय संसाधनों का उचित उपयोग भारी भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए नहीं होने दिया जा सकता ।

(3) प्रतीत होता है कि आन्तरिक संसाधनों की प्राप्ति पर आधारित वास्तविक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया गया और न ही राज्य में अन्य आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया ।

(4) बस्तर जिले की विकास सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये पाँडे आयोग ने उच्च-स्तरीय कार्य की स्थापना की सिफारिश की थी और राज्य सरकार द्वारा अभी उसकी (सिफारिश) का कार्यन्वन होना बाकी है ।

कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि

5140. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आयकर की कितनी राशि बकाया थी;

(1) फिलिप्स रेडियो लिमिटेड (2) मर्फी इण्डिया लिमिटेड (3) यूनियन कार्बाइड लि० (4) नेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (5) एस्ट्रेला बैटरीज लिमिटेड (6) टेलीरेड रेडियो मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी, और (7) नेशनल इलेक्ट्रिक कम्पनी, दिल्ली;

(ख) सरकार ने इसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कितने वर्षों से इन कम्पनियों द्वारा देय कर का निर्धारण पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आयकर की बकाया राशि

5141. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित तेल कम्पनियों ने 31 मार्च, 1967 को आय कर की कितनी-कितनी राशि देनी बकाया थी;

(एक) इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी (दो) बर्मा-शैल रिफाइनरीज (तीन) एस्सो स्टेंडर्ड कम्पनी (चार) आसाम आयल कम्पनी (पाँच) काल्टेक्स पेट्रोलियम कम्पनी (छः) फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी;

(ख) इसे वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) इन तेल कम्पनियों के संबंध में किन किन वर्षों का आय-कर निर्धारण पूरा नहीं हुआ है;

(घ) क्या एस्सो स्टैन्डर्ड ईस्टर्न आयल कम्पनी द्वारा आय कर तथा अन्य करों की भारी राशि का अपवंचन किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो करों की कितनी राशि का अपवंचन किया गया है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

कानपुर स्थित लूप का कारखाना

5142. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर स्थित लूप का कारखाना सम्भवत : शीघ्र ही बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कारखाने के बन्द होने पर सरकार को अनुमानित कितनी आवर्तक तथा अनावर्तक हानि होगी ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि कार्यों के लिये बिजली की दर

5144. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तथ्यों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर कृषि कार्यों के लिए बिजली के उपभोक्ताओं को एक दर पर बिजली दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जोतों की सीमा के आधार पर तथा प्रति वर्ष औसत उत्पादन के आधार पर इस बात का ध्यान रखते हुए किसानों को सिंचाई के पुराने तरीकों पर कितनी बिजली उठाऊ सिंचाई पर कितना काम करना पड़ता है, कृषि कार्यों के लिए बिजली की दर में परिवर्तन करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं तथा अन्य उपभोक्ताओं से ली जाने वाली बिजली की दर का निर्धारण, उत्पादन का खर्चा, बिजली पूर्ति के आवश्यक पारेषण तथा वितरण लाइनों का विस्तार, सम्बद्ध उपस्कर की कीमत, तथा ऊपरी खर्चों पर निर्भर करता है। बिजली के उत्पादन की लागत उत्पादन के तरीके पर निर्भर करती है अर्थात उत्पादन पन बिजली का है, वाष्पीय है या डीजल से है। कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरों में औचित्य लाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों से प्रार्थना की गई है कि वे राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये एक सम दरें लागू कर दें। छोटे जमींदारों को पम्पों द्वारा सिंचाई की सुविधा जुटाने के लिये तथा खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिये पम्पों को ऊर्जित करने की गति में तेजी लाने के लिये राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई थी कि वे किसानों को बिजली सम्भरण की दर को 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक न रखें। 12 पैसे प्रति यूनिट की सीमा का इस लिये सुझाव दिया गया था कि किसानों को इस आधार पर प्रोत्साहन दिया जाए कि सिंचाई की लागत, उत्पादन की लागत के उचित अनुपात में हों। आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर 12 पैसे प्रति यूनिट अथवा इससे कम है।

भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि 1-4-1966 से किसानों को दी जाने वाली 12 पैसे से अधिक की दरों पर उपदान दिया जाएगा। उपदान पर होने वाले व्यय को केन्द्र और सम्बद्ध राज्य सरकारें आधा आधा बांटेंगी। किसानों को दी जाने वाली बिजली की 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक दरों को निर्धारित करने के लिये 1 जनवरी, 1966 को लागू दरों अथवा बाद में किसी भी समय लागू दरों को, जो भी कम हों, ध्यान में रखा जाना है।

दमे का उपचार

5145. **श्री ग० शं० मिश्र :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूस सरकार ने ताशकन्द में सर्प विष से दमे के उपचार की दवाइयाँ बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित किया है ;

(ख) क्या सरकार ने रूस की सरकार से प्रार्थना की है कि उनके द्वारा विकसित तरीके को भारत मे अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये उपलब्ध कराया जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में दमे के रोगियों के उचित उपचार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रूस सरकार ने ऐसी कोई फैक्टरी खोली है इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) देश में दमा के रोगियों का उपचार मुख्यत: निम्नलिखित औषधियों से किया जाता है :—

(i) एण्टीबायोटिक्स अथवा पैंसिलिन और ब्रौड स्पैक्ट्रम एण्टीबायोटिक्स तथा

(ii) एड्रीनैलिन एफड्रीन तथा कार्टिको स्टीरायड्स जैसे ब्रौंकियल डाइलटर्स

नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के भवनों से ब्रिटिश क्राउन हटाना

5146. **श्री मनुभाई पटेल :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी भवनों पर से ब्रिटिश शासन का चिन्ह (क्राउन) हटा कर उसके स्थान पर अशोक चक्र लगा दिया गया है ;

(ख) नई दिल्ली सचिवालय के नार्थ तथा साउथ ब्लाकों पर से अब तक ऐसे कितने क्राउन हटाये गए हैं ; और

(ग) क्या ऐसे कुछ क्राउन अभी भी सचिवालय भवनों पर हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। बदलने (रिप्लेसमेट) का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) 19 ।

(ग) 24 और क्राउनों/ब्रिटिश कोर्ट आफ आर्म्स को हटाना है । 20 को हटाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा

397 (Ai) LS—8.

उन 4 के सम्बन्ध में जो नार्थ और साउथ ब्लाक दोनों के जलूसी रास्ते के बीच खम्बों पर हैं उनके बदलने के विषय में वास्तुकों और तकनीकी अधिकारियों के परामर्श से निर्णय लिया जायगा ।

नसबन्दी आपरेशन के लिये प्रोत्साहन

5147. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय परिवार नियोजन में आजकल नसबन्दी आपरेशन बहुत लोग करा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिये सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में आपरेशन कराने वाले को 18 रुपये, ऐजेन्ट को 3 रुपये और डाक्टर को पाँच रूपये दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता है कि इस धन सम्बन्धी प्रोत्साहन से समाज को कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 'केफ़ेटेरिया-पद्धति अपनाई' जा रही है जिसमें नसबन्दी और लूप की मुफ्त सेवाओं तथा गर्भनिरोधकों की मुफ्त सप्लाई की व्यवस्था है और जिनका चुनाव प्रत्येक दम्पत्ति की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। फिर भी जिन दम्पत्तियों के दो या तीन से अधिक बच्चे हैं उन्हें परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए नसबन्दी कराने पर जोर दिया जाता है और जिन दम्पत्तियों के दो या दो से कम बच्चे हैं उन्हें बच्चों के बीच समयान्तर रखने के लिए लूप और अन्य प्रचलित गर्भनिरोधकों को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 30 रुपया प्रति नसबन्दी आपरेशन के हिसाब से धन देती ह। इस रकम का कुछ हिस्सा नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्ति को उसकी वेतन हानि, आकस्मिक खर्चों आदि को पूरा करने की दृष्टि से दिया जाता है। कुछ हिस्सा प्रेरक को दिया जाता है जो उसकी प्रेरणा सम्बंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है और उस खर्च को पूरा करने के लिए होता है जो प्रेरित व्यक्ति को परिवार नियोजन केन्द्र तक लाने में करना पड़ता है, जहाँ परिवार नियोजन सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। डाक्टरों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ रुपये दिए जाते हैं। 30 रुपयों में से कुछ हिस्सा दवा, मरहम पट्टी और परिवहन आदि खर्चों को पूरा करने के लिए भी होता है। यह राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि वे किस तरह 30 रुपये की राशि को उपरोक्त खर्चों में बाँटते हैं। सेवाओं, वेतन हानि और परिवहन खर्चों के मुआवजे के रूप में ये रुपया दिया जाता है। यह प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जाता है और इसलिए इससे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने की सम्भावना नहीं है।

बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में वेणुगोपालन समिति

5148. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की अंतर्राज्यीय बिक्री और उस पर बिक्री-कर लगाने की वाँछनीयता पर विचार करने के लिये नियुक्त वेणुगोपालन समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी बिक्री और कर के सम्बन्ध में सांवैधानिक बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वेणुगोपालन समिति की सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है :—

1. अन्तर्राज्यीय बिजली सप्लाई निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त की जाए :

   (1) तीन सालों और उससे अधिक की अवधि के लिए दीर्घकालीन बिजली सप्लाई ।

   (2) तीन सालों से कम की अवधि के लिए अस्थाई बिजली सप्लाई ;

   (3) मौसमी बिजली सप्लाई ;

   (4) क्षेत्रीय प्रणालियों के अनुकलित प्रचालन के लिए अन्तःसम्पर्क स्थापित प्रणालियों के बीच विद्युत् विनिमय ;

   (5) आपातकालीन विद्युत् सम्भरण
   (अर्थात् पारेषण सुविधाओं के खत्म हो जाने पर और उत्पादन यूनिटों के टूट जाने के परिणामस्वरूप आपतकालीन माँगें) ; और

   (6) प्रतिबन्धित बिजली सप्लाई
   (व्याप्त अथवा कार्याव्यित समय)

2. बिजली उत्पादन तथा पारेषण के खर्च को बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के क्रमशः आठवीं और पांचवीं अनुप्रसूचियों म दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार निकाला जाए । यह खर्च ब्याज और मुल्यह्रास के संबध में बोर्डों के लिये उपयुक्त आधारों पर उचित रूप से संशोधित होगा ।

3. अतर्राज्यीय सम्भरण का खर्च उपादन की संचित लागत (यदि कोई बिजली की मात्रा बढ़ा दी गई होगी, वह भी इसमें शामिल होगी) पर और जिस ग्रिड से बिजली बेचने वाला बोर्ड बिजली सप्लाई करता है उसकी बिजली के पारेषण की उचित लागत पर आधारित होना चाहिये ।

4. उपर्युक्त श्रेणी (1) के लिये बिजली की दर सम्भरण व्यय पर आधारित होनी चाहिये और इसमें 3 प्रतिशत लाभ भी शामिल होना चाहिये (यह इस लिए आवश्यक है कि उपयुक्त श्रेणी (1) के अधीन बेचने वाले बोर्ड को आवश्यक

उत्पादन क्षमता का प्रबन्ध करना होगा और खरीदने वाले बोर्ड के लिये अपेक्षित उत्पादन क्षमता दीर्घकालीन आधार पर सुरक्षित रखनी पड़ेगी जैसे कि उसे अपने क्षेत्र के थोक उपभोक्ताओं के लिये बिजली देने के सम्बन्ध में करना पड़ता है। इस लिये बिजली सम्भरण की लागत को 3 प्रतिशत लाभ समेत, बिजली सप्लाई के दरों को निर्धारित करने के लिये पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिये।

5. उपर्युक्त (2) से (5) श्रेणियों के लिये बिजली की दरों को निश्चित करने में केवल सम्भरण की लागत पर ही ध्यान रखा जाना चाहिये अर्थात् इसमें केवल उत्पादन तथा पारेषण की लागत शामिल होनी चाहिये और 3 प्रतिशत लाभ इस में नहीं आना चाहिये ।

6. उपर्युक्त श्रेणी (6) के लिये बिजली की दरों को खरीदने और बेचने वाले बोर्डों द्वारा आपसी बातचीत से तय करना चाहिये क्योंकि व्यस्त तथा कम-व्यस्त समयों की दर आपसी बातचीत से ही तय की जा सकती है।

7. उपर्युक्त श्रेणी (1) और (2) के लिये द्वि-विभागीय दरों को अपनाया जाना चाहिये और अन्य श्रेणियों के लिये केवल ऊर्जा दर ही लागू होनी चाहिये।

8. यदि किसी विशेष मामले में शर्तें समिति द्वारा सुझाई गई श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं तो बेचने वाले तथा खरीदने वाले बोर्डों को बात-चीत द्वारा ऐसी दर निश्चित कर लेनी चाहिये जो दोनों को स्वीकार्य हो ।

9. एक राज्य से दूसरे राज्य को दी जाने वाली बिजली पर शुल्क / कर लगाने के बारे में भारत सरकार संविधान के संगत उपबंधों के संदर्भ में राज्य सरकारों से मामले पर बातचीत कर सकती है ।

10. ये सिफारिशें एक ओर सरकारी विभागों तथा निगमित निकायों और दूसरी ओर राज्य बिजली बोर्डों के बीच बिजली के क्रय तथा विक्रय पर स्वतः लागू नहीं होंगी ।

(ख) और (ग). ये सिफारिशें विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिये भेज दी गई हैं। कुछ राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों की प्रतीक्षा की जा रही हैं। इस बीच सिंचाई तथा विद्युत् के विभिन्न मंत्रियों के साथ प्रादेशिक बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों की हो रही बैठकों में इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न फर्मों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना

5149. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फर्मों द्वारा पिछले पाँच वर्षों में निर्यात-बीजकों में वास्तविक मूल्य से कम राशि दिखायी जाने के परिणामस्वरूप भारत को धन की कितनी हानि हुई है ?

(1) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, (2) टाटा उद्योग समूह । (3) बिड़ला उद्योग समूह, (4) मैसर्स एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टन इंक, (5) मैसर्स यूनियन कारबाइड लिमिटेड, (6) मैसर्स

बर्मा शैल, (7) मैसर्स आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड, (8) मैसर्स एनफील्ड इंडिया लिमिटेड, (9) मैसर्स सिएट टायर्स लिमिटेड, (10) मैसर्स फायर स्टोन रबर कम्पनी, (11) मैसर्स इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, (12) मैसर्स वालमेर लावेई लिमिटेड, (13) मैसर्स टर्नर मौरीसन कम्पनी लिमिटेड, (14) मैसर्स बंग एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, (15) मैसर्स लुईस ड्रैफिन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आय-कर दाता

5150. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आयकर देने वाले प्रथम दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें प्रति वर्ष कितना कितना आय-कर देना पड़ता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक आय-कर देने वाले प्रथम 10 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मेसर्स आरमुखम् एण्ड संस, अबर डीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर ।
2. मेसर्स कारनिकोबार ट्रेनिंग कम्पनी, कारनिकोबार ।
3. मेसर्स नानकौड़ी ट्रेडिंग कम्पनी, नानकौड़ी ।
4. मेसर्स जडावत ट्रेडिंग कम्पनी, अबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेअर ।
5. मेसर्स के० कृष्ण स्वामी एण्ड सन्स, अबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेअर ।
6. मेसर्स सेंट्रल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, अबरडीन बाजार ।
7. मेसर्स टी० गुरुस्वामी एण्ड सन्स, अबरडीन बाजार ।
8. मेसर्स हीरा सिंह निहचल सिंह, अबरडीन बाजार ।
9. मेसर्स केशवलाल एण्ड सन्स, अबरडीन बाजार ।
19. मेसर्स श्री जगन्नाथ हाड्डो ।

इन मामलों में 1962-63 से लेकर 1966-67 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारित आय के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

मैसूर पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स, मुनीराबाद (मैसूर)

5151. श्री अगाड़ी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स, मुनीराबाद, जिला रायचूर, मैसूर राज्य की स्थिर परिसम्पत्ति का मूल्य मैसूर राज्य वित्तीय निगम, बंगलौर द्वारा उस मिल को जमानती (सिक्योड) ऋण के रूप में दी गई राशि का चौथाई हिस्सा भी नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस मिल के बन्द हो जाने के पश्चात् इस प्रकार दी गई राशि को वसूल करने के लिये कुछ प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है और उस तिथि को कुल कितनी राशि अभी बकाया थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । राज्यों के वित्तीय निगमों की स्थापना सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उन पर सम्बद्ध राज्य सरकारों का ही प्रशासनिक नियंत्रण होता है ।

अपर तुंगभद्रा परियोजना

5152. श्री अगाड़ी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थिरथाहाली अथवा होन्नाली के निकट मैसूर राज्य में अपर तुंगभद्रा परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा तालुकवार कितनी भूमि में सिंचाई होगी और उस पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) परियोजना का काम कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : सूचना मिली है कि मैसूर सरकार अपर तुंगभद्रा परियोजना के बारे में अनुसंधान कर रही है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

विश्व बैंक का प्रतिवेदन

5153. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री विलियम गिलमार्टिन ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

अस्वामिक खाते (अनक्लेम्ड एकाउन्ट्स)

5154. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय जीवन बीमा निगम में विभिन्न शीर्षों के अधीन कुल कितने "अस्वामिक खाते" हैं और इस प्रकार के अस्वामिक खातों में वर्षवार कुल कितनी धन राशि है ;

(ख) इन खातों के स्वामियों का पता लगाने और इन दावों को निपटाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) ये धन-राशियाँ किन शीर्षों के अन्तर्गत बट्टे खाते डाली गई हैं और किन शीर्षों में उनका निपटान किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के किसी कल्याण के कार्य के लिये इस धन-राशि का उपयोग करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) लावारिश खाते दो प्रकार के होते हैं, अर्थात

(1) दावे, और

(2) जमा इत्यादि ।

पिछली पाँच लेखा अवधियों में खातों में वापस जमा खाते डाली गई लावारिश रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	दावे	जमा इत्यादि
	(लाख रुपयों में)	
31-3-63 (15 महीने की अवधि) . .	51.2	53.9
31-3-64 को	35.1	52.3
31-3-65 को . . .	42.5	53.0
31-3-66 को . . .	48.4	54.5
31-3-67 को	53.0	61.8

नोट :—इन रकमों से सम्बन्धित खातों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पार्टियों का पता लगाने और नियमों की आवश्यकताओं को पूरी कराने के लिए पत्र लिखे जाते हैं और पूछताछ की जाती है ।

(ग) तीन वर्ष से अधिक पुराने दावों को और पाँच वर्ष से अधिक पुरानी अन्य मदों को लावारिश रकमें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत जीवन-निधि खाते में वापस जमा कर दी जाती हैं :—

(i) पुराने बकाया और लावारिश दावे का वापस जमा खाता ; और

(ii) पुराने बकाया और लावारिश जमा (डिपाजिट) का तथा अन्य रकमों का वापस-जमा खाता ।

(घ) ये रकमें जीवन निधि में मिला दी जाती हैं और पालिसीधारकों के लाभ के लिए उपलब्ध रहती हैं । जब सही दावेदार की ओर से दावा किया जाता है और नियमों की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है तो दावों की रकमों की अदायगी तथा डिपाजिट की रकमों की वापसी कर दी जाती है और इसमें इस बात का विचार नहीं किया किया जाता है कि उक्त रकमों को वापस-जमा खाते डाल दिया गया था और दावा मियाद बाहर पेश किया गया है।

डी० डी० ए० के प्लाटों पर पट्टा कर

5155. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् की कार्यकारी समिति ने हाल ही में दिल्ली प्रशासन को सुझाव दिया है कि डी० डी० ए० के प्लाटो पर पट्टा कर 2 1/2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों में मिलावट

5156. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में और सीमावर्ती राज्यो में मिलावट वाली औषधियों का बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राजधानी और उसके सीमावर्ती राज्यो में मिलावट वाली औषधियो का बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है यह सच नहीं है ।

(ख) औषधियो में मिलावट को रोकने के लिये किये गये उपायों का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 595/68]**

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में दुकानों का आवंटन

5157. **श्री शम्भू नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में गोल मार्केट में नगरपालिका की पुरानी दुकानें के व्यापारियों के किराना व्यवसाय के स्थान पर आटे की चक्की लगाने के कितने आवेदन-पत्र नई दिल्ली नगरपालिका के पास अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या इसके बिल्कुल साथ क इलाके के अन्य दुकानदारों, बस्ती के निवासियों महानगर परिषद् के सदस्यों, नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों और भूमि विकास अधिकारी ने प्रस्तावित आवेदन का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक ।

(ख) जी हां । प्रस्तावित आवेदन के विरुद्ध कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) यह मामला नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है ।

नई दिल्ली नगरपालिका की दुकानों में व्यवसाय में परिवर्तन

5158. **श्री शम्भू नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल मार्केट, नई दिल्ली में दुकानो में आटे की चक्की और तेल के कोल्हू चलाने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका की यह नीति है कि नगरपालिका की किसी दुकान में केवल एक ही व्यवसाय करने की अनुमति दी जाये ;

(ग) क्या एक ही दुकान में आटे की चक्की और तेल निकालने के कोल्हू को एक व्यवसाय माना जायेगा अथवा दो व्यवसाय; और

(घ) क्या इसे दिल्ली की वृहद् योजना के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के प्रतिकूल माना जायेगा क्योंकि इस क्षेत्र की डी० आइ० जैड० (5) योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिये इन दुकानो को तोड़ा जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कोई कथित शुल्क (कोटेशन) नहीं मंगे गये थे किन्तु एक व्यक्ति श्री जी०

एस० अजमेरा ने अपनी ही इच्छा से गोल मार्केट की दुकान नं० 41 के संबंध में निम्न-लिखित मासिक लाइसेंस शुल्क देने का प्रस्ताव किया है :—

तेल मिल . . .	600 रु० प्रति मास
आटा मिल	900 रु० प्रति मास
तेल तथा आटा मिल . .	1200 रु० प्रति मास

(ख) सामान्यतया एक दुकान में एक ही व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है तथापि स्थान उपलब्ध होने और स्वास्थ्य उप-नियमों के अधीन कोई आपत्ति न होने पर अतिरिक्त व्यवसाय करने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) दो पृथक व्यवसाय ।

(घ) इस क्षेत्र को असंगत क्षेत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दुकानें डी० आई० जेड० क्षेत्र की पुनर्विकास योजना के क्षेत्र में आती हैं इसलिए इनके आवंटियों को वैकल्पिक स्थान प्रदान करने के उपरांत इन्हें गिरा दिया जाना है ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बनाये गये स्टालों का दिया जाना

5159. **श्री शम्भू नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में नई दिल्ली नगर पालिका ने बिना टेन्डर मांगे मानवीय आधार पर विभिन्न बाजारों में बने स्टालों को किन-किन व्यक्तियों को रियायती मासिक लाइसेंस शुल्क पर दिया है और किस व्यक्ति को किस संख्या का स्टाल दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यक्तियों ने इन स्टालों को अपने नाम पर जैसे-तैसे इसलिये अलाट करा लिया है ताकि उन्हें तबादले के समय वैकल्पिक स्थान मिल जाये या उन स्टालों को पुनः किराये पर दिया जा सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अलाटियों ने अभी तक उनमें कोई व्यापार शुरू ही नहीं किया है और इससे समझौते की शर्तों का उल्लंघन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका ने इन अलाटियों को खत्म करने, टेन्डर के आधार पर उन्हें पुनः देने और नई दिल्ली नगरपालिका को होने वाली हानि को रोकने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) लेडी हार्डिंग रोड पर 7 नम्बर का स्टाल 1961 में श्री जगदीश बवेजा को तथा बेअर्ड लेन के 82 और 83 नम्बर के स्टाल 1964 में श्री एस० एन० चोपड़ा और आर० सी० गोयल को दया/मानवीय आधार पर टेन्डर आमंत्रित किये बिना अलाट किये गये थे किन्तु रियायती मासिक लाइसेंस शुल्क पर नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन आधार पर मकान दिये जाने के लिये श्रमजीवी महिलाओं की ओर से ज्ञापन-पत्र

5160. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं की ओर से सरकार को ज्ञापन-पत्र मिला है कि उनके लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि के लिए रहने की व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तथापि, गैर-सरकारी कर्मचारियों को जितना स्थान उपलब्ध था, उस सीमा तक वर्किंग गर्ल्स होस्टल में रिहायसी आवास आवंटन कर दिया गया है। उनके लिए जो कि पात्र कार्यालयों में कार्य कर रही हैं, महिला पूल बना दिया गया है, तथा इसके अतिरिक्त, उनकी पारी पर सामान्य पूल से भी वास आवंटित कर दिये जाते हैं ।

Case of tax evasion against M/s. Baldeo Prasad Sitaram of Kanauj

5162. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the case of Income-tax evasion has been detected against M/s. Baldeo Prssad Sitaram, Jewellers, Kanauj ;

(b) if, so, the action taken in the matter ; and

(c) the amount of of income-tax paid by this firm during the last five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :(a) Investigations are in progress regarding alleged tax evasion.

(b) Necessary action will be taken after completion of the investigations

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

'ब्लैक चाय' पर उत्पादन शुल्क

5163. **श्री हेमराज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चाय बगीचों से ब्लैक चाय पर वर्ष 1963 में पहली बार निर्धारित 18 पैसे के बदले अब 30 पैसे उत्पादन शुल्क लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कमजोर बगीचों की चाय कम दामों पर बिक रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शुल्क की दर को घटा कर फिर से 18 पैसे निर्धारित करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) वास्तविक स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा मंडी-क्षेत्रों में उत्पन्न 'काली चाय' के लिए कलकत्ता तथा कोचीन में होने वाले नीलामों में अन्य क्षेत्रों को काली चाय के औसत भावों के मुकाबले कम दाम मिलते हैं ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा मंडी क्षेत्रों में उत्पन्न काली चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कमी करना वांछनीय है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों द्वारा ऋणों की अदायगी

5164. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा ऋणों की अदायगी की शर्तों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार को कोई योजना भेजी गई है ; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 31 मार्च, 1967 तक दिये गये और 31 मार्च, 1968 को बकाया सभी ऋणों को (रासायनिक खाद सम्बन्धी ऋणों, तदर्थ ऋणों, अथोपाय अग्रिमों जैसे कुछ खास किस्मों के ऋणों को छोड़ कर) इकट्ठा करने और उसके साथ उनके परिशोधन की शर्तों का पुनर्निर्धारण करने और ब्याज की दरों को युक्तिसंगत बनाने की एक अस्थायी योजना पिछली जनवरी में राज्यों को, उनके विचार जानने के लिए भेजी गयी थी । अभी तक किसी राज्य सरकार ने अपने विचार नहीं भेजे हैं ।

Income Tax arrears against Cinema owners in Mysore State

5165. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will th e Minister of **Finance** be pleased to state the amount of Income-tax arrears for the last four years outstanding against the owners of cinemas in Mysore State , the names of the said owners and the steps taken to recover the said amount ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Allocation of funds for Higher Education to Students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Mysore

5166. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the year 1967-68 for providing facilities of higher education to the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Mysore ; and

(b) the amount spent so far in 1967-68 ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenue Guha) : (a) Rs. 14·22 lakhs.

(b) Rs. 10.64 lakhs was spent upto 31st October, 1967.

Allocation of Funds for Scheduled Tribe Areas in Mysore

5167. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount allocated during 1965-66, 1966-67 and 1967-68, separately, for the Sheduled Tribe areas in Mysore ; and

(b) the names of Districts for which the said amount was earmarked ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The amounts allotted for the *ad hoc* tribal development blocks are :—

Year	Rs. in lakhs
1965-66	3·66
1966-67	5·00
1967-68	4·00

(b) These blocks are situated in the districts of Coorg, Mysore and South Kanara.

Power Generation in Mysore

5168. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to State :

(a) the power generated in Mysore by the end of 1967 as compared to that in Madras and Andhra Pradesh and the reasons for the difference ;

(b) whether the Government are considering any schemes to augment the production of electricity in Mysore with a view to remove the said difference ; and

(c) if so, the nature of the said schemes and the time by which they are likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The peak demand for power and the energy generation during 1967 in the States of Mysore, Madras & Andhra Pradesh are given below :—

State	Peak Demand (MW)	Energy generation (Million KWh)
Mysore	320	2255·6*
Madras	983	4957·1
Andhra Pradesh	315	1771·9

(b) and (c). The aggregate installed capacity in Mysore by the end of 1967 was 620 MW. This is expected to rise to 971 MW by 1969-70 and to 1149 MW by 1972-73 on completion of the Stages II & III respectively of the Sharavathy Project which are under implementation.

*Out of this, 196·7 million KWh was supplied in bulk to Madras, 10 million KWh to Andhra Pradesh & 35 million KWh to Goa.

It will be seen that the demands for power in these States are different which explains the difference in energy generation in these States.

बरौनी तेल शोधक कारखाने का बन्द होना

5169. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेलशोधक कारखाने के बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इसके कारण इस कारखाने को कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) मुंगेर में गंगा नदी के पानी के दूषित होने के बारे में, जिसका कथित कारण शोधक कारखाने द्वारा छोड़ा गया मल निस्राव बताया गया था, निलंबित पूछताछ होने तक, ऐहतियातन बरौनी कारखाना को 7-3-1968 से अस्थायी तौर पर बन्द किया गया ।

(ख) प्रति दिन लगभग 1.65 लाख रुपये की हानि अनमानित है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा ईरान की यात्रा

5170. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री कंवरलाल गुप्ता :
क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनकी हाल की ईरान यात्रा सफल रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) इस बारे में सफलता की परिभाषा बताना कठिन है; किन्तु यात्रा सुपूर्णतया सन्तोषजनक रही ।

(ख) आर्थिक संचलन की कई नई सम्भावनाएं जांची गई हैं और उन पर विचार विमर्ष किया गया है । दोनो पक्ष के प्रतिनिधियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि पैट्रोलियम खाज के क्षेत्र में वर्तमान सम्बन्धों को बढ़ाया जाए और उर्वरकों एवं पैट्रो-रसायनों जैसे नये क्षेत्रों को शामिल किया जाए ।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में होम्योपैथी का सम्मिलित किया जाना

5171. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी और चिकित्सा की अन्य स्वदेशी प्रणालियों में कुछ भी समानता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो स्तावित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली परिषद में होम्योपैथी को शामिल करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । होम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है ।

(ख) प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली की अलग-अलग परिषद् होने की अपेक्षा सब के लिए एक संयुक्त परिषद् का होना जिसमें प्रत्येक को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो अधिक सक्षम समझा जाता है ।

ग्रामीण सहायता स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी औषधालय

5172. **डा० संकटा प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सहायता स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत देश में होम्योपैथी की कितनी डिस्पैन्सरियां चल रही हैं ; और

(ख) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में ऐसी कितनी डिस्पैंसरियां चल रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

होम्योपैथि के सलाहकार

5173. **डा० संकटा प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में होम्योपैथी के सलाहकार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) होम्योपैथिक सलाहकारों समिति ने 2 दिसम्बर 1967 को हुई अपनी बैठक में राज्यों में होम्योपैथिक सलाहकारों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया है । समिति के इस सुझाव पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

परिवार नियोजन सम्बन्धी आपरेशन

5174. **श्री जुगल मंडल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी स्त्रियों को लूप पहिनाये गये तथा कितने लोगों न नसबन्दी कराई ; और

(ख) भारत में गांवों तथा शहरों में पृथक-पृथक जाति के लोगो में जन्म दर कितनी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहनाये गये लूप और नसबन्दी किये गये व्यक्तियो की संख्या इस प्रकार है :—

नसबन्दी	पहनाये गये लूप
1428338	512211

(10-3-68 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार)

('ख) ऐसे आंकड़े समुदाय वार एकत्र नहीं किये जाते हैं ।

'घोषित वस्तुओं' की सूची में अशोधित तेल

5175. **श्री रा० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत क्या 'घोषित वस्तुओं' की सूची में अशोधित तेल को सम्मिलित करने के सरकार के प्रस्ताव से आसाम सरकार को एक करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होगी ;

(ख) क्या यह प्रस्ताव राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 14 का संशोधन कर के 'अशोधित तेल' को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा पेट्रोल और रसायन मंत्रालय के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है । यदि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया गया तो असम सरकार के राजस्व पर इस का कुछ प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । किन्तु अन्तिम निर्णय सभी राज्य सरकारो के विचार प्राप्त होने पर तथा सभी सम्बद्ध कारणों का हिसाब लगाकर ही किया जायगा ।

सीमा शुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

5176. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क विभाग कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने हेतु एक प्लाट लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्लाट कब लिया गया था ;

(ग) निर्माण कार्य के अभी तक आरम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि प्लाट के किराये के रूप में प्रति मास भारी धनराशि दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1965 में ।

(ग) यद्यपि भूमि-अभिग्रहण की कार्यवाही को रोके नहीं रखा गया था क्योंकि ऐसा करने से विलिंगडन द्वीप में, बाद में, उपयुक्त प्लाट मिलना कहीं अधिक कठिन होता तथापि आपात की स्थिति के दौरान मितव्ययता के लिए लगाये गये कठोर प्रतिबन्धों के कारण निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका ।

(घ) पत्तन अधिकारी भूमि को पूरी तरह बेचने को राजी नहीं हुए इसलिए 4.3 एकड़ का यह प्लाट पत्तन-न्यास से 2700 रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष के किराये की दर से पट्टे पर लिया गया ।

General Insurance

5177. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the conditions regarding deposits for twenty years laid down in the proposed draft of the scheme for control on General Insurance will not lead to extinction of small companies and give rise to the monopoly of big Companies ;

(b) of so, the steps proposed to be taken to check such monopolistic tendency; and

(c) the extent to which such partial control would be helpful in achieving the socialistic objective ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The reference appears to be to a proposal contained in the Government Statement made in Parliament on the 22nd December, 1967, regarding social control over General Insurance. The proposal is that "the statutory deposit which is Rs 3·50 lakhs for an insurer registered for all the three classes of general insurance business will be increased to Rs. 20 lakhs and this deposit will be required to be made even if the insurer is registered for only one class of insurance business or two". The increased deposits would ensure that the companies build up strength and not fritter away their resouces. This will not necessarily lead to the extinction of small companies as stated in the statement, "the insurers who individual'y lack the necessary strength would be given the facility to pool their resources by resort to group working". The new measures such as provisions of increased deposits and 'solvency margin' may result in group arrangements and amalgamations but the competitive character of the insurance industry will continue to exist.

(c) The new measures contained in the aforesaid policy statement aim at guiding the development of general insurance in the country on sound and healthy lines as such are expected to make insurers 'socially conscious' business organisations.

Expenditure on Family Planning Campaign

5178. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the family planning campaign so far ; and

(b) the amount of foreign exchange spent on the family planning devices and the names of the countries from which they are being imported ?

Thr Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S Chandrasekher) : (a) Rs 6730·60 lakhs approximately, right from the First Five year Plan period.

(b) Rs 42·39 lakhs out of the above were spent on importing family planning devices from Japan, U. K, and South Korea.

Government and Private colonies in Delhi

5179. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of private and Government colonies constructed in Delhi so far;

(b) the total amount advanced by Government for the construction of these colonies so far and the return thereon accruing to Government ; and

(c) the number of colonies constructed by the Co-operative Societies and the details of facilities provided to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). This Ministry is concerned mainly with the construction of residential accommodation in the general pool for eligible Central Government employees. In addition to 32 Government residential colonies, there are also messes and hostels. Houses have also been built on Wellesely Road, Cornwallis Road, Mathura Road, etc. Construction of residential accommodation for Central Government empolyees commenced over 35 years back and has been continuing since. The time and labour on the collection of information about the expenditure incurred on the construction and development of the colonies and the return thereon will not be commensurate with its utility.

As regards private colonies, including those constructed by the Co-operative Societies, Ministry of Health, Familly Planning and Urban Dovelopment may be addressed.

Expenditure on Irrigation Schemes

5180. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Central Government on providing means of irrigation so far and the State-wise details of expenditure incurred on each scheme;

(b) the amount of return realised in respect of each scheme so far in comparison with that originally fixed; and

(c) the extent to which the state Governments have been successful in collecting the levy on irrigation and the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Central Government provides earmarked loan assistance for some selected multipurpose and major irrigation projects. Other major and medium projects are assisted indirectly by the miscellaneous development loans sanctioned for the State Plans as a whole.

Minor irrigation schemes are provided assistance by way of loans and grants.

(b) and (c). Statement of financial returns for the year 1963-64 compiled by the Central Water and Power Commission from the data received from the State Governments and the project authorities have been placed in the Parliament Library.

Upper Sone Canal

5181. **Shri Mudrika Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that work on Upper Sone Canal has been stopped for want of funds.

(b) if so, the amount being allocated in the current financial year for this canal ; and

(c) the total amount required therefor and when the Project is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :
(a) The Sone High Level Canal scheme is yet to be approved for execution.

(b) No provision was proposed for the scheme by the Govt. of Bihar for the current financial year.

(c) The total cost of both the High Level Canals is estimated at Rs. 8·8 crores. The project is proposed to be completed in three to four years from its commencement, subject to availability of funds.

Major and Medium Irrigation Schemes

5182. Shri Mudrika Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of major and medium irrigation Schemes which have been approved during the last five years and the per acre expenditure thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The names of major and medium irrigation projects approved by the Planning Commission from 1-1-1963 to 25-3-1968 and the expenditure per acre to be incurred on them, are indicated in the enclosed statement. [**Placed in Library. See No. LT-596/68**]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में छंटनी

5183. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैज आयोग से मान्यता प्राप्त कार्मिक संघो के साथ मजूरी-पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अन्तिम करार पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उस आयोग द्वारा अब तक कितने कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कोई कारण बताये बिना कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया था;

(ग) क्या कार्मिक संघो ने इन कर्मचारियों को सेवा से हटाये जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) तीन की ।

(ख) और (ग). जी हां ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने रिपोर्ट दी है कि इन कर्मचारियों की सेवा मुक्ति उनकी नौकरी की शर्तों के अनुसार की गई थी और इसका उनकी संघ के कार्य-कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

घुड़ दौड़ से प्राप्त राजस्व

5184. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में घुसदौड़ से राज्यवार कुल कितना केन्द्रीय राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को इस राजस्व की कुल कितनी राशि वापस की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार घुड़दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) से (ग). "शर्त लाने और जुआ खेलने" को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 अर्थात् राज्य सूची में शामिल किया गया है। घुड़दौड़ से प्राप्त राजस्व, शर्त पर कर अथवा जुआ पर कर की किस्म का होने के कारण, राज्य सरकारों का है। घुड़दौड़, उससे प्राप्त राजस्व तथा अन्य सम्पृक्त मामले अनिवार्यत: राज्य सरकारों के विषय हैं।

सतपुड़ा तापीय बिजलीघर

5185. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा तापीय बिजली घर चालू कर दिया गया है और यदि हां, तो कब;

(ख) उसमें कितना विद्युतजनन होगा;

(ग) क्या इसमें प्रयोग हेतु कोयले का पर्याप्त भण्डार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय भण्डार में कुल कितना कोयला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सतपुड़ा बिजलीघर के पांच यूनिटों में से, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 62.5 मैगावाट है, प्रथम यूनिट अक्तूबर, 1967 में चालू किया गया था। बाकी यूनिटो के 1968-69 में, एक के बाद दूसरे के चालू होने की संभावना है।

(ख) पूर्ण होने पर, सतपुड़ा बिजली घर की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 312.5 मैगावाट होगी और वास्तविक क्षमता 250 मैगावाट होगी।

(ग) और (घ). इस समय स्टाक में लगभग 58,000 टनेस कोयला पड़ा है जोकि एक यूनिट को 70 दिन तक चलाने के लिये काफी है।

विदेशों में भारतीय डाक्टर

5186. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार कितने भारतीय डाक्टर विदेशो में गये हैं;

(ख) उनमें से कितने डाक्टर उच्च-शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये गये हैं और कितने उपयुक्त रोजगार के लिये गये हैं;

(ग) उनमें से कितने वहां पर बस गये हैं; और

(घ) देश में डाक्टरों की कमी को देखते हुए इनको वापिस स्वदेश लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कीनिया के एशियाई लोगों के वहां से निकाले जाने के बारे में की गई बातचीत

श्री गाडिलिंगन गौड : (कुरनूल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 5 मार्च को इसकी सूचना दी थी। यह 4 मार्च 1968 के 'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम के बारे में है। . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने सूचना दी है तो इस पर विचार किया जायेगा। मुझे बताया गया है कि यह विचाराधीन है। कृपया इसे इस प्रकार न उठायें।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : श्रीमन, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

> "श्री बलिराम भगत, वैदेशिक-कार्य राज्य मंत्री, द्वारा कीनिया के एशियाई लोगों के वहां से निकाले जाने के प्रश्न पर कीनिया सरकार के साथ नैरोबी में की गई बातचीत के परिणाम।"

वैदेशिक-कार्य में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : 6 मार्च, 1968 को, इस सदन ने कुछ ऐसे परिणामों पर वाद-विवाद किया जो राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम से उत्पन्न हुए हैं जिससे वे ब्रिटिश पासपोर्टधारी संकट ग्रस्त हो गये हैं जो एशिया मुलक हैं। उस वाद-विवाद के दौरान, माननीय सदस्यों की सामान्य रूप से यही भावना रही कि कीनिया की सरकार और उसके नेताओं के साथ विचार-विनिमय करना वांछनीय होगा। चूंकि 12 मार्च को मारीशस के स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मैं नेतृत्व कर रहा था, इसलिये 14 मार्च को मैं वहां से नैरोबी के लिये रवाना हो गया।

नैरोबी में अपने वापस के दौरान, मैं 15 मार्च को कीनिया के उप-राष्ट्रपति से मिला : इस बैठक में कीनिया के वैदेशिक कार्यों के राज्य-मंत्री भी उपस्थित थे। इसके बाद मैं कीनिया सरकार के अन्य मंत्रियों से तथा कीनिया के विभिन्न भागों के भारतीय मूल के लोगों के प्रतिनिधियों से भी मिला। इससे यह लाभ हुआ कि इस समस्या की पेचीदगियों, आकार-प्रकार और आशयों को संबंधित व्यक्तियों ने ज्यादा अच्छी तरह से समझा। कीनिया के महामान्य राष्ट्रपति से उनके ग्राम्य-आवास पर 18 मार्च को 10 बजे

पूर्वाह्न में मेरे मिलने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको बाद में रद्द कर दिया गया।

इस सदन को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि कीनिया सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि गैर-नागरिकों को जारी किये गये काम-परमिटो की अवधि को एक से दो वर्ष तक और बढ़ा दिया जायेगा। इन गैर-नागरिको में ब्रिटिश और उपनिवेश पासपोर्ट-धारी भारतीय मूल के लोग सम्मिलित होंगे। इस परमिट की अवधि को बढ़वाया भी जा सकेगा।

श्री रा० बरुआ : क्या यह सच है कि हमने मंत्री महोदय की कीनिया के राष्ट्रपति के साथ भेंट समाप्त कराने में ब्रिटिश सरकार का हाथ था और क्या हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यहां पर उनके वक्तव्य देने से पहले ही एक वक्तव्य देकर ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया है?

श्री ब० रा० भगत : कीनया एक स्वतंत्र देश है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई अन्य ताकत उसको निर्देश देती है। प्रवक्ता ने तो इतना ही कहा था कि ब्रिटिश उच्चायुक्त ने उनसे इसका अभ्यावेदन किया है और कहा है कि यह सच नहीं है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : According to press reports the British High Commission in Kenya pressurised Kenya to scuttle out the efforts of the mission of the hon. Minister. Keeping view the fact that British Government passed the immigration act without proper consultation with commonwealth Countries, what action has been taken in this regard with the British Government and Kenya Government for the disrespect shown to us? Are you going to withdraw from the British Commonwealth?

Shri B. R. Bhagat : I will urge upon the Members not to treat it as un insult.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो को समझना चाहिये कि यह एक भावनात्मक प्रश्न है और यह अभी विचाराधीन है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : वह वैदेशिक-कार्य मंत्री के रूप में गये थे, इसलिये यह सारे भारत का अपमान है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि यह अपमान ही नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : He carried a letter from the Prime Minister as her personal manager, yet he was denied an interview. If it is not national humility, what else it is?

Shri Gunanand Thakar (Saharsa) : It is an insult to India. He should withdraw his words.

Shri B. R. Bhagat : As I have said I met the vice President and all other Ministers. The meeting was intended to reduce hardship and avoid harassment of Asian people in Kenya and create confidence in them so that they may face the situation boldly.

It did create confidence in them and it has been decided to extend work permits for one or two years more. There is no enmity between India and Kenya. They had no intention to insult us. It should not be looked from that angle as it will affect our age old friendly relations.

Shri Hardayal Devgun: Is it a fact that the President of Kenya did not meet him and take the letter he was carrying from our Prime Minister?

Shri B. R. Bahagat : A meeting with the President was fixed but it could not materialise. The letter was only an introductory one, the question of not delivering it does not arise.

Shri Hardayal Devgun: What about quitting the Commonwealth ?

Shri B. R. Bhagat: We are fully seized of the view of the hon' Members in this regard. We will have to consult Asian and African members in the commonwealth, who are in majority before taking a final decision. The sentiments of the house will be kept in mind.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम कीनिया के साथ अपने सम्बन्ध बिगाड़ना नहीं चाहते। परन्तु क्या हम यह समझें कि यह इस सभा के सम्मान के अनुरूप है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री को प्रधान मंत्री के निजी संदेशवाहक के रूप में कीनिया के राष्ट्रपति को एक पत्र देने के लिये भेजा जाये और वे वह पत्र न दे पायें और कहें कि राष्ट्रीय सम्मान और आत्म सम्मान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ? वे अपने कार्य में असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप गुस्सा हों, तो आपको शान्त रहने और गुस्से पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिये। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह एक नाजुक मामला है। मंत्री महोदय।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हमने सूचना दी है और आपने हमें नहीं बुलाया है तथा श्री रंगा के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय से कहा है। उत्तर तो आपको देना चाहिये। आप इस पद के लायक नहीं हैं। प्रधान मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रक्रिया यह रही है कि सूचना देने वाले सदस्यों को ही अवसर देना चाहिये। आप व्यवस्था के प्रश्न को सुन सकते हैं परन्तु उत्तर आपको देना होगा न कि मंत्री महोदय को। इस पर आपत्ति है। यदि आप प्रक्रिया से दूर जाते हैं, तो अन्य लोगों को भी आपसे अपनी बात कहने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अपनी भाषा संयत रखना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे सावधानी रखें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्री बरुआ को अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्होंने रोष में यह सब कुछ कहा है लेकिन अब मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें कहना सभा के सम्मान को नहीं बढ़ा रहे हैं। गुस्से में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उन्हें उसे वापस लेना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : मैंने बचपन में सीखा था कि अपनी भावनाओं को नहीं छिपाना चाहिये और मैंने वही किया है। यदि मेरे शब्दों से आपको दुःख पहुंचा है तो मैं उन्हें वापस लेता हूं।

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : मेरा सीधा सा व्यवस्था का प्रश्न है कि राष्ट्र और यह सभा ही निर्णय कर सकती है कि अपमान हुआ है अथवा नहीं। इस पर मंत्री महोदय राय नहीं दे सकते हैं।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम) : क्या यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि श्री अ० कु० सेन कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी अनुमति लेकर कह सकते हैं परन्तु यदि वे इस तरह बीच में बोलेंगे तो सभा में गड़बड़ होगी। अध्यक्ष को निर्णय करना होता है कि व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं।

श्री अ० कु० सेन : मैं इस आधार पर आपत्ति कर सकता हूं कि यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहने से कि यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है उन्होंने अध्यक्षपीठ पर आक्षेप नहीं किया है।

श्री स० कुन्दू : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि अपमान हुआ या नहीं यह सभा अथवा समूचे देश द्वारा निर्णय किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया कि जब वे भारत वापस आ रहे थे, तो क्या हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिये कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया था, जो शिष्टाचार के नियमों के विरुद्ध है। दूसरे...

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न रखने के साथ वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस प्रश्न पर उनकी राय अथवा सरकार की राय का मामला है अथवा क्या यह सभा इस पर अपना निर्णय दे। श्री रंगा ने कहा कि यह सारा मामला बड़ा दुखद रहा है। परन्तु क्या हमें इस प्रकार रोष में अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिये वहाँ पर बहुत से एशियाई लोग हैं और उनकी समस्याएं हैं। माननीय सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि यह एक नाजुक मामला है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है। श्री देवगुण के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि मुलाकात मंत्री महोदय ने अथवा राष्ट्रपति ने रद्द की तथा किन परिस्थितियों में उसे रद्द किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे, तो उन्हें तुरन्त दूसरा प्रश्न पूछना चाहिये था।

श्री हेम बरुआ : हम कीनिया के साथ अपने अच्छे सम्बन्धों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं परन्तु यह तथ्य है कि हमारे मंत्री के प्रति कीनिया का आचरण प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति केनयाटा ने मिलने से इन्कार कर दिया।

श्री हो० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : नियम 41(2) (उन्नीस) में कहा गया है कि प्रश्न द्वारा मित्र देश के प्रति अशिष्टता प्रकट नहीं की जानी चाहिये। एक अनुभवी सदस्य राष्ट्रपति केनयाटा के आचरण के बारे में ऐसा कह रहे हैं। सदस्यों को इस बात को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री मखर्जी की बात की कोई वैधता नहीं है। श्री हेम बरुआ ने कीनिया के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अशिष्टता नहीं दिखाई है। उन्हें प्रश्न ही पूरा नहीं करने दिया गया।

श्री हेम बरुआ : यह सच है कि कीनिया के राष्ट्रपति ने हमारे मंत्री से मिलने से इन्कार कर दिया और वे उप राष्ट्रपति से मिले। कीनिया के नेता ने कहा कि जब आपने भारतीय लोगों पर वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये, तो हमारे उपायों की आलोचना करने का आपको नैतिक दृष्टि से कोई अधिकार नहीं है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि हमारे मंत्री से मिलने से इन्कार करके हमारा अपमान किया गया है।

इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का विचार स्वयं जाने अथवा अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी को भेजने का है? क्या ब्रिटेन ने निश्चय ही रंगभेद को ध्यान में रखकर आप्रवास सम्बन्धी अधिनियम पारित किया है। क्य प्रधान मंत्री इस बारे में ब्रिटेन से बातचीत करेंगी।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातें उनके इस कथन के विरुद्ध जाती हैं कि हम कीनिया के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं। यह कहना गलत है कि किसी ने मुझ से बातचीत नहीं की। वास्तव में बातचीत से लाभ हुआ है। किसी ने यह नहीं कहा कि हम एशियाई लोगों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं और फिर भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके मंत्री और राष्ट्रपति ने बहुत ही शिष्टतापूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। वास्तव में राष्ट्रपति केनयाटा ने स्वयं बैठक के लिये कहा था परन्तु कुछ कारणों से बाध्य होकर उसे रद्द करना पड़ा।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस आप्रवासी विधेयक के बारे में हमने बातचीत की थी और हमारा विचार भी यही है कि इस प्रस्ताव के पीछे रंगभेद है। किसी अन्य मंत्री को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश सरकार एशियाई और कीनियाई और भारतीय और अफ्रीकी लोगों में मनमुटाव पैदा करने के लिये कीनिया में यह भ्रामक प्रचार कर रही थी कि भारतीय प्रतिनिधि कीनिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये आ रहा है? हमारे उच्चायुक्त को इस स्थिति को समझना चाहिये था। क्या उसने इसकी सूचना सरकार को दी थी? उच्चायुक्त को वापस बुलाया जाना चाहिये। माननीय मंत्री ने एक पत्र ले जाने की बात कही। परन्तु वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उसे इस पत्र की जानकारी नहीं है। अब मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि मेरे वहाँ जाने से पहले ऐसी भावना और कुछ अफवाह थी। मैं कीनिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये वहाँ जा रहा हूं। हमारे उच्चायुक्त ने सन्देह व्यक्त किया कि संभवतः ऐसी स्थिति में बातचीत लाभदायक नहीं होगी। परन्तु हमने उन्हें इसका प्रतिकार करने का निदेश दिया और सम्बन्धित लोगों से बातचीत करने के लिये कहा ताकि बातचीत सफल हो सके। उन्होंने हमें सूचना दी कि उन्होंने ऐसा ही किया है और यह भावना नहीं रही है। मुझे यहाँ

पर ही मालूम हो गया था कि यहाँ पर तथा नैरोबी में कुछ ऐसे लोग हैं, जो चाहते थे कि मेरी यात्रा सफल न हो। लेकिन ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधि ने इसका खण्डन किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार लोगों को मालूम है कि कुछ शक्तियाँ विकासशील देशों तथा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में सफल हुए राष्ट्रों के बीच मतभेद और मनमुटाव पैदा करने के लिये प्रयत्नशील हैं। ये शक्तियाँ हमारे देश में भी काम कर रही हैं। किसी देश को दोष देने की अपेक्षा महत्व इस बात का है कि इनका सामना करने के उपायों पर विचार करें। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रवक्ता से अचानक पत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसलिये उन्होंने कह दिया कि उन्हें पत्र के बारे में मालूम नहीं।

श्री बलराज मधोक : श्री मोरारजी भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये प्रवक्ता वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन हैं अथवा स्वतंत्र हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a very delicate matter and the whole House is interested in it. I would suggest that one hour may be allotted for discussion on the various aspects of this issue.'

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा। इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I wish to raise a question of breach of privilege against Shri Vidya Charan Shukla, Minister of State in the Ministry of Home Affairs. During the discussion on the bill regarding West Bengal, on 22nd March, a point of order was raised by Sarvashri Madhu Limaye and S.M. Banerjee whether any expenditure is involved on the proposed Advisory Committee in connection with imposition of President's rule in West Bengal, you had said, "I am using the term 'Joint Committees' not in the technical sense, but in the sense that members belonging to both houses will be there as members."

Then Shri Vidya Charan Shukla said, "I am saying authoritatively that it will not involve any expenditure from out of the consolidated Fund of India and therefore, this does not apply to this Bill."

Shri Rabi Ray: Sir, the Minister in the Ministry of Home Affairs had made a categorical Statement that no expenditure from the consolidated Fund would be involved. He repeated his statement on several times when he was asked to clarify the position. The Bill was not accompanied by a finacial memorandum. Two days after Shri V.C. Shukla came before the House with a financial memorandum and said that it would involve expenditure of about Rs. 90,000 from the Consolidated fund of India. I would emphasise that Shri Shukla deliberately and knowing by misled the House. which Constitutes a breach of privilege and the matter should be referred to the Privileges Committee.

Shri Madhu Limaye: Sir, despite the fact that the Minister was told that the implementation of the Bill would involve expenditure from the consolidated fund of India, the Minister was not prepared to accept this. He repeatedly said that nothing in the Bill would involve any expenditure from the consolidated Fund of India and he further said., "I have made a Categorical Statement and I repeat it, that no expenditure from the consolidated fund shall be involved." Thereafter he made wrong Statements regarding Financial memorandum, President's recommendation and Parliamentary Committee. However, we do not press for the admissibility of the motion provided the Minister admitted his mistake and the Prime Minister gave an assurance that such things would not be repeated in future.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पश्चिम बंगाल विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर जब विचार किया जा रहा था, श्री स० मो० बनर्जी ने प्रश्न उठाया था कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 3 पर अनुच्छेद 117 (3) के अनुसार तथा लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 69 के सम्बन्ध में भारत की संचित निधि से व्यय होगा। मैंने कहा था और मेरा तथा सरकार का दृष्टिकोण यह था कि संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अनुसार भारत की संचित निधि से उस पर व्यय नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति में वर्ष 1960 में एक मामला उठा था जिस पर राज्य सभा सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा विधि मंत्रालय ने गहन रूप से विचार किया था और यह निर्णय दिया गया था ऐसी समितियों पर लोक सभा सचिवालय से व्यय किया जाता है। उसके बाद ऐसे कई विधेयक लाए गये और वर्ष 1960 में लिये गये निर्णय पर आधारित धारणा के अनुसार किसी भी ऐसे विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया।

जहाँ तक खर्च का सवाल है उस बारे में कोई विवाद नहीं था। प्रश्न केवल यही था कि क्या उस पर संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत उस पर खर्च होगा या नहीं। चूंकि वर्ष 1960 में लिये गये निर्णय की मुझे जानकारी थी इस लिए मैंने सभा के समक्ष ऐसा कहा। बाद में आपके विनिर्णयानुसार हमने वित्तीय ज्ञापन परिचालित कर दिया। यही मुझे इस सम्बन्ध में कहना है।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : श्री विद्याचरण शुक्ल की बात सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण पहले भिन्न था लेकिन आपके विनिर्णयानुसार उन्होंने बाद में वित्तीय ज्ञापन परिचालित किया। मंत्री महोदय के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि आप के विचारों का कोई विरोध करेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Since the hon. Minister is not prepared to appologize, the matter should be referred to the Committee.

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। अच्छा होता यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने से पहले मामले पर पूर्ण रूप से विचार कर लिये होते। क्योंकि पुरानी प्रथाओं के बारे में कोई भी व्यक्ति यकीनन कुछ नहीं कह सकता, हमें ठीक प्रक्रिया के अनुसार काम करने की दृष्टि से उस पर विचार करना चाहिये। अगर पहले कुछ अनियमितता रही हो, तो हम उसे पूर्वोदाहरण बताकर उस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते।

भविष्य में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। मै व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं और हर व्यक्ति मुझसे सहमत होगा कि सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिस ढंग में यह बात कही गई और इस मामले में जो दृष्टिकोण लिया गया, वह थोड़ा भिन्न होना चाहिये था, इसके साथ साथ इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना जरूरी है। चूंकि इन बातों से कुछ सन्देह उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए उन्हें शब्दों के बारे में बहुत सावधान होना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री जी कह दें कि उन्हें दी गई गलत सलाह के कारण गलती हो गई है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : क्या मंत्री जी इतने गरम मिजाज के हैं कि आप की सलाह के बावजूद भी वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं और "सॉरी" नहीं कह सकते। यह तो सभा के प्रति सामान्य शिष्टाचार की बात है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अगर वह ऐसा नहीं कहते कि गलती हुई है तो हम इस मामले पर विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में आगे बहस करेंगे।

संचार तथा संसद कार्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : हमें आपकी राय की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरा विनिर्णय स्वीकार कर लिया है । भविष्य में ऐसे मामलों के उठाये जाने पर उनके बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिये जायें । अब इस मामले को समाप्त किया जाता है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आय-कर अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय कर (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 29 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 813 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 576/68]**

(2) औषधीय तथा शृंगार पदार्थ (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषधीय तथा शृंगार पदार्थ (उत्पादन शुल्क) पहला संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 506 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 577/68]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियनम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (समान्य) 32 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 507 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 33वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 508 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० एस० आर० 510 जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 1968 की जी० एस० आर० 318 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(चार) जी० एस० आर० 511 जो दिनांक 16 मार्च 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 27 जनवरी, 1968 की जी० एस० आर० 175 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 578/68]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 509 की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या। एल० टी० 579/68]

पाईराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवेलपमेंट्स कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की समीक्षा

पाईराइट्स एन्ड केमिकल्स डेवेलपमेंट्स कम्पनी लिमिटेड के बारे में पत्र

समाज कल्याण विभाग में तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव): मैं श्री रघुरमैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए पाईराइट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पईराइट्स एण्ड डेवलपमेंट कैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 580/68]

भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (संशोधन) नियम, 1968, की एक प्रति जो दिनांक 9 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 866 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 581/68]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के आगे दिखाई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(1) श्री द्वा० ना० तिवारी	13 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1967 (तीसरा सत्र)
(2) श्री मनुभाई अपर से	19 फरवरी से 15 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(3) श्री बालगोविन्द वर्मा	12 फरवरी से 14 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(4) डा० बाबूराव पटेल	12 फरवरी से 20 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(5) महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भौंसले	12 फरवरी से 15 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(6) श्री एम० एस० मूर्ति	12 फरवरी से 28 फरवरी, 1968 (चौथा सत्र)
(7) श्री वी० वाई० तामस्कर . . .	12 फरवरी से 10 अप्रैल, 1968 (चौथा सत्र)
(8) डा० द० स० राजू . . .	22 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1967 (तीसरा सत्र) और 12 फरवरी से 2 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)

(9) श्री ब्रजराज सिंह--कोटा	1 मार्च से 18 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(10) श्री बीरेन शाह	4 मार्च से 28 मार्च, 1968 (चौथा सत्र)
(11) महारानी गायत्री देवी--जयपुर	25 नवम्बर से 23 दिसम्बर, 1967 (तीसरा सत्र) और 12 फरवरीसे 27 फरवरी, 1968 (चौथा सत्र)

कुछ माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी गई । सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तैंतीसवां तथा चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री पैं० वेंकटासुब्बया : मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय--बम्बई पत्तन (भाग 1 तथा 2)--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 96वें तथा 97वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 33वाँ और 34 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संविधिक आदेशों के विरुद्ध कुछ संसद् सदस्यों द्वारा कारों की कथित बिक्री के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ALLEGED SALE OF CARS BY CERTAIN M.Ps. CONTRARY TO STATUTORY ORDER'S

Shri Madhu Limaye (Monghyr).: Sir, on a point of order. This is a Serious matter and at the very outset I would like to know the rule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha under which the hon. Prime Minister is going to make a Statement on the matter.

उपाध्यक्ष महोदय : : नियम 372.

Shri Madhu Limaye: This Statement does not come under Rule 372. Four months back, I had raised a question of privilege on this matter and he had drawn my attention to the procedure adopted in regard to Shri Mudgal. Some hon. Members had asked questions re garding sale of cars by certain M.Ps. within the statutory period of two years and the Minister of Industries had replied:

"It has been reported by the Central Bureau of Investigation that the following members of Parlieament sold or transferred their cars within the Statutory period of two years, without obtaining the prior written approval of the Competent authority. . .

I am not reading out the names here.

"Information regarding the sale price in all these cases is not available. In regard to the cases reported by the C.B.I., no regular deeds of transfer were executed in the cases mentioned at S Nos. 1,2,3, and 6. In cases mentioned at S. Nos. 4 and 5, endorsements purporting to have been signed by the Registration Authority, Kumaon were forged showing the transfer of the Cars. Of the cases reported by the C.B.I., prosecutions have been launched in respect of cases mentioned at S. Nos. 1 and 4 against the sellers as well as the purchasers of the cars. Of these cases mentioned at S. Nos. 1 and 4 are pending trial (Sic) the cases mentioned at S. Nos. 2 and 3 have ended in conviction and the Sellers, the purchasers and the firms on behalf of which the purchases were made have all been fined Rs. 1,000. Investigation of the Case mentioned at S. Nos. 5 has been completed and prosecution is under consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूण घटना है। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इस मामले पर चर्चा करते समय हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye : That is why I have not mentined any body's name, Sir, I request you to here me fully,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो क्या सभा में उनके बारे में विचार-विमर्ष करना अथवा अपनी राय व्यक्त करना उचित होगा ?

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और इस प्रश्न पर सभा की राय ली जा सकती है कि यह प्रश्न तब उठाया जाये जब अध्यक्ष महोदय सभा में उपस्थित हों। मेरा सुझाव है कि आप इस प्रश्न पर या तो सभा की इच्छा मालूम करिये या फिर इस मामले को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यही सुझाव मैंने दिया था। मैं भी यही चाहता हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय का इसी पृष्ठभूमि का पता है और उनकी उपस्थिति में ही इस मामले को लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I do not understand why some hon. Members are interested on putting it off. Let me speak first. I will not take more than five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे फिलहाल स्थगित करेंगे। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर 10 मिनट (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha than adjourned for Lunch till ten minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजनोपरान्त 2 बज कर 10 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at ten minutes past fourteen of the Clock.

[श्री ग० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए ।]

Shri D. S. Dillon in the Chair

Shri Madhu Limaye : Sir I was on my legs on a point of order. . .

Mr. Chairman : It is still continuing ?

Shri Madhu Limaye: Yes Sir. I wanted to raise the matter in the form of a privilege motion. But the Speaker suggested to adopt the Mudgal procedure. There is a fundamental differ nce between the two. The fate of the former is decided by the Speaker whereas the matter under the letter is referred to the Leader of the House for consideration and disposal.

Now coming to the point I wanted to raise the matter sometime in December and informed the Speaker of my intention. On 19th March, I rec ived a letter asking me not to raise the matter now I thought the Prime Minister was playing delaying tactics and reacting to it I im mdiately adressed a l tter to her the reply of which I got very soon, It was stated therein that she had already communicated her opinion on the matter to the speaker.

Mr. Chairman : I have heard enough. I would like to ask if the notice of any privilege motion could prevent a minister from making a Statement on the subject.

Shri Madhu Limaye : No I entirely agree. But I want the Prime Minister to make a statement on the br ach of privil ge motion and not under Rule 372.

Mr. Chairman. You please resume your seat. You are linking the two together. A minister has the right to make a statement on any matter and this right cannot be denied by giving notice of any motion.

Minister of Communication and Parliamentary affairs. (Dr Ram Subhag Singh) : I would to make one thing quite clear. Some hon. members met the Speaker in this connection and the speaker told them that he would get in touch of the Prime Minister and advise her to make a statement and accordingly the statement is to be made Shri Limaye wrote to the speaker that the matter was being delayed by the Prime Minister and he was informed on behalf of the Prime Minister that no delay was being caused on their count. In view of this, how far the objection being raised by the hon. member at this stage is justified.

Shri Madhu Limaye : Sir I was asked by the Lok Sabha Secretariat not to raise this matter and they would inform me of their decision in the matter. But till today I rec ived no Communication from them in this regard. I only came to know from the order Paper that the Prime Minister was going to make a statement to day. Besides, a letter which I received from Dr. Ram Subhag Singh has compelled me to raise the matter. The letter reads:

"There will be a m eting of the leaders and chief whips of the various groups in Parliament on Monday, the 25th March, 1968 at 3. P. M. in Room No. 15 Parliament House, to discuss the business of allotment of tractors to members of Parliament ".

So my submission is why things are going this way. Why Members of Parliament want allotm nt of tractors and lands. They may ask for more facilities for the performance of th ir official duties. They are misusing the facilities provided to them.

Dr. Ram Subhag Singh : I would like to make it clear that about 200 Members of Parliament including opposition members have submitted their applications to the Ministry of Food and Agriculture for allotment of tractors for meeting their p rsonal requirements.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : प्रधान मंत्री जी को यह वक्तव्य उस समय देना चाहिये जबकि अध्यक्ष महोदय पीठासीन हों । अत: इस कार्य को किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : मंत्री को सभा में वक्तव्य देने का अधिकार है । जिस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रस्ताव करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है उसी प्रकार मंत्री के वक्तव्य देने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने मेरे पास श्री **मधु लिमये** के उस प्रस्ताव की सूचना भेजी है जिसमें माननीय सदस्य ने कुछ संसद् सदस्यों पर केन्द्रीय सरकार से प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कारों को तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके बेचने का आरोप लगाया है। मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराई है और तत्सम्बन्धी जानकारी मैं सभा को देना चाहती हूं।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)
(**Mr Deputy Speaker** *in the chair.*)

श्री कृष्णदेव त्रिपाठी पर न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया और दोष सिद्ध होने पर उस पर न्यायालय ने 1000 रुपये जुर्माना किया। मुझे भी उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में खेद व्यक्त किया है। इन बातों पर ध्यान देते हुए सभा को उन्हें क्षमा प्रदान करना चाहिये और इस मामले को समाप्त समझना चाहिये। श्री पन्नालाल बारुपाल का मामला न्यायाधीन है। श्री ललित सेन के बारेमें जांच पूरी हो गई है और उसका मामला न्यायालय को भेज दिया गया है। इन दोनों के मामले में न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा की जानी चाहिये। श्री स० चं० बेसरा के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी करने के पश्चात् और उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है। परन्तु सरकारी वकील के अनुसार श्री स० च० बसेरा पर चार्जशीट के आधार पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

संसद् सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार दिये जाने के बारे में विशेष सुविधा दी जाती है। किसी भी सदस्य द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग किया जाना अनुचित है और इससे सभा की प्रतिष्ठा पर आघात होता है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैंने गत् शुक्रवार को यह घोषणा की थी कि श्री नाथ पाई के बिहार की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा 27 मार्च 1968 को 6 बजे म० प० पर शुरू की जायेगी। परन्तु श्री नाथ पाई उस दिन दिल्ली में नहीं होंगे। इसलिये उस प्रस्ताव पर चर्चा किसी अन्य दिन, जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी, की जायेगी।

पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—जारी

WEST BENGAL STATE LAGISLATIVE (DELEGATION OF POWERS) BILL—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर आगे खंडवार चर्चा करगी।

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वित्तीय ज्ञापन में यह लिखा गया है कि इस परामर्शदात्री समिति की बैठकों पर जो खर्च आयेगा, वह भारत की संचित निधि से किया जायेगा।

परन्तु समिति के अन्य प्रकार के खर्चे भी हो सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि वित्तीय ज्ञापन में "अन्य मदो पर खर्च" भी जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होता यदि उसमें "अन्य सब खर्च" वाक्यांश जोड़ दिया जाता। अब तो इसे ऐसा ही चलने दिया जाये क्योंकि समिति से सम्बन्धित खर्च में सभी खर्च सम्मिलित होते हैं ।

Shri Madhu Limaye(Monghyr): I have also a point of order. Rule 69(2) says : clauses or Provisions in Bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India shall be printed in thick type or in italics" But this rule has not been followed in respect of this bill. If you like you can give permission to the member in charge of the Bill to bring such clauses to to notice of the House, because they are not printed in thick type or in italics .

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य में इस नियम का पालन किया जाना चाहिये। अब मैं श्री विद्याचरण शुक्ल को ऐसा करने की अनुमति देता हूं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : चूंकि विधेयक के साथ पहले वित्तीय ज्ञापन नहीं था और अध्यक्ष महोदय की सलाह पर उसके साथ यह जोड़ा गया। इसलिये विधेयक में अपेक्षित खंड तिरछे नहीं छापे गये थे ।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 11 पेश करता हूं ।

It has been provided in clause 3 of the Bill that the President shall consult the Joint Parliamentry Committee whenever necessary, if he wishes to do so. I want to suggest an amendment that the President should consult the Committee in all matters.

Shri Vidya Charan Shukla : This is an emergency provision and it provides to meet an emergency, if any arises. The President has never used this provision so far . If there is some extraordinary situation . President can do without consulting such a committee. I think there is nothing wrong in having such a provision .

Shri Deven Sen (Asansol) : I want to suggest the following amendments that from page 2 lines 6 to 12 following changes be made .

"Whether Parliament is or is not in session " "Whenever he considers it practicable to do so" should be deleted. There should be provision that the proposed committee will include all Members from West Bangal state .

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : संविधान के अधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन से राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति मिल जायेगी और उनमें कुछ वित्त विधेयक भी हो सकते हैं। ज भी राष्ट्रपति वित्त विधेयकों से सम्बधित विधान बनायेगा तभी संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबन्धों का उल्लंघन होगा जिनके अनुसार वित्त विधेयक पहले लोक सभा में पेश होने चाहियें। अतः हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि कराधान सम्बन्धी या इसी प्रकार अन्य वित्त विधेयक के बारे में विधान बनाते समय राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग न किया जाये ।

उपखंड 4 में यह व्यवस्था है कि संसद् का कोई भी सदन, उस तिथि से, जिस दिन अधिनियम उसके सभा पटल पर रखा गया है तीस दिन के अन्दर एक संकल्प पास करके संशोधन कर सकता है। परन्तु यदि अधिनियम सत्र के आखरी दिन सभा पटल पर रखा जाता है और अगले तीस दिन तक दूसरा सत्र नहीं बुलाया जाता तो संसद् कैसे इसमें कोई संशोधन कर सकती है। अतः 30 दिन के स्थान पर 30 बैठक किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त संसद् को न केवल अधिनियम में संशोधन

करने का बल्कि अधिनियम के निरसन का अधिकार भी होना चाहिये । साथ ही मैं यह चाहता हूं कि संसद् के संकल्प पास करने मात्र से ही अधिनियम में संशोधन हो जाये और वह राष्ट्रपति के माध्यम से न लागू किया जाये ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री श्रीनिवास मिश्र ने जो आपत्ति उठाई है उससे मैं सहमत नहीं हूं । उन्हें संविधान के अनुच्छेद 357 पर भी ध्यान देना चाहिये । राज्य के विधान मंडल की शक्तियों को राष्ट्रपति को देने के बारे में संविधान स्पष्ट है । विधान मंडल की शक्तियों में वित्त विधेयक सम्बन्धी शक्तियां भी शामिल हैं और उसकी सब शक्तियों को संसद् राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है । अतः श्री श्रीनिवास की आपत्ति निर्मूल है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य संसद् के समय को बचाना है और इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया की व्यवस्था विद्यमान है । यदि माननीय सदस्य के संशोधन स्वीकार कर लिये जायें तो वह सम्पूर्ण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी । अतः हम उन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 5 और 6 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The Amendment No 1,2,3, 5 and 6 were put and negatived .

संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No 11 was put and negatived .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प स्वीकृत

तथा

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

RESOLUTION *Re*: PROCLAMATION IN RELATION TO STATE OF UTTAR PRADRSH ADOPTED

AND

UTTAR PRADESH STATE LAGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब उत्तर प्रदेश के बारे में जो संकल्प और विधेयक है उन पर साथ-साथ विचार किया जायेगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री यशवन्तराव चह्वाण के स्थान पर मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि विधियां बनाने की उत्तर प्रदेश विधान मंडल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब संकल्प और विधेयक सभा के सामने हैं तथा इसके लिये केवल चार घंटे नियत किये गये हैं । अब श्री झाड़खंडे राय अपना भाषण शुरू करें ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : There was no need of Presidents Rule in Uttar Pradesh. The resignation of Shri Charan Singh was a party matter of S. V. D. It was the responsibility of S V. D. to. elect another leader in his place. This cannot be the ground for imposing President rule. It has been imposted in U. P. with the intention of bringing the Congress back to the power .

The tendency of crossing the floor is increasing day by day . It is a curse on the political life of the country . It should be checked by evolving a code of conduct for legislators. If any legislator defects from one party and goes to another, he should be forced to risign first and then seek fresh election on the ticket of the party he has joined lately . Now efforts are being made to instal the Congress Government in the State.

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों** पीठासीन हुए । **(Shri G. S. Dhillon *in the Chair*)**]

Hon. Sarvasri Dandekar and Venkatsubbaiha have suggested to ban the Communist Party. I want to tell them that the Commusim, or the Communist Patrty will exist so far there is economic disparity in the society. If you want to abolish the communism from the surface of the world you should remove wide difference which now exists between the rich and the poor, between the big and the small. between bourgeoisies and proletariats you should bring social economic equality. Either do it or do not doubt the loyalty of communsits.

The Congress Govermnment have neglected the eastern part of U.P. during its regime of 20 years . It has still remained backward. People are too poor to afford two square meals and bare clothing for themselves The House should pay attention to the backwardness of this part of the state and do some thing for its development. Drastic land reforms are also needed there. Lakhs of acres of fallow land is still lying there, which can be reclaimed and distributed among thousands of landless Harijans. It will increase in agricultural production too. Only two public sector undertakings have been set up in U.P. during three plan periods. Therefore I oppose this policy of Government which is bankrupt in matter of food, agriculture and industry.

Shri Sheo Narain (Basti) : Shri Jarkhande Rai has criticized the congress Government for the progress it has achi ved during its rule. But I want to know as to what the SVD Government have achieved during last 10 months since Ch. Charan Singh has become the Chief Minister of U.P. They have abondoned the scheme of helping the farmers in having their own trubewells for irrigation purposes. This State has totally remained neglected. It is backward in matter of education and medical facilities also. There are no road facilities in U.P. So I request that due attention should be paid towards the development of U.P. during the period of President's rulle. U.P. has been neglected for the last 20 years. There is poverty in the hilly areas of U.P. In Eastern U.P. there are no irrigational facilities. We want irrigational facilities. We want fertilisers and we want the development of easterns U.P. which is backward. I want to point out that there are no buildings for the primary and middle schools there. I appeal to the Government that buildings should be constructed for primary and middle schools.

So far as the division of U.P. is concerned, I have always been against it. I am a staunch follower of Pt. Pant and Shri Kamalapati Tripathi who have always advocted for the integrety of U.P.. U. P. is one State and under no circumstances it can be divided.

The former U.P. Government of U.P. has done injustice to the Harijans and other backward communities. They have stopped the aid which was being given to these communities. They have been neglected by the U. F. Government. I want that proper education should be given to the children of Harijans. It is horrifying to note that the educated youngmen belonging to the Scheduled Castes are jobless. I appeal to the Government that they should be suitably employed otherwise they would become tool in the hands of communists.

U.P. has been neglected in all the Five Year Plans in the past. It should no more be neglected. Proper steps should be taken by the Central Government to make arrangements for education, small scale irrigation and Harijan Welfare.

I want to make it clear that Congress is the only political Party, which can give stable Government to the State. The Government formed by the other parties has failed within a period of six months. It is in the fitness of things that President's rule has been imposed in the State.

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना अवश्यम्भावी था, क्योंकि श्री चरण सिंह के त्यागपत्र से वहाँ बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। कानून और व्यवस्था बहुत बिगड़ गयी थी तथा प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प पड़ गई थी। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ विधान सभा को केवल स्थगित ही क्यों किया गया, उसे भंग क्यों नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि विधान सभा के भंग न किये जाने के तीन कारण हैं—एक तो यह कि सरकार को आशा है कि शायद काँग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाये, दूसरे राज्य सभा के 12 स्थानों के चुनाव होने वाले हैं और सरकार समझती है कि वर्तमान स्थिति में काँग्रेस को 6 स्थान प्राप्त हो जायेंगे। उसे भय है कि शायद बाद में इतने स्थान भी प्राप्त न हों। तीसरे काँग्रेस मतदाता के पास जाने से डरती है, उसे भय है कि कभी उस की दशा वर्ष 1967 के चुनाव से भी अधिक खराब न हो जाये। सरकार दोमुंहीं नीति अपनाये हुए है। एक ओर तो हरियाणा में "आया राम और गया राम" के कारण विधान सभा को भंग किया गया है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में विधान सभा को केवल स्थगित ही किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि विधान सभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव कर लिये जाते तो अधिक अच्छा होता।

अब उत्तर प्रदेश केन्द्रीय शासन के अधीन आ गया है तथा हमें आशा है कि राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

इस समय मैं कृषि के विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया है। लगभग 50 प्रतिशत नलकूप बेकार हो गये हैं

और उन्हें चालू नहीं किया जा रहा है। बिजली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन नलकूपों को नहीं चलाया जा रहा है। अतः भूमिगत जल का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में गन्ने में सुक्रोज कम होता है और इस कारण से वहाँ पर गन्ना व्यापारिक फसल के रूप में लाभप्रद नहीं है। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को ऋण, अधिक उपज देने वाले बीज की किस्में तथा न्यूनतम मूल्य सम्बन्धी सभी सुविधायें दी जानी चाहियें। सरकार और मिल मालिकों को उन की सहायता करनी चाहिये।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश में भूमि के लगान को समाप्त करने का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उड़ीसा के उदाहरण का अनुसरण किया जाना चाहिये। श्री चरण सिंह लगान माफ करना चाहते थे, परन्तु संयुक्त विधायक दल में आपसी मतभेद होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसलिये वहाँ जमीन पर से लगान माफ किया जाना चाहिये और इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये कि किस के पास कितनी जमीन है।

वन-सम्पदा घटती चली जा रही है और इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। भूमि के कटाव को रोकने और भूमि के संरक्षण के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। तराई क्षेत्र में लाखों एकड़ बेकार पड़ी हुई भूमि को विकसित किया जाना चाहिये और उसमें भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बसाया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पूर्णतया अवहेलना की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वहाँ की ग्रामीण जनता अशिक्षित है। इस से कांग्रेस दल को लाभ होता है क्योंकि वह अनपढ़ ग्रामीणों को गुमराह करने में सफल हो जाती है। बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को विधायकों तथा राजनीतिक नेताओं ने मुनाफे का साधन बना लिया है। शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को स्थिति को सुधारने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। रामपुर के शिक्षकों के साथ मंहगाई भत्ते के बारे में भेद-भाव किया जा रहा है इसे दूर किया जाना चाहिये।

इलाहाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि विधि उपमंत्री श्री सलीम के इलाहाबाद के दौरे के बाद स्थिति और खराब हो गई है तथा यदि भविष्य में कोई और खतरा पैदा होता है तो उस की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर नहीं होगी। जिला मैजिस्ट्रेट जैसे जिम्मेदार अधिकारी को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये था। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये और उसका अविलम्ब तबादला किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं अपने दल की ओर से माँग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराये जायें।

Shri R. K. Sinha (Faizabad) : It is surprising that Shri Jharkhanda Rai, who had been working with Shri Charan Singh—a defector from Congress—has advocated for enacting a law against defectors. It is easy to talk about principles but it is very difficult to follow them.

[Shri R. K. Sinha]

The Congress Government has often been criticised and held responsible for imposition of President's rule in U.P. But the facts are quite different. It is the parties who were consisting the S.V.D. Government in U.P. which are responsible for the imposition of President's rule there. They were not seeing eye to eye with one other—Jansangh was fighting with Communists and Swatantra Party with S.S.P. This all resulted to chaos and uncertain conditions. It has been alleged that Congress is an agent of international capitalism and international imperialism. But I want to say that Congress is most democratic party and our stand on Israel has testified the fact the Congress most democratic party. On the other hand I want to point out that the parties who constitu ed S.V.D. are opportunists and that is why they formed S.V.D. otherwise they had no common principle or basis. Their coming together was most unprincipled. The statement issued by Shri Charan Singh and published in the 'Times of India' has made it clear that the constituent units of S.V.D. were opportunists. Shri Charan Singh, former Chief Minister of U.P. has revealed that certain constituent units of the S.V.D. Government wanted to get the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, arrested when she visited Banaras to inaugurate the Indian Science Congress two months ago. He has further stated that this is the reason why S.S.P. left S.V.D. Shri Charan Singh has further regretted that the rule of law was being flouted all over the country. Speakers of Assemblies were getting beyond their jurisdiction and Governors were being insulted and attacked at joint sessions. The result was that democratic institutions were be coming weak. Shri Charan Singh deplored the tendency of political parties virtually to bribe the masses by making false promises before going to the polls.

U.P. is a land which had produced heroes since times immemorial. It is a land of Rama and Krishna. It is a land of National Leaders like Rafi Ahmed Kidwai and Abdul Hamid. But it is most unfortunate that U.P. had been negl c ed in all the three five years plans. with the result that there was little development in the State after independence. It is perhaps, because the State did not press its demands so vociforously as the other States have done. The parts of Eastern U.P. have been woefully neglected.

The S.V.D. Government has done great injustice to the people of U.P. They have abandoned the scheme of construction of new tubewells. They have also not paid proper attention towards the demands of the U.P. Government employees and teachers of higher secondary schools. It will be better if the Government now looks into the problems of the people and take necessary action.

The former S.V.D. Government of U.P. have promised a lot of help to the poor Harijans and other backward classes. But they have deceived this weaker section of society. They had gone back from those assurances. I demand that justice should be done to the Harijans and other backward classes. I hope the present Government will help these people.

I want to warn Shri Jharkhand Rai that he should not talk about revolution. Revolution has uprooted great nation like Germany. I warn the opposition party that they should not think to change the Government by revolution. They should act according to democratic principles.

Lastly I would say that I have my doubts that certain parties are responsible for the Hindu-Muslim riots in Allahabad. I say the parties which are responsible for creating these riots are the stooges of foreign countries like Pakistan a d China. Their activities are detrimental to our national interests. It is our duty to check these riots.

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : मैं श्री सिन्हा, श्री शिव नारायण तथा श्री झारखण्डे राय के इस कथन से सहमत हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की बड़ी अवहेलना की गई है। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू है। अतः मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के कष्टों का निवारण करने तथा इस असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। मैं उस क्षेत्र का होने के नाते, इस क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानता हूं।

इसके अतिरिक्त दो और समस्यायें हैं, जिन का उस राज्य में दो श्रेणियों के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है—एक श्रेणी के कर्मचारी हैं स्थानीय निकायों के कर्मचारी और दूसरी श्रेणी के कर्मचारी हैं शिक्षक। स्थानीय श्रेणी के कर्मचारी बहुत वर्षों से अपनी उचित माँगों के लिये लड़ रहे हैं और शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये तथा स्थानीय निकायों और अध्यापकों की माँगों को स्वीकार किया जाना चाहिये।

इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का रवैया सिविल कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। इन कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेसी लोग यह कहने में बड़ा गर्व समझते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल काटी है। मैं उन के योगदान को कम नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें वास्तविक देशभक्त तभी समझा जाता, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उन अपराधों को करना छोड़ देते, जिनके लिये उन्होंने स्वतंत्रता से पहले जेल काटी है। कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपनी तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी रखे हुए हैं, जब कि सिविल कर्मचारी अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस बात को भूल जाते हैं, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि अन्य बहुत से लोगों को, जिन में देशभक्त सिविल कर्मचारी भी शामिल हैं, काफी कष्ट उठाने पड़े हैं। मुझे स्वयं राष्ट्रवादी होने के नाते 36,000 रुपये की हानि उठानी पड़ी है। परन्तु फिर भी मैंने राजनीतिक पीड़ित होने का दावा नहीं किया। इसके विपरीत मेरे कांग्रेसी मित्र भांति भांति की रियायतों और पदों की माँग करते हैं। वे समझते हैं कि केवल वे ही देशभक्त हैं। कांग्रेस सरकार का जो मेरा अनुभव रहा है वह बहुत कटु एवं दुखद है। मैंने मार्च, 1950 में एच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का आवेदन किया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया कि मैं जुलाई, 1952 से सेवा निवृत्ति प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा आदेश इस लिये दिया गया क्योंकि मुख्य मंत्री चाहते थे कि मैं फरवरी, 1952 में होने वाले चुनावों में भाग न ले सकूं। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फरवरी, 1952 में मेरी धर्म पत्नि ने चुनाव लड़ा और उसनेएक कांग्रेसी उम्मीदवार को हराया तथा वह प्रथम लोक सभा की सदस्या बनी। इस पर मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। मेरे वेतन आदि के 72,000 रुपये अभी बकाया हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं क्या हम ने कष्ट नहीं उठाया है? क्या केवल कांग्रेसियों ने ही दुःख भोगे हैं?

जहां तक इस उद्घोषणा का सम्बन्ध है यह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गई है। इस उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति ने सब विधानीय शक्तियाँ संसद को सौंप दी हैं तथा प्रशासन की सब शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली हैं। वास्तव में चौथे आम चुनाव के बाद हाल के कुछ ही हफ्तों में यह चौथी उद्घोषणा की गई है। तीन अन्य उदघोषणायें राजस्थान, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के बारे में की गई है। ऐसी ही उद्घोषणा मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भी की गई है। वास्तव में स्थिति ऐसी हो गई है कि चौथी लोक सभा के युग को भविष्य के इतिहासकार राष्ट्रपति की तानाशाही का युग कहेंगे।

यह उचित है कि राज्य के लिये कानून बनाया जाना चाहिये और इस दृष्टि से प्रस्तुत विधेयक को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह तो कहना ही पड़ेगा कि यह अपमानजनक आचरण की पराकाष्ठा है और यह हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास पर एक धब्बा है। जिन तीन राज्यों

अर्थात हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है, उन तीनों राज्यों में गैर-काँग्रेसी मंत्रिमंडल काम कर रहे थे। मैं यह नहीं कहता कि उन मंत्रिमंडलों ने बहुत अच्छा काम किया है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोगों की इस इच्छापूर्ति के लिये बनाये गये थे कि काँग्रेस की वैकल्पिक सरकार बनाई जाये। काँग्रेस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। परन्तु काँग्रेस यह महसूस नहीं कर रही है कि हम ऐसे युग में पहुंच गये हैं, जब मिली जुली सरकार ही कायम रह सकती है और यदि काँग्रेस लोगों को खरीद कर मिली जुली सरकारों को अपदस्थ करके सत्तारूढ़ होने का प्रयत्न करती है तो यह प्रजातंत्र को समाप्त कर देगी।

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajgang) : Mr. Chairman, it is my party which has the credit of getting independence for the country and establishing democracy for the economic and Social advancement of the country after achieving independence. We have given a parliamentary democracy to the conutry and we have given a right of exercising their vote to the people. So it is not the fault of the Congress party, if the people are not educated enough to elect such representatives who may give them a Stable Government.

My hon. friend Shri Nayar has just spoke, but whatever he has said was rather a personal narration uncorrected with the issue under discussion. I know him very well and I have heard many good things or otherwise about him, but I do not want to go into the details. At present the issue before the House is whether the President's proclamation was justified or not. I feel constrained to say that the performance of S. V. D. had been very poor and it lead to corruption, mal-administration and mismanagement. All the Constituent parties of SVD have only their party interest in mind and they paid no heed to the interest of state. If the Police Minister happened to be a Communist the administration of police Stations was passed on into the hands of Communist party and if the Supply Minister happened to belong to some other party, the supply office become an agency of their party. There were grave charges against the Ministers and when the Chief Minister Shri Charan Singh wanted to have an inquiry in these charges, then such conditions were made that the Chief Minister had no option but to resign. Shri Charan Singh has released a lengthy letter enumerating the causes of his resignation from which it is evident that the performance of SVD was very poor.

Being in majority the United Front Party was not in a position to elect its leader. On 21st February Ch. Charan Singh was elected unamimously. Same day in the evening it was announced that the United Front Party has elected Shri Ram Chandra Vikal as its leader. Next day independent Members of the United Front challenged the election of Ram Chandra Vikal. SSP played a unique role in this connection. On the one hand, UFP claimed the majority of 225 to 230 MLAs., while on the other hand, they were not in a position to elect a leader unanimously. The leader of the Congress has also approached him to claim that majority is with him. But the Governor did not favour either the UFP or the Congress and observed the situation calmly and inpartially. In my opion the Governor as rightly acted in advising the center to impose the President's rule in Uttar Pradesh. No doubt, that the President's rule has provided a stable Government in Uttar Pradesh. Moreover, I would like to suggest that the loose administration should be lightened. Due attention should be paid to the backward districts of UP like Gorakhpur. Faizabad, Basti. Steps should also be taken to make arrangements for early payment of salaries to those primary school teachers of districts like Gorakhpur, who had not been paid their salaries for several months.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : The population of U. P. State is 7.3 crores and the total allocations made to it during last three plan periods is only 62.40 crores of rupees. In other words UP's population is 17% of the total population of India while the allocation made to it is 13% of the total Plan allocations. 70 per cent of allocation is made on the basis of the population and 30 per cent thereof is made on the basis of backwardness of the area. It should be made 50 % on each count. Uttar Praddsh is an undeveloped State. It should be allocated more funds on this account also. Now I would like to take up the problem of agricultural land in U. P. The terai area of Nainital was reclaimed after independence but this reclaimed land was not distributed among landless labour of Nainital, who are lakhs in number. Big chunks of this land were allotted to big industrialists, political leaders and retired service officers. There are farms measuring about 100 acres to 15,000 acres. Birlas and Tatas also own big farms there. Khan Land is also given on lease to big people and not to labourers. This is my suggestion in this connection that the whole agricultural land of this area should be redistributed and a ceiling of 7 acres should be fixed for that purpose.

Now the administration of U. P. is in the hands of Home Ministry of Central Government. So enquiries should be instituted in respect of irregularities made by the allotment Committee for allotting land which rejected 27000 applications of landless people violating the concerned rules. There is a great corruption in the Police Department of U. P. They investigate into five percent of the total cases registered with them. The Central Gobernment should try to find out some remedy for it so that Police may function in just and proper way in U. P. It should be made compulsory for police to investigate into cases of thefts involving a property or cash worth less than Rs. 250/- by amending Section 349 of the I.P.C. Sections 109 and 110 shou'd be annulled because these are the sources if harassment for poor people.

Shri Awadesh Chandra Singh (Farrukhabad) : When SVD could not decide as to who should be its leader, Shri C. B. Gupta went to the Governor to inform him that the Congress is in majority and he should be given the chance to make the Council of Ministers. But he was not given chance to do so. Therefore the Congress has resonably ground to make complaint in this regard.

U. P. is an agricultural State and the progress in agricultural is not being made as desired. Irrigation occupies the first place in agriculture. In last two years farmers tried to have their own small irrigation means on individual basis. A large number of wells and tubewells were prepared. Unfortunately people did not get electric connections for their tubewells in SVD regime. Government should take steps to utilize the services of unemployed engineers for repair work in tubewells which go out of order. The subsidy of the value of 1 of the total investment on the individual irrigation means should not be discontinued . Two bridges over Ganga and Ramganga rivers in Farrukhabad district should be constructed as soon as possible because poeple badly require them.

The pay scales of the primary school teachers in UP are lower than those in other States. Their pay scales should be increased to bring them at par with the pay scales available to their counterparts in other States. If possible, private educational institutions should be nationalized, because the standard of education is very low there. It will improve the standard of education in U. P.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : There are 26 districts in India which have been termed as backward districts. Fourteen out of them are in U. P. The per capita consumption of electricity in U. P. is 34 unit while average per capita consumption in India is 55 unit. It shows how much backward Uttar Pradesh is. As far as the irrigation and other projects are concerned, more funds should be allotted to UP for their completion keeping in view the backwardness of the State. During 2nd and 3rd Plan periods U. P. got 9.5 per cent of the total plan outlays, while it should have been at least 17 per cent. The Eastern Yamuna canal which provides water for irrigation in western districts of U. P. Saharanpur, Muzaffarnagar and Meerut is not sufficient, because the area under cultivation has sufficiently increased now.

There is a Kisan Project, for which preliminary survey has been done. It will produce 705 MG of electricity. It will benefit not only U. P. but Himachal Pradesh, Harayana and Delhi also. In view of its utility a sum of 150 crores of rupees sholud be given to U. P. for its completion. More bridges should be constructed on Yamuna river connecting U. P. with Haryana. A bridge near Bhagpat or Chhaprauli should be constructed soon.

Some friends have criticised Ch. Charan Singh while speaking on the politics of U. P. I would like to say that Ch. Charan Singh is the only man of integrity and character on the political scene of U. P. He kicked off the office of Chief Minister like a ball saying that he could not run the administration as efficiently and with as much honestly as he should have. On the other hand there are Gupta and Tripathi who fight between themselves for capturing power. They think in terms of enjoying power and do not care for the development of the State. The people of U. P. are suffering on account of it.

I support the imposition of President's rule in U. P. in the existing circumstances. But there seems some political motive behind this decision also. If you honestly want to set the things right, the President's rule should be imposed in full and not in parts. Legislative Assembly should be dissolved and mid term elections should be held there in U. P.

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : We have adopted the democratic system of Government in which elected representatives of the people rule. So I feel sorry when President's rules is imposed in any State. But we should give serious consideration to the reasons on account of which such a state of affairs becomes inevitable. In democratic set up the council

of Ministers work with a joint responsiblity and with a team spirit. But this unity was not there in SVD ministry headed by Ch. Charan Singh, because he could not select those M.L. As. to be ministers in his cabinent, whom he liked. They will thrust upon him by the consliituent units of the SVD Government. That is why this Government had not been in a position to function properly. But now the question arises whether mere imposition of President's rule will solve the problem. Unless administration is cleaned and tightened it will serve no purpose. High Government Officers should do their duty faithfully and honesty and is ciccordance with the law.

It was decided to dismantle the Chitauni-Gorakhpur line as it is uneconomic is the eyes of the Railway Ministry However I persaded the Ministry to defer this decision. Now I request that this railway line should be given due protection because it is very useful for the local people. The estern district of u.p. are backward. Attention has never been paid for their development. Patel Commission was appointed to give recommendations for improving the conditions of these districts. It recommended that small scale industries should be set up there. This recommendation is ignored. Now I request that the same should be implemented during President's rule.

Opposition should also bear this thing in mind that only one party Government can be successful and not the coalition government. So every party should try to strengthen its organization so as to sweep the absolute majority in order to rule any State. Now the Governor should try to remove the party politics which has gone deep into the administration of U. P. The Government irrespective of its party affiliations should be stable and should work for the good of people.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi): I want to point out that the people of Uttar Pradesh and especially Eastern U. P. had made supreme sacrifies during the freedom struggle. But it has been observed that during 20 years of congress rule the people of Uttar Pradesh were ignored as their ambitions have not been fulfilled. The result is that people of Uttar Pradesh alonglwith the rest of country are very much frustrated. In case this position continues, people would lose faith in democracy. Recently we have seen that non-Congress Ministries have been formed in some of the States. The picture of the country has been changed altogether. It has however neen observed that there is no coordination amongst the political parties and as a result thereof the democracy is at stake. It is a problem for the differient constituents of a United Front Government to work in accordance with their respective manifastoes. It has been seen in Uttar Pradesh that SVD Government could not fulfil the hopes and aspirations of people of Uttar Pradesh. People of that State have last faith in SVD Government. These Government have failed due to internal confflicts of the constituent units. They could not carry out their programmes with regard to distribution of land, allotment of electricity for tubewells etc. Only rich farmers of the state had been benefited. In these circumstances how can we expect socialism ?

Government should pay more attention to agriculture. The carpet industry has received a serious set back. Government should look into this as this industry can bring in lot of foreign exchange. Uttar Pradesh has been neglected during all these years. I would suggest that recommendations of Patel Commission should be implemented for the development of Uttar Pradesh.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : It is wrong to say that congress is responsible for the fall of SVD Government. The fact remains that SVD Government has tappled down due to their own misdeeds when various non-congress Ministries had sworn in, we welcomed them. We had expected that various constituents of SVD Government would form a single unit and two party system of Government would be introduced in India also and the people of India will have another alternative before them. But I am sorry to say things have been proved to be other may round. We have observed that self contradictory statements used to be issued in the Press by different Ministers in the Government.

Now Presidents rule has been imposed there because various opposition patries in SVD could not elect their leader. On the other hand congress party has aslo claimed majority in the U. P. Legislative Assembly. In order to avoid defections, it would be better to hold mid term elections in U. P. and I have least doubt that congress party will definitely secure majority.

There cannot be two opinions about the fact that Uttar Pradesh has been a backward State. I think people of Uttar Pradesh were satisfied that Uttar Pradesh has been the birth place of various leaders. No one has paid any attention to the development of different areas of Uttar Pradesh. In plan allocations also its share has not been in confirmity with the population of the State. Bundelkhand and Eastern Districts of U.P. have remain neglected since long. Government should pay more attention to the development of said areas. It would be advisable to establish industries in these areas.

It was not appropriate for the SVD Government to abolish social Welfare Department which had been doing useful work. They have done great injustice to the women Community.

The Congress Government had imposed prohibition in some areas of U. P. on demand from the people of that area but SVD Government has undone it. It is wrong to plead that prohibition will reduce the revenues. In my opinion if money to be spent on wine is saved and spent on other necessities of life Government would get additional revenues in the form of sales Tax and Entertainment Tax. We should not get the revenues by ruining the poor people. We should impose prohibition in Kanpur and serve the poor labour. We should also abolish procurement of levy. It has been observed that SVD Government had imposed levy indiscriminately. We have to bring an end to the exploitation of the poor.

Shri Ranjit Singh (Khalilabad) : It is observed that no Government could function in Uttar Pradesh and therefore Presidents' rule has been imposed. I would welcome mid-term elections. No doubt we could not improve the lot of people of U. P. in 8 months but the rule of Congress party during the last 20 years was also no better. Moreover administration has been same. Then we cannot deny the fact that there was disunity among the various constituents of SVD and as a result thereof SVD Government has to topple down.

At the same time there was disunity in the congress party also. Due to this disunity in SVD and congress no progress could be made in the development of Uttar Pradesh. Now I would request the central Government to pay special attention to the development of Eastern districts of U. P.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]
[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

There is sufficient fertile land in Uttar Pradesh but the Central Government has been neglecting it. It has now been seen that U. P. could not get its due quota of tractors. Then there is great difficulty in providing electricity for irrigation purposes. SVD Government had imposed certain restrictions on the supply of electricity for irrigation purposes upto 31st March, 1968. But it is a temporary phase and central Governmen: should make arrangements for supply of electricity for the said purpose.

The conditions of roads in the rural areas of Uttar Pradesh is deplorable. There are many roads which have not been repaired since long Government should, therefore, pay more attention to the development of Uttar Pradesh .

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I welcome President's rule in Uttar Pradesh. It may be pointed out that areas of Gorakhpur, Varanasi and Ruhelkhand commissionaries of Uttar Pradesh are backward areas. I hope that central Government would pay special attention to the problems of eastern districts of U. P. In order to deal with the problems of these areas Patel Commission was set up. These areas are poverty striken. SVD Government have committed several atrocities upon Harijans. The concessions used to be given to them were stopped. They had imposed certain restrictions on the allotment of electricity for irrigation purposes. I would request the central Government to restore the concessions which were being given to Harijans earlier.

There is sufficient quantity of sugarcane available in eastern districts of U. P. Therefore there sholud be atleast one sugar factory in Rasra which will improve economic conditions of that area. One paper factory should also be set up in Ballia district.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : It is the administration of Uttar Pradesh which is responsible for the backwardness of this State. There has been discrimination in the allotment

of funds for the development of this State. This State has always been neglected. The number of engineering Colleges, polytechnics and factories is quite negligible keeping in view the population of the State. So it has been a neglected State right from the beginning SVD Government is not alone responsible for it. The disunity of congress party is equally responsible for it as they have ruled the State for 20 years. I agree that hopes and aspirations, which we were having from SVD Government, have been belied. Now time has come when all the political parties, irrespective of party affilitions, should make concerted efforts for the development of the State. Government should take concrete steps to wipe out poverty from that State..

Rohilkhand is backward area but nothing has been done for the development of this area. The conditions of roads are deplorable. There are no bridges on the roads which have newly been constructed. The Central Government should pay special attention to the development of this area.

Pilibhit is full of forests. Grass, trees and plants are in abundance there. Sufficient raw material is available for setting up a paper factory. But no attention has been towards this. An aerial survey is being made in order to know the quantity of raw material available there. On completion of survey a paper factory should be established in Pilibhit.

I want that attention should be paid for the development of rural industries also.

When we expect good work from the employees, we should consider their reasonable demands. There are large variations in the scales of pay of same categories of staff working in the State and Central Government. These anomalies should be removed and scales of pay of State employees should be brought at par which the Central employees.

There is sufficient land lying useless in Pavadyan Tehsil and I suggest that same should be distributed to landless people. Active steps should be taken to improve the condition of landless people we should give serious consideration to the alround development of the State.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I welcome this Bill. It has been observed that choudhury Charan Singh has been in the habit of Changing allegiance from one leader to another. Our leader has established an example by resigning after his Govemment suffered a defeat in the Assembly. You should learn a lesson from him.

S.V.D. Government has done nothing during these eleven months. The Minister were busy in quarrelling among themselves. They have done no substantial work.

The House Tax has been abolished by the SVD Government to give benefit to the urban people who are mostly Jan Sangh Supporters. On the other hand farmers have neen harrassed. Levy has been compulsory realised from them whill the U. P. Government used to sell the foodgrains at about Rs. 130/- per quintal they procure the same at the rate of Rs. 55/- per quintal (interruptions). U. P. is the biggest State of India. The Muslims are in great number there. But they have not been given adequate protection. I have been to Allahabad for getting the matter investigated.**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें । इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है । इससे देश में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी और दुश्मन की शक्ति को बल मिलेगा । यदि कोई सदस्य साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता है तो उसे इसका उल्लेख इस प्रकार करना चाहिये जिससे देश में सामप्रदयिक भावनाएं उत्बन्न न हों ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

यदि उस प्रकार के भाषणों को देने की अनुमति दी गई तो देश में साम्प्रदायिक भावनाएं भड़क उठेंगी ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : माननीय सदस्य द्वारा अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप पाकिस्तान द्वारा लाभ उठाने के लिये प्रयोग किये जायेंगे । मेरा यह सुझाव है कि उन आरोपों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी यह सुझाव है । मेरे विचार से सभा की भी यह राय है कि ऐसी घटनाओं के बारे में दिये गये वक्तव्य को जिसमें किसी पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया गया हो और जिससे देश में अशान्ति फैलने का भय हो, सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये । भाषण के वह भाग सभा की कार्यवाही से निलकाल दिये गये हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें उचित संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई तब मैंने उन्हें नहीं रोका । लेकिन जब उन्होंने एक विशेष अधिकारी पर आरोप लगाया तो मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता था । जब कभी साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कोई वाद-विवाद होता है तो हमें पक्षपातपूण रवैया नहीं अपनाना चाहिये । यदि हम सदन् में ऐसा करेंगे तो यह देश के हित में नहीं होगा ।

Shri M. A. Khan : Muslims are being victimised. Judicial inquiry should be held into the recent riots in Allahabad. Those found guilty should be severely punished.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : We are not happy in imposing President's Rule in U. P. But the circumstances compelled us to do so. After the resignation of the Chief Minister, the United Front was not able to elect a new leader. Although the leader of the Congress Party offered to form a Government, the Governor thought perhaps a stable Government might not be possible at that time. But he mentioned in his report that it may be possible that the political situation may stable and a permanent Government may be formed. Therefore it was suggested not to dissolve the Assembly, but to suspend it. We were not intended to have mid-term election in U. P. Mid term poll should be avoided so far as possible. It should be held only when it is necessary.

(श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए)
(**Shri G. S. Dhillon** in the Chair)

It has been said why different actions have been taken in different States. The course of action in a particular State depends upon the circumstance prevailing in that state. Governor sends the reports to the Centre after carefully studying the situation and we take actions taking into consideration those reports.

The decisions have been taken after considering all the things. The Governor did not take any action in hurry.

It is wrong to say that there is any conspiracy behind imposing President's Rule in the State. The Governor explored all the possibilities for a stable Govermnent. When he did not succeed, he recommended President's Rule for a short period. It is hoped that the period of President's Rule in U. P. will not be long and a stable Government will be set up there soon. With these words I request the hon. Members to please accept the U. P. Legislature Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1968 को जारी की की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे :—

खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है:

खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

सभापति महोदय : इस खंड के बारे में दो संशोधन दिये गये हैं । एक श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा और दूसरा श्री मधु लिमये द्वारा । चूंकि श्री मधु लिमये सभा में उपस्थित नहीं हैं श्री श्रीनिवास मिश्र अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने इसी प्रकार के संशोधन पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के सम्बन्ध में भी दिया था । लेकिन मंत्री महोदय ने इसे शायद प्रतिष्ठा का प्रश्न समझा और इसे स्वीकार नहीं किया । विधेयक में केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लागू किये गये प्रत्येक अधिनियम को संसद् के दोनों सदनों में रखा जायेगा और इसके 30 दिन संसद् अधिनियम में परिवर्तन करने के बारे में एक संकल्प पास कर सकते हैं । यदि मंत्री महोदय वास्तव में यह चाहते हैं कि कुछ संशोधन का सुझाव देकर संसद् अपना अंशदान करे तो उन्हें सभा को इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये आवश्यक समय देना चाहिये ।

दूसरे, सभा को अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार है। लेकिन यदि इसको पास नहीं करना हो तो क्या होगा? वे संसद् को अधिकार देने से क्यों हिचकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले पर हमने ध्यान पूर्वक विचार किया है। राष्ट्रपति जो भी अधिनियम बनायेंगे उन्हें सब से पहले मंत्रणा समिति के सम्मुख रखा जायेगा। इसके बाद उन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा। यदि उसे सभा पटल पर रखा जाता है और सदस्यों को इस पर चर्चा करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता तो इसे फिर सभा पटल पर रखने में कोई रोक नहीं है। यह सब मंत्रणा समिति के कहने पर निर्भर करता है। मैं माननीय सदस्य से अपना संशोधन वापिस लेने का निवेदन करूंगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि इससे सभा ही शक्तियों को सीमित नहीं किया जायेगा मैं संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : —हां

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "खंड 3; खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 3, खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 3, Clause 1, title and the enacting formula of the Bill were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

**दिल्ली दुग्ध योजना

**DELHI MILK SCHEME

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): There is a great mismanagement in the Delhi Milk Scheme. As a result of it, it is going in loss and it is not possible for it to cope with the milk

---

**आधे घंटे की चर्चा।

***Half-an-hour Discussion.*

demand of the public. The main aim of the scheme was to supply the milk to the citizens of Delhi at cheaper rate. But instead of increasing its milk supply, it has been decreased. There are thousands of people in the waiting list. People are not getting even toned or double toned milk. No alternative arrangement has been made in this regard.

The managements of D.M.S. has resorted to a variety of malpracttices. The miscellaneous expendi. re of the DMS has increased to Rs. 1,06,577 from Rs. 32588. The losses incurred by the scheme have gone up ten times from 1962-1967. While the scheme's capital outlay is Rs. 1.8 crores, the loss incurred by it is Rs. 1.4 crores more than 75 per cent of the Capital. The Public Accounts Committee has suggested certain measures for improvement in the working of the scheme. But no action has been taken to improve the working.

Machinery worth Rs. 8 crores imported in the year 1965 is still lying idle.

As compared to 1962, there has been a rise 75 per cent in the price of the milk in 1967.

In 1962, about 1,69,000 bottles have been shown as breakage. This figure has gone upto 4,00,000 in 1964. Everyday 2,000 bottles are shown as broken. This figure is not correct. Bogus entries are made and irregular trade in bottles is going on.

There has been a misappropriation of lakhs of rupees in the Transport Depeartment of Delhi Milk Scheme. Advances given to the contractors for procurement of milk are written off.

The D. M. S. should be asked to prepare a Balance sheet like other public undertaking.

The working of the scheme should be gone into by either an ad hoc Parliamentary committee or the Public Accounts Committee or Public Undertakings Committee. The C.B.I. should be asked to investigate thefts and malpractices in the D.M.S. If these malpractices are checked milk can be sold at 70 paise a litre instead of Rs. 1.04 paise.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I would like to know whether there is any comprehensive programme to help breeding of good quality cattle so that good milk become available to the citizens of India at cheaper rates.

A magesterial inquiry should be ordered into the allegations made against the scheme so that Public confidence is restored.

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : दिल्ली में हजारों जाली कार्ड हैं और वास्तव में दूध की कमी नहीं है। विभिन्न लोगों के नाम दर्ज जाली कार्डों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कुछ लोगों को मनमाने ढंग से पर्चियों पर दूध की बोतलें दी जाती हैं । अधिकारी जिसे चाहे पर्चियां जारी कर सकते हैं एक व्यक्ति को तीन दिन में 400 बोतलें दी गई । यदि डिपो प्रबन्धक पर्चियों पर दूध देने से इन्कार करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है ।

यह अच्छी बात है कि गरीब लोगों को अंशकालिक रोजगार दिया जाता है लेकिन उनके काम की सुरक्षा होनी चाहिये । ऐसे मामले भी है कि डिपो प्रबन्धकों को परेशान किया जाता है । मंत्री महोदय इन मामलों की जांच करें और कार्यकुशलता सुधारने की ओर ध्यान दें ।

कई किस्मों का दूध सप्लाई किया जाता है । मेरा सुझाव यह है कि दूध की केवल एक किस्म या ज्यादा से ज्यादा दो किस्में होनी चाहियें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Government should formulate some long range policy to supply milk to the people ? The scheme should be self-relient,

Greatest number of complaints are received in regard to adulteration of water in milk. Action should be taken against the Depot Managers selling open milk. Is there any proposal to have a cattle farm in Delhi ?

Whether Government would ensure that preference would be given to the slum-dwellers in the matter of supply of tonned milk?

The Delhi Municipal Corporation authorities should be allowed to have samples of milk supplied by the scheme. A committee of M.P's should be set up to go into the working of the Scheme.

Shri Bal Raj Madhok (Delhi South) : Will any Committee go into the allegations made against the management of the scheme? Whether there is any proposal to have a cattle farm near Delhi ? Whether there is any proposal to give credit to 'ghosis' to augment supply of milk ?

The whole scheme should be so recast that the private enterprise had a role to play in the Scheme. Is there any proposal to have another big diary in Delhi?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पहला प्रश्न यह उठाया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली की आबादी की पूरी मांगों को पूरा नहीं कर सकती । यह सही है कि दिल्ली दुग्ध योजना जो दूध वसूल करती है तथा वितरित करती है उससे दिल्ली की पूरी आबादी की मांगें पूरी नहीं होतीं । लेकिन देश में कहीं भी ऐसी कोई योजना नहीं है जो किसी नगर की कुल आबादी की मांग को पूरा करती हो । कलकत्ता में, जहां दिल्ली की अपेक्षा दुगुनी जनसंख्या है इतना दूध भी उपलब्ध नहीं किया जाता जितना कि दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना सप्लाई करती है । बम्बई और अन्य नगरों में भी यही स्थिति है ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि निजी उत्पाद निर्माताओं तथा दुग्धशालाओं पर रोक लगाई जानी चाहिये ताकि दिल्ली दुग्ध योजना अपने संसाधन बढ़ा सके । सरकार ऐसा कदम उठाना उचित नहीं समझती ।

इस समय दिल्ली दुग्ध योजना आवश्यक दूध प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है लेकिन दूध की वसूली प्रति वर्ष बढ़ रही है । यह सही नहीं है कि दूध की वसूली कम हो रही है । वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है । हम दूध की वसूली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जहां तक हो सके दिल्ली में दूध की सप्लाई बढ़ाई जाये ।

यह भी सही नहीं है कि दिल्ली दुग्ध योजना का खर्च बहुत ज्यादा है । 1965-66 में विशिष्ट विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली दुग्ध योजना के काम की जांच की थी । उन्होंने सुझाव दिया है कि वसूली, वितरण और परिष्करण पर सामान्य व्यय 21 पैसे प्रति लिटर से ज्यादा नहीं होना चाहिये क्योंकि अन्य स्थानों पर ऐसी दुग्धशालाएं इतना ही व्यय कर रही हैं । वास्तव में 1965-66 में इसके सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना का खर्च केवल 19.75 पैसे प्रति लिटर था जो विशेषज्ञ समिति द्वारा नियत सामान्य खर्च से भी कम था । पिछले दो वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना की लागत तथा खर्च में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ते बढ़ गये हैं और दूध का क्रय मूल्य भी बढ़ गया है । फिर भी 1966-67 में प्रति लिटर व्यय केवल 20.4 पैसे रहा । चालू वर्ष में यह व्यय लगभग 20 पैसे प्रति लिटर आता है ।

यह बात सही है कि दिल्ली दुग्ध योजना को भारी नुकसान होता रहा है । लेकिन इसका कारण यह है कि हम दिल्ली के लोगों को देश में सबसे अधिक सस्ता दूध दे रहे हैं। एक या दो के अतिरिक्त देश में ऐसी कोई और दुग्धशाला नहीं है जो इस कीमत पर, जिस पर कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध की सप्लाई कर रही है, दूध की सप्लाई करती हो। उदाहरण के तौर पर बम्बई में 1.70 रुपये प्रति लिटर की दर से दूध सप्लाई किया जाता है जबकि दिल्ली में 1.04 रुपये प्रति लिटर की दर से दूध सप्लाई किया जाता है । टोन्ड दूध 74 पैसे प्रति लिटर तथा डबल टोन्ड 54 पैसे प्रति लिटर की दर से सप्लाई किया जाता है जबकि कलकत्ता तथा अन्य नगरों में इनके बहुत ज्यादा दाम हैं।

दूसरी ओर वसूली मूल्य भी बढ़ रहा है । इसलिये बहुत ज्यादा अन्तर है। यदि बम्बई की आरे कालोनी की ओर देखा जाये तो अपना पशु फार्म बनाने से इस योजना से कोई बचत नहीं होगी। वहाँ पर उत्पादन लागत 1.16 रुपये प्रति लिटर बैठती है।

सरकार ने दिल्ली प्रशासन से एक पेशकश की है । यदि प्रशासन समझता है कि यवस्था गलत है तो वह इसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता और इसे क्यों नहीं चलाता ? लेकिन वह इस पेशकश को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

संसद्-सदस्यों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया गया है। हाल ही में विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जाँच की है। इसलिये इसकी जाँच करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। फिर भी सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि दिल्ली दुग्ध योजना को एक व्यापारिक संगठन बनाया जाये।

काफी जाली कार्ड चल रहे हैं। उनका पता लगाने के लिये एक जासूसी दल स्थापित किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि हमें डिपो प्रबन्धकों से कोई सहानुभूति नहीं है । इसका कारण केवल यह है कि हमें निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों से सहानुभूति है और इसी कारण हमने उन्हें अंशकालिक रोजगार दिया है। केवल कुछ भ्रष्टाचार करने वाले डिपो प्रबन्धकों को ही सेवा से बर्खास्त किया गया है । अन्य किसी डिपो प्रबन्धक को सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है।

हम सदैव यह देखने का प्रयास करते रहते हैं कि कार्य-संचालन में सुधार हो, कार्य-कुशलता बढ़े और लागत कम हो। लेकिन इसके साथ ही यह कहना गलत है कि यह सब घोटाला है और दिल्ली दुग्ध योजना म काफी अकुशलता है क्योंकि ऐसा कहना स्वयं उपक्रम के प्रति अनुचित होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 26 मार्च, 1968/6 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, March, 26, 1968/Chaitra 6, 1890 (Saka).

GMGIPND—LS III—897(al) LS—21-11-68—600.